

LOK SABHA DEBATES
(Original Version)

Fifteenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXIX contains Nos.1 to 9)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Mamta Kemwal
Joint Secretary

Bishan Kumar
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Thapliyal
Joint Director

Kamala Subramanian
Maneesha Bhushan
Editor

© 2024 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXIX, Fifteenth Session, 2024/1945 (Saka)
No. 5, Tuesday, February 6, 2024/ Magha 17, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 41 to 46	14-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 47 to 60	43-158
Unstarred Question Nos. 461 to 690	159-920

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 55th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 45) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries
Kumari Shobha Karandlaje 962
- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on action taken by the Government on the observations / recommendations contained in the 27th Report of the Committee on 'Ethical Standards in Media Coverage' pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting
Dr. L. Murugan 963
- MATTERS UNDER RULE 377** 966-996
- (i) Regarding construction of a bridge on Son River to connect Bihar and Jharkhand
Shri Vishnu Dayal Ram 966
- (ii) Regarding construction of Dhalbhumgarh Airport in Jamshedpur Parliamentary Constituency
Shri Bidyut Baran Mahato 967
- (iii) Regarding stoppage of trains at Dabhaura Railway Station in Rewa Parliamentary Constituency
Shri Janardan Mishra 968
- (iv) Need to implement PM Awas Plus Yojana in cities
Dr. Dhal Singh Bisen 969

- (v) Regarding establishment of a central university in Balurghat
Dr. Sukanta Majumdar 970
- (vi) Need to reduce custom duty on export of oranges to Bangladesh
Shri Ramdas Tadas 971
- (vii) Need to categorise Betel leaf cultivation as agricultural activity
Shri Bhola Singh 972
- (viii) Regarding alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission Scheme in Banda Parliamentary Constituency
Shri R.K. Singh Patel 973
- (ix) Need to include places of religious importance in Gwalior, Madhya Pradesh under PRASAD Scheme
Shri Vivek Narayan Shejwalkar 974
- (x) Need to include Salasar Balaji, Sujangarh and Sridungar Balaji in the proposed Ringas- Khatu Shyamji new Railway line project
Shri Rahul Kaswan 975
- (xi) Need to provide stoppage of Train No. 14803/04 at Dhanera Railway Station, Gujarat
Shri Parbatbhai Savabhai Patel 976
- (xii) Need for maintenance of 3 bridges by NHAI in Kerala
Shri Hibi Eden 977

- (xiii) Need to take steps for revival of Ramzan River in Kishanganj
Dr. Mohammad Jawed 978
- (xiv) Regarding land acquisition for Outer Ring Road Project in Kerala
Adv. Adoor Prakash 979
- (xv) Need to reconsider language options for CUET- PG 2024
Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian 980
- (xvi) Regarding release of funds to undertake rehabilitation work for people affected by heavy rainfall and floods in Tamil Nadu
Dr. Pon Gautham Sigamani 981-982
- (xvii) Need to set up a heritage museum at Lauria in Bihar
Shri Sunil Kumar 983
- (xviii) Regarding providing employment to dependants of servicemen who die due to physical casualties
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 984
- (xix) Need to curb the increasing air and water pollution caused by industrial units in Giridih, Jharkhand
Shri Chandra Prakash Choudhary 985
- (xx) Regarding release of central funds for Kerala
Adv. A. M. Ariff 986
- (xxi) Need to extend services of Maurya Express upto Puri in Odisha
Shri Ravi Kishan 987

- (xxii) Regarding recent action taken by RBI against a payment bank
Prof. Sougata Ray 988
- (xxiii) Regarding establishment of bank branches in Nandurbar to promote financial inclusion
Dr. Heena Vijaykumar Gavit 989
- (xxiv) Regarding doubling of Lucknow- Sitapur Railway line
Shri Rajesh Verma 990
- (xxv) Regarding protection of places of worship of minority communities
Dr. M. P. Abdussamad Samadani 991
- (xxvi) Need to improve food quality and sanitation facilities in Indian Railways
Shri Sridhar Kotagiri 992
- (xxvii) Need to establish an AIIMS like Super Speciality hospital in Jalandhar
Shri Sushil Kumar Rinku 993
- (xxviii) Regarding filling up of vacancies in nationalized banks.
Shri Gajanan Kirtikar 994
- (xxix) Need to develop World class tourism facilities in Bundelkhand region of Uttar Pradesh
Kunwar Pushpendra Singh Chandel 995
- (xxx) Need to extend Defense Corridor upto Kaushambi-Prayagraj
Shri Vinod Kumar Sonkar 996

**JAMMU AND KASHMIR LOCAL BODIES LAWS
(AMENDMENT) BILL, 2024**

	998-1048
Motion to Consider	998
Shri Nityanand Rai	998-999, 1042-1047
Shri Jasbir Singh Gill	1000-1002
Shri Jugal Kishore Sharma	1003-1004
Shrimati Chinta Anuradha	1005-1008
Shri Hasnain Masoodi	1009-1011
Prof. Sougata Ray	1013-1015
Shrimati Supriya Sadanand Sule	1017-1019
Shri Prataprao Jadhav	1020-1022
Shri Kaushlendra Kumar	1023
Shri Ramesh Bidhuri	1024-1028
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	1028-1031
Shrimati Navneet Ravi Rana	1032-1033
Shri N.K. Premachandran	1034-1036
Shri Ve. Vaithilingam	1037-1038
Shri Sunil Kumar Pintu	1039
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	1040-1041
Clauses 2 to 19 and 1	1047
Motion to Pass	1047-1048

PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) BILL, 2024

	1049-1159
Motion to Consider	1049
Dr. Jitendra Singh	1049-1053, 1143-1154
Shri Kodikunnil Suresh	1054-1056
Dr. Satya Pal Singh	1057-1063
Shri D.M. Kathir Anand	1064-1068
Shrimati Chinta Anuradha	1069-1071
Shri Rahul Ramesh Shewale	1072-1073
Prof. Achyutananda Samanta	1074-1077
Shri Malook Nagar	1079-1080
Shrimati Supriya Sadanand Sule	1081-1085
Shri Chandeshwar Prasad	1086-1087
Dr. M. K. Vishnu Prasad	1088-1091
Shri Pratap Chandra Sarangi	1092-1097
Shri Kalyan Banerjee	1098-1102
Shri E. T. Mohammed Basheer	1103-1105
Shri Hasnain Masoodi	1106-1108
Shri N.K. Premachandran	1109-1112
Kunwar Danish Ali	1113-1114
Dr. K. Jayakumar	1115-1118
Shri Sumedhanand Saraswati	1119-1121

Dr. S.T. Hasan	1122
Shri Syed Imtiaz Jaleel	1123-1125
Shri Rajiv Pratap Rudy	1126-1132
Dr. DNV Senthilkumar S.	1133-1135
Dr. Thol Thirumaavalavan	1136-1137
Shrimati Sangeeta Azad	1138-1139
Shri Sanjay Seth	1140-1141
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	1141-1144
Clauses 2 to 19 and 1	1155-1159
Motion to Pass	1159

**CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED
CASTES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023
AND
CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED
TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023**

	1160-1174, 1177-1222
Motions to Consider	1160
Dr. Virendra Kumar	1160, 1210-1216
Shri Arjun Munda	1160, 1217-1219
Dr. Amar Singh	1161-1163
Shri Jugal Kishore Sharma	1164-1166
Dr. D. Ravikumar	1167-1168
Shri Malook Nagar	1169-1170

Shrimati Aparupa Poddar	1171-1174
Kumari Goddeti Madhavi	1177-1179
Shri Arvind Sawant	1180-1181
Shri Dileshwar Kamait	1182-1183
Shri Ramesh Chandra Majhi	1184
Shrimati Supriya Sadanand Sule	1185-1186
Shri Mohammad Sadique	1187-1188
Shri Bhola Singh	1189-1191
Shri Hasnain Masoodi	1192-1193
Dr. DNV Senthilkumar S.	1194-1195
Dr. Thol Thirumaavalavan	1196-1197
Shri Tapir Gao	1198-1199
Shri Ramshiromani Verma	1200
Sushri Sunita Duggal	1201-1204
Shri Kodikunnil Suresh	1205-1208
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	1209-1210
CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023	
Clauses 2 and 1	1219-1220
Motion to Pass	1220-1221
CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023	
Clauses 2 and 1	1221-1222
Motion to Pass	1222

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA**

1175-1176

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

1136

Member-wise Index to Unstarred Questions

1137-1141

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

1142

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

1143

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shirang Appa Barne

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, February 6, 2024/ Magha 17, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, क्वेश्चन नम्बर 41.

श्री ए. राजा जी ।

(Q. 41)

SHRI A. RAJA: Sir, with due respect to the hon. Minister, I must express our deep anguish on seeing this reply. The reply which was laid before this House is not only evasive but irresponsible also.

Sir, no commitment has been made in this answer. Let me be permitted to explain the situation prevailing in Tamil Nadu. Last year, on 23rd December, Chennai, Thiruvallur, and Kanchipuram districts were heavily hit by Michaung Cyclone. In the third week of the same month, again some southern districts like Thoothukudi, Tirunelveli, and Madurai were heavily hit by another cyclone.

Sir, permit me to say something before this House. When the Government came to Power in the State under the leadership of Dr. M.K. Stalin – the House as well as the nation is aware – there was a debt of Rs. 5 lakh crore incurred by the erstwhile Government. The COVID-19 pandemic was also at its peak at that time. In spite of these two difficulties, we had overcome and maintained our financial position in a fair manner.

In this situation, when two cyclones hit Tamil Nadu, the amount which was sought by Tamil Nadu Government was Rs. 37,000 crore. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu met the hon. Prime Minister. Then, the delegation of all parties met the hon. Home Minister. In spite of that, no assurance has been

given in this answer as to when this amount is going to be released or how much is going to be released.

Therefore, my first question is this. An Inter-Ministerial Committee came to Tamil Nadu and gave its report. The Tamil Nadu Government also gave its report. Both the reports are before the Union Government. In spite of the assurances given by the Home Minister in person, nothing is visible. I would like to know when this amount is going to be released. I would also like to know whether the amount released is going to match the amount which was released for Gujarat, Karnataka, and other States ruled by BJP-led Governments.

श्री नित्यानन्द राय : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर सटीक नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर बहुत सटीक है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। पिछली सरकारों द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद माननीय नरेन्द्र मोदी जी जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता के साथ केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है, उसकी भी जानकारी रखने की जरूरत है। अगर पवित्र भाव से देखेंगे तो पता चलेगा कि मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन और आपदाओं के समय में कितना बढ़-चढ़कर सहयोग किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने राशि आबंटन के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि इसे गौर से सुनें। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य आपदा रिस्पांस फंड के तहत आबंटन में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा उल्लेखनीय वृद्धि की गई है जो इस प्रकार है। आप देखिए, वर्ष 2010 से वर्ष 2015 में मात्र 33,581 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो वर्ष 2015 से वर्ष 2020 में 61220 करोड़ रुपये और वर्ष 2021 से वर्ष 2026 में और अधिक बढ़कर 1 लाख 28 हजार 122 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे एसडीआरएफ में 282 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

महोदय, राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस फंड एनडीआरएफ में केंद्र से राज्यों को जो अतिरिक्त सहायता, वर्ष 2004 से वर्ष 2014 में मिली थी, उस बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पहले क्या राशि दी गई थी और अब क्या राशि दी जाती है, तो अब कितनी राशि बढ़ाकर योजना में दी जा रही है, इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 की अवधि में मात्र 65346 करोड़ रुपये थे, जो बढ़कर वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के दौरान 1 लाख 98 हजार 173 करोड़ रुपये कर दिए गए। यह तीन गुना से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी है। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार देश में आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की जरूरतों के प्रति कितनी संवेदनशील है।

माननीय अध्यक्ष : ओके।

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जितना बोला है, जितना भाषण दिया है, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा नहीं है। मैं तो भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वे जो भड़के हैं, इसलिए मैं जरूर बताना चाहूंगा। ...
(व्यवधान)

सर, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पहले एसडीआरएफ फंड बाद में दिए जाते थे। अब एसडीआरएफ में बढ़ोत्तरी हुई। एसडीआरएफ फंड में होता यह है कि आपदा से निपटने के लिए और उसकी तत्परता समय पर जारी रहे, इस हेतु भारत सरकार जो निधि आवंटित करती है, जो प्रावधान देती है, उसका 75 प्रतिशत केंद्र सरकार राज्यों को एसडीआरएफ के तहत देती है। केंद्र सरकार पवित्र मन से, शुद्ध मन से देती है। उसका उपयोग करने की जरूरत है। अभी भी 2013 करोड़ एसडीआरएफ फंड तमिलनाडु सरकार के पास उपलब्ध है, जिसका वह उपयोग कर सकती है। ...
(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मेंबर, ये आपके ही मेंबर हैं।

... (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, the answer that has been given by the hon. Minister is not bona fide. ... (*Interruptions*) I can say that it is completely mala fide. You are showing stepmotherly attitude towards the States which are not run by the BJP.

Sir, let me clarify before this House that the State Disaster Relief Fund has nothing to do with the National Disaster Relief Fund. The amount which is being asked by the Tamil Nadu Government comes under the National Disaster Relief Fund which is exclusively given by the Central Government, the Union Government. The SDRF is nothing but the contribution given by the State Government. It is also under the 15th Finance Commission. So, 15th Finance Commission is universal to all the States. You cannot go for a specific one. It is available to all the States. All the States have to be given equal share, that is, 20 per cent or 25 per cent. ... (*Interruptions*) Mr. Minister, do not confuse us between the National Disaster Relief Fund and the State Disaster Relief Fund. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please ask your question.

... (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, I can give ample examples. The way in which other States are being treated is something different. My only question is, at least hereafter, will the Government come forward to devise new rules under the National Disaster Relief Fund to maintain the same attitude, homogeneous attitude, similar and identical attitude so that all the States are treated equally at par with Gujarat and Karnataka where your Government is in power.

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भाजपा शासित राज्यों के बारे में कहा, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चक्रवात बिपरजॉय के दौरान गुजरात सरकार को एनडीआरएफ के तहत एक रुपये की भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई। यह नियम की बात करते हैं कि आगे क्या करेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार वर्ष 2016 में पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी जारी की गई थी।

वर्ष 2019 में फिर यह पुनरीक्षित कर आपदा प्रबंधन के इस कदम में संशोधित रूप भी जारी किया गया है।

महोदय, आपदा प्रबंधन में उभरती वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के आधार पर समय-समय पर इसमें सुधार किया जाता है। प्रधान मंत्री जी आपदा प्रबंधन के लिए और आपदाओं के समय जान-माल का नुकसान शून्य हो, संपत्तियों का नुकसान भी कम से कम हो, उसके लिए 10 प्वाइंट एजेंडा भी जारी किया गया है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है और अभी तक इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ... (व्यवधान)

महोदय, ये जिस तूफान की बात कर रहे हैं, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय बार-बार निर्देश जारी करती है। इन्होंने जिन राज्यों में जिस बाढ़ की चर्चा की है, उसके लिए भी ... (व्यवधान) सर, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। यह मेरी बात सुन लें। मैं चेन्नई का उदाहरण देना चाहता हूँ कि सात बड़ी आबादी वाले नगरों में, महानगरों में जब बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति आती है तो उसका प्रबंधन ठीक से हो, उसके लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चेन्नई को भी 500 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा अच्छे प्रबंधन के लिए मंजूर किए गए हैं, ताकि चेन्नई बारिश की बाढ़ से प्रभावित न हो। ... (व्यवधान)

महोदय, भारत सरकार इसके लिए पहल और कदम उठा रही है। भारत सरकार मजबूत और वास्तविक समय प्रणाली, यानी सटिक भविष्यवाणी हो, उसके लिए प्रणाली सिस्टम को भी डेवलप किया है। एमएचए लगागार उसकी मॉनिटरिंग करती है। यदि कोई आपदा की स्थिति बनती है तो माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं अपनी निगरानी में हमेशा उस प्रबंधन को जारी रखते हैं और दिशा-

निर्देश देते हैं। माननीय गृह मंत्री जी आपदा के समय सभी राज्यों से सम्पर्क करते हैं और सलाह तथा सहयोग भी देते हैं।

महोदय, गृह मंत्रालय ने आईडीआरएन इवेंटरी का एक डेटाबेस तैयार किया है। ... (व्यवधान) इंडिया डिजास्टर रेस्पांस नेटवर्क प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ... (व्यवधान) ये आईएमसीटी की बात कर रहे थे तो आईएमसीटी अब तो पहले ही जाती है। राज्य का ज्ञापन आता है, उसके पहले ही माननीय गृह मंत्री जी आईएमसीटी की टीम भेज देते हैं। ... (व्यवधान) उसके लिए खुद प्रधान मंत्री जी भी चिंता करते हैं। आईएमसीटी की टीम वहां भी तमिलनाडु सरकार का ज्ञापन मिलने से पहले ही पहुंच गई थी। ... (व्यवधान) उसका एसेसमेंट किया गया है। अभी तो 2,013 करोड़ रुपये की राशि उनके पास उपलब्ध है, वे उसका उपयोग करें। आईएमसीटी की रिपोर्ट आई है। ... (व्यवधान) जो मंत्रालय और केंद्र सरकार की व्यवस्था और प्रक्रिया है, उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा और उनको बताया जाएगा। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

*** SHRI A. GANESHAMURTHI:** Sir, During the last 70 years, we have been witnessing time and again a cyclone or a flood causing huge damage to Tamil Nadu every year. Hon Minister says Hon Prime Minister is more concerned about disaster management. Hon Prime Minister visits different places. He could have visited the flood affected Chennai and other places of Tamil Nadu. But he has not done so. Hon Minister's reply to the query raised by Hon Member Shri A. Raja is not justified. It has been the practice that only after the Central team visits and submits a report on the damages caused by heavy rains and floods, the necessary funds are released. In order to get immediate relief from the damages caused by cyclone and flooding caused by heavy rains, particularly for the States like Tamil Nadu which are frequently affected, I wish to state that the Union

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Government should create a permanent fund to address and mitigate the effects of such natural disasters.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां प्रधानमंत्री जी नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजा था। रक्षा मंत्री जी गए थे। उनके साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री भी गए थे। इसके साथ ही साथ संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी गए थे। अब उनको पता ही नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करें? उनको पता करना चाहिए।

जहां तक वे कह रहे हैं कि एक स्थायी निधि की व्यवस्था की जाए, निधि की व्यवस्था है। 'आपदा जोखिम वित्त प्रणाली' के तहत राज्यों को सबसे पहले एसडीआरएफ जारी की जाती है, उनको उसका इस्तेमाल करना होता है। मैंने पहले भी बताया है और मैं अब भी बता रहा हूं कि यह निधि भारी मात्रा में सिर्फ तमिलनाडु को ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों को पहले ही उपलब्ध करा दी जाती है।

महोदय, गृह मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर, 2023 को मिचौंग चक्रवात की स्थिति और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर वहां आभासी बैठक की गई और उसकी मेजबानी की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसकी निगरानी की। वहां कैबिनेट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी), संबंधित राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभागों के साथ समीक्षा और बैठक की गई। केन्द्र सरकार की हमेशा तत्परता रहती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि सब संवेदनशीलता के साथ मिलकर काम और सहयोग करें। केन्द्र सरकार आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए तैयार है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार जान-माल के नुकसान को शून्य करने के लिए संकल्पित हैं। आप भी सहयोग करें। हम जान-माल का नुकसान भी शून्य करेंगे और संपत्तियों के नुकसान को भी न्यूनतम करेंगे।

आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया आपदा प्रबंधन को स्वीकार कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें बनाई गई हैं। इसके 28 आरसीसी केन्द्र हैं। आप देखते हैं कि आपदा

प्रबंधन के समय, चाहे वह भूकंप हो, चाहे दूसरी आपदाएं हों, किस प्रकार से भारत विदेशों में भी जाकर सहयोग करता है। पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश बना है। इसके दृष्टिकोण को अपना रहा है। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करने की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी तैयार हैं, हम आपके साथ मिलकर आपदा के लिए अच्छा प्रबंध करें और नुकसान को कम से कम करें।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Sir, in the reply, the hon. Minister has stated that an amount of Rs. 2,013 crore is available in the SDRF account of the State for relief operations. It is just a peanut in comparison to the demand made by the Tamil Nadu Government. All the MPs met hon. Home Minister under the leadership of our DMK Leader, T.R. Baalu ji and demanded Rs. 37,907 crore of funds for flood relief. The problem with the Minister is that he is not ready to see Tamil Nadu with compassion. The discrimination continues and if the discrimination towards Tamil Nadu continues, the BJP will get the same number of seats which they got in the previous elections. One thing is very clear that discrimination towards Tamil Nadu must stop.

Sir, please give me one minute.

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Sir, I would like to have an assurance from the hon. Minister as to how much the Government of India is ready to release against the demand of Rs. 37,907 crore made by the Government of Tamil Nadu.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि आईएमसीटी की रिपोर्ट 29 जनवरी, 2024 को गृह मंत्रालय के डीएम डिविजन को प्राप्त हुई है। इस पर शीघ्र ही विचार होगा। जो नॉर्म्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि ये समझ रहे हैं कि सारी चीजों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार आपदा प्रबंधन कोष से दे दे, जबकि ऐसा नहीं है।

यह सहयोग की राशि है। यह सहयोग की राशि तत्काल राहत देने के लिए होनी चाहिए और उसी के लिए है। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। ... (व्यवधान)
माननीय मोदी जी की पवित्रता देश के एक-एक कोने से, एक-एक राज्य से, एक-एक राज्य की एक-एक भावना से, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज अपनी मातृभाषा में सभी को उच्चतम प्रतियोगिताओं में बैठकर उत्तीर्ण होने का, पढ़ाई करने का मौका मिला है और इसका तकनीकी क्षेत्र में भी प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी यहां किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। यहां बहुत सारी भाषाएं हैं।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, यहां कैसे भेदभाव हो रहा है? वह कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कहीं न कहीं से भारत की एकता, अखण्डता को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत अपवित्र भाव से किसी शब्द का उपयोग करते हों, तो आगे न करें। देश उसको अच्छे रूप में नहीं लेता है। यहां कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी की इच्छा सबका सहयोग, सबका साथ और सबके विकास के लिए संकल्पित है।

HON. SPEAKER: Shri T.R. Baalu ji.

Hon. Member, please ask only question.

SHRI T. R. BAALU: Sir, first of all, I have to thank the hon. Minister and my friend, Shri Rajnath Singh ji, Defence Minister and Madam Nirmala ji who have

been kind enough to visit the State which has been affected by flood havocs in December's first week and last week.

At the same time, there has been a complete failure of the Meteorological Station's forewarning system because Chennai has not got an updated forewarning system of the particular Department. Equipment are obsolete and the latest equipment are not there. They have miserably failed to forewarn the Government and the public. Because of that, more than a thousand people got stranded in the train itself. Two crore people took asylum in the ... *(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): This is an irrelevant question. ... *(Interruptions)*

SHRI T. R. BAALU: What do you mean? Why do you interfere? ... *(Interruptions)*
Please sit down. ... *(Interruptions)* I know how to ... *(Interruptions)* What is it? ... *(Interruptions)* What do you want? ... *(Interruptions)*

Sir, please intervene. His Ministry has got no ... *(Interruptions)* Sir, why should he intervene? ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मेंबर आप प्रश्न पूछिए ।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, he should know some discipline. ... *(Interruptions)*

You are ... * to be a Member of Parliament. Please sit down. ...
(Interruptions) You are ...* to be a Minister also. You please sit down. ...
(Interruptions) You do not have any ...* to face it. Please sit down. ...
(Interruptions) ...* ... *(Interruptions)*

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
 MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** This is not good. How can you
 call him ... *... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मॅबर आप प्रश्न पूछिए ।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: ...* in the ensuing elections. ... *(Interruptions)*

SHRI PRALHAD JOSHI: You cannot call a Minister and a Member ...* It is unfair.
 You are a senior Member. How can you call him ...* ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मॅबर आप प्रश्न पूछिए ।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, what is the thing which is ... *(Interruptions)* What is the
 unparliamentary word that I have used? ... *(Interruptions)*

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE;
 MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
 AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN
 RAM MEGHWAL):** Sir, he cannot say ... *... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं ।

... (व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, Mr. Baalu cannot say ... * to an hon. Minister. ... (*Interruptions*) Sir, he cannot say ...* He said ...* That is not a good thing. ... (*Interruptions*) आपने एक मंत्री को ... * कैसे कह दिया? You cannot say ...* ... (*Interruptions*)

आप अपने शब्द वापस लीजिए और उनको रिकॉर्ड से भी निकालिए। आप इन शब्दों को वापस लीजिए। ... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: The DMK Government is ...* Congress is ...* What are you talking about ...* ... (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You cannot say ...* ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: You are talking about ...* How can you call a Minister ...*... (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपको माफी मांगनी पड़ेगी।... (व्यवधान) You cannot say ...* ... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी : आपने एक दलित मंत्री को ...* बोला है। ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपने दलित मंत्री को ...* कह दिया है। यह नहीं हो सकता है। आप दलितों का अपमान कर रहे हैं।... (व्यवधान) आप डीएमके के वरिष्ठ साथी होंगे। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मंत्रिपरिषद में हमारा कोई दलित साथी मंत्री है और आप उसका अपमान करें। यह हम सहन नहीं करेंगे। बालू साहब, आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, एक एससी मंत्री को ...* बोलना ठीक नहीं है।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह नहीं हो सकता है।... (व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, एक एससी मंत्री हैं, जो मेहनत करके इधर आए हैं, उनको ये ... * कैसे बोल सकते हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मंत्रिपरिषद में एक दलित मंत्री हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं । ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, यह दलित का अपमान है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये शब्द निकाल देंगे ।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बालू साहब, आप माफी मांगिए । आपको माफी मांगनी पड़ेगी । यह दलित समाज का अपमान है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब हो गया है, शब्द निकाल देंगे ।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपको माफी मांगनी पड़ेगी ।... (व्यवधान) ऐसे नहीं हो सकता है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी ... (व्यवधान) दलित समाज के हमारे मंत्रिपरिषद के साथी साहब के बारे में आपने कहा कि वे ... * हैं ।... (व्यवधान) यह बिलकुल ही अपमानजनक शब्द आपने यूज किया है... (व्यवधान) बालू साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी... (व्यवधान) आप माफी मांगिए । ... (व्यवधान) यह ठीक नहीं है ।... (व्यवधान) ऐसे कैसे हो सकता है कि आप क्वेश्चन ऑवर में किसी मंत्री को कह दें कि वे ...* हैं, यह ठीक नहीं है ।... (व्यवधान) आप माफी मांगिए ।... (व्यवधान) आपको माफी मांगनी पड़ेगी ।... (व्यवधान) आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी ।... (व्यवधान) आप ऐसे कैसे कह सकते हैं?... (व्यवधान) आपने अनपार्लियामेंटरी शब्द यूज किया... (व्यवधान) आपने एक मंत्री को ...* कह दिया । ... (व्यवधान) बालू साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: What is unparliamentary? ... (*Interruptions*) What did I utter unparliamentary? ... (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ ।

... (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, why are other Ministers standing? ... (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, you have to do something about it. ... (*Interruptions*) You have to control the Treasury Benches. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ ।

... (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, they are not allowing us to speak. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, he should apologize. ... (*Interruptions*) He is an SC MP. ... (*Interruptions*) Who are you to give certificate? ... (*Interruptions*) He is an SC MP and SC Minister. ... (*Interruptions*) How can you do it? ... (*Interruptions*) You please withdraw your words. ... (*Interruptions*) You have got the right to question, but you cannot say ... * to anybody. ... (*Interruptions*) You cannot call our Minister ...* (*Interruptions*) Who are you to do it? ... (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: You are a ...* to the name. ... (*Interruptions*) We are not being allowed to speak. ... (*Interruptions*) The Parliamentary Affairs Minister is also supporting them. ... (*Interruptions*) We are not allowed to exercise our right. ... (*Interruptions*) You are talking about India, but you are not talking about Tamil Nadu. ... (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Is Tamil Nadu not part of India? ... (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, टी.आर. बालू साहब एक क्वेश्चन पूछ रहे थे... (व्यवधान) यह सम्मानित सदस्य हैं... (व्यवधान) हमारे मंत्रिपरिषद के एक दलित मंत्री ने खड़े होकर कहा कि आप इर्रेलेवंट क्वेश्चन पूछ रहे हो ।... (व्यवधान) उन्होंने इतना ही तो कहा... (व्यवधान) लेकिन बालू साहब ने हमारे मंत्रिपरिषद के एक साथी एल. मुरुगन साहब को ... * कह दिया ।... (व्यवधान) वे दलित हैं और एससी समाज से आते हैं । ... (व्यवधान) यह दलित समाज का अपमान है... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि टी.आर. बालू साहब माफी मांगें ।... (व्यवधान)

सर, इनको माफी मांगनी पड़ेगी । एल मुरुगन साहब एक दलित समाज से तमिलनाडू से आते हैं, उन्होंने इतना ही तो कहा कि आप इर्रेलेवंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ।... (व्यवधान) इर्रेलेवंट क्वेश्चन कहने के रिएक्शन पर इन्होंने यह कह दिया कि आप ...* हैं ।... (व्यवधान) इन्होंने यह कैसे कह दिया? यह अनपार्लियामेंट्री तो है ही, साथ ही यह हमारे मंत्री परिषद के साथी का अपमान भी है । इसलिए टी.आर. बालू साहब को माफी मांगनी चाहिए ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह सारी सरकार ...* है ।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Ask your question only.

SHRI T. R. BAALU: I can only advise my friends who are sitting on the other side not to be carried away by sycophancy like my friend on the other side. He is ...* to be there in the politics itself. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: He is insulting the entire SC community. ... (*Interruptions*) How can he do it? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: He cannot call a Minister ... *... (*Interruptions*) Baalu ji, you are a senior Member, please try to understand what you are talking. ...

* Expunged as ordered by the Chair.

(Interruptions) What is the fate of INDIA Alliance? ... (Interruptions) आप वह भी चेक कीजिए। वह पूरा खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद आप यहां पर ऐसे बात कर रहे हैं।...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर – 42.

श्री एस. ज्ञानतिरावियम जी।

... (व्यवधान)

(Q. 42)

माननीय अध्यक्ष : श्री एस. ज्ञानतिरावियम जी, सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

11.32 hrs

At this stage, Shri A. Raja and some other hon. Members left the House.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाइ में बताया है कि ई-गवर्नेंस के लिए पंचायतों में केन्द्र की सहायता से कम्प्यूटर्स और अन्य आधारभूत ढाँचे बनाए जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पंचायतों की स्थिति तो आज यह है कि एक पंचायत में या चार पंचायतों में एक सचिव है, इसलिए आप जो ई-गवर्नेंस करने जा रहे हैं, इसके लिए जो ऑपरेटर्स हैं, क्या उनका सहयोग केन्द्र सरकार करेगी?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो सवाल पूछा है, वह राज्य का विषय है। हम पंचायतों में कम्प्यूटर सपोर्टिंग के तौर पर रखते हैं, लेकिन अगर पंचायत में ग्राम सचिव नहीं है तो उसको नियुक्त करने का काम राज्य सरकार का है। उसमें केन्द्र सरकार कोई सहयोग नहीं करती है।

श्री निहाल चन्द चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 14वें फाइनेंस कमीशन का पैसा और 15वें फाइनेंस कमीशन का पैसा केन्द्र सरकार ने सीधे ग्राम

पंचायतों के विकास के लिए जारी किया है। देश के इतिहास में पहली बार ग्राम पंचायतों को किसी प्रधान मंत्री जी ने ऐसे सीधे जारी किए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन का पैसा बढ़ाने का क्या कोई प्रावधान है? इसके अलावा आप ग्राम पंचायतों को जो पैसा दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या केन्द्र सरकार ने अलग से कोई नोडल ऑफिसर बनाने का प्रावधान किया है?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायतों को सक्षम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंस कमीशन के पैसे का प्रावधान किया गया है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। अभी प्रधान मंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना की है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दादा, आसन की ओर पीठ करके खड़े नहीं होते, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में भारत विकसित देश कहलाएगा। इसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई है। 10वें फाइनेंस कमीशन का आवंटन 4,381 करोड़ रुपए था, 11वें फाइनेंस कमीशन का आवंटन 8,000 करोड़ रुपए था, 12वें फाइनेंस कमीशन का आवंटन 20,000 करोड़ रुपए था और 13वें फाइनेंस कमीशन का आवंटन 63,000 करोड़ रुपए था। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बने। उन्होंने गांवों को सक्षम करने का संकल्प लिया। जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने किया है, वह पूरा नहीं होगा। इसलिए 14वें फाइनेंस कमीशन का आवंटन 2,00,292 करोड़ रुपए आया और 15वें फाइनेंस कमीशन का आवंटन 2,36,000 करोड़ रुपए है।

सम्माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी करने का प्रावधान है? जब 10वां वित्त आयोग आया था तो पर-पर्सन 100 रुपए, पर-ग्राम पंचायत को एफसी का पैसा जाता था, लेकिन अभी 674 रुपए जाते हैं। अभी फिलहाल 16th फाइनेंस कमीशन की कमेटी बनी है। उसके बारे में

फाइनेंस कमीशन डिसिजन करता है। मंत्रालय की सिफारिश से फाइनेंस कमीशन का पैसा पंचायतों को जाता है। इसलिए इसके ऊपर फाइनेंस कमीशन ही डिसिजन ले सकता है।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर – 43.

श्री एन. रेड्डेप्पा।

(Q. 43)

SHRI N. REDDEPPA: Sir, thank you for giving me the opportunity. Andhra Pradesh is a major agricultural State which provides food crops like paddy and commercial crops. Hon. Prime Minister launched a comprehensive irrigation project under PMKSY in 2015-16. How many irrigation projects are being implemented in Andhra Pradesh? How much fund has been provided during the last seven years?

My second question is this. Many times farmers suffer losses due to various reasons like flood, drought and natural calamities. What steps have been taken to help the farmers against these calamities? What steps are being taken by the Government to encourage climate-smart precision irrigation like drip and sprinkler irrigation to maximize water use efficiency while reducing negative impact on the environment?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 से कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना तीन मंत्रालयों को मिला कर बनाई गई है, जिसमें एक एआईबीपी योजना है। 'हर खेत को पानी' यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 'वाटरशेड डेवलपमेंट' और कृषि मंत्रालय के द्वारा 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' पर काम शुरू किया गया है। उसी के तहत आंध्र प्रदेश में भी योजना को प्रारंभ किया गया है। वहां पर एआईबीपी योजना के अंतर्गत आठ परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। उन आठ परियोजनाओं के अंदर जो गांव तय किए गए हैं,

उन गांवों के लिए वर्ष 2016 से लेकर अभी तक जो फंड का प्रावधान किया गया है, वह उनको मिल चुका है। वहां एक पोलावरम बहुउद्देशीय योजना प्रारंभ की गई है, उसके लिए 15,146 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2016 से लेकर अब तक वह परियोजना चल रही है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा है। इस योजना के अंदर 60:40 के रेश्यो से काम किया जा रहा है।

दूसरा, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' की बात की गई है, तो इसके अंदर भी आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015-16 से लेकर अब तक जो फंड का प्रावधान किया गया है, उसमें 2,600 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके लिए बजट रिलीज किया गया है। 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के अंदर 9 लाख 19 हजार हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया है। आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत इसको 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' में ले लिया गया है, जिसमें राज्य को यह अधिकार है कि वह योजना बना कर सीधे उस योजना के तहत उसे ले सकता है। इसी के तहत मैं इसमें आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने जैसा कहा है कि इसमें नुकसान के ऊपर किस तरह से सहायता प्रदान की जा रही है। मुझे इसमें यह जरूर कहना है कि जब फसल का नुकसान होता है तो उसमें फसल बीमा योजना का भी प्रावधान है। साथ ही एसडीआरएफ फंड का भी प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही जब अधिक नुकसान होता है तो उनको एनडीआरएफ फंड से सहायता प्रदान की जाती है। उसके साथ ही हमने आईसीएआर के द्वारा ऐसी वैरायटियां भी तैयार की हैं, हमने वर्ष 2014 से लेकर अभी तक 2380 वैरायटीज तैयार की हैं। इनमें से 1971 क्लाइमेट रेजीलिपेंट नई वैरायटीज हैं। इस वैरायटी की यह विशेषता है कि अगर कभी बाढ़ भी आती है या सूखा भी पड़ जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर भी यह वैरायटी काम करती है। निश्चित रूप से इस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर सहायता दी जा रही है और इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आप अवगत होंगे कि बिहार में हमारी नई सरकार बनी है। माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं, हमारे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्य मंत्री बने हैं। हम लोगों को बहुत बचे हुए काम बिहार में करने हैं। बिहार की आबादी 14 करोड़ है और सचमुच अच्छे काम की दिशा में हम लोग बढ़ चुके

हैं। बिहार की आबादी 14 करोड़ है।... (व्यवधान) आप रंग भी बदलते हैं, कपड़े भी बदलते हैं। आपका तो कुछ नहीं पता है। आप क्या बोलते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है।... (व्यवधान) आप क्या बोलते हैं, कहां जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनी जाए। मेरी बात जरूरी है। बिहार की आबादी 14 करोड़ है।... (व्यवधान) बिहार की दिशा एकदम तय हो गई है और आने वाले दिनों में, इनकी व्याकुलता हमें समझ में आती है कि I.N.D.I.A. अलायंस समाप्त हो गया है। आप इन विषयों को छोड़िये।

महोदय, बिहार की आबादी 14 करोड़ है। हमारी कमिश्नरी की आबादी पौने दो करोड़ है।... (व्यवधान) शायद देश के आठ राज्य हमारे जिले और कमिश्नरी से छोटे हैं। बिहार में जो हालात रहे हैं, चार करोड़ लोग बिहार छोड़ कर चले गए हैं, उनको वापस लाना है, उनको रोजगार देना है और कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी चार प्रोफेशंस के अलावा खेती भी दबा कर करता हूं और अच्छी खेती करता हूं, मुझे महसूस होता है। मेरा सारण जिला है, वहां नेपाल से पानी आता है। नेपाल से पानी चल कर उत्तर प्रदेश से होकर 7 हजार क्यूबिक पानी बिहार में आना चाहिए, जो सारण कमिश्नरी है। बिहार की सरकार ने वाप्कोस, जो भारत सरकार की कंपनी है, के माध्यम से सारण कमिश्नरी के लिए 7 हजार करोड़ रुपये की योजना बना कर भारत सरकार को भेजी है, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके। यह 7 हजार करोड़ रुपये, जो सारण कमिश्नरी के लोगों के लिए जाने हैं, उसका एक अध्याय फ्लड कंट्रोल का है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारण जिला चार नदियों गंगा, गंडक, सोन और सरयू से घिरा हुआ है। हमारा जिला बाढ़ से भी प्रभावित होता है, बाढ़ प्रबंधन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और उसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वाप्कोस के द्वारा निर्मित गंगा फ्लड कंट्रोल और सेंट्रल वाटर कमीशन से बिहार के लिए एक बड़ी योजना भारत सरकार को भेजी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या इस बड़ी योजना, जो देश के किसानों की उन्नति के लिए और खासकर छोटे किसानों के लिए उन्नति का विषय है, क्या आप उस पर विचार करने का कष्ट करेंगे? धन्यवाद।

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सीधा प्रश्न किया है, वैसे यह प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। मैं इसमें यह जरूर कहूंगा कि यह जो परियोजना है, यह एआईबीपी योजना के अंतर्गत ली गई है। उस योजना के अंतर्गत बिहार के अंदर भी एरिया कवर किया गया है और लगभग 28 हजार हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है। इस योजना के अंदर टोटल 99 प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, जिनमें 58 प्रोजेक्ट्स पूरे देश भर में हो गए हैं। आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा है, मैं उसकी जानकारी संबंधित विभाग से लेकर आपको भिजवा दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या उस पर विचार किया जा सकता है?

श्री कैलाश चौधरी : आपको बता दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 44.

श्री रमेश बिधूड़ी।

(Q. 44)

श्री रमेश बिधूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जन औषधि केन्द्र के माध्यम से 10,300 दुकानें खुलवाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को इलाज देने के लिए सोचा है, इसके लिए मैं गरीबों की तरफ से उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकारिता के माध्यम से एक कदम और आगे बढ़ाने का काम किया है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज के द्वारा भी गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हों और वे गांवों में मिलें। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से पैक्स के द्वारा जन औषधि केन्द्रों के लिए आवेदनों की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा।

दूसरी बात, मैं जानना चाहूँगा कि पैक्स के माध्यम से, ग्रामीण लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ई-सेवाएं आसान और बेहतर तरीके से मिलें, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे गांवों में भी बेहतर इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क है, इसलिए ग्रामीणों को पैक्स के द्वारा जन औषधि केन्द्रों के संचालन के अलावा और कौन-कौन से लाभ देने की योजना है? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री बी. एल. वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता को देखते हुए इसका गठन किया। सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में है, जो बहुत ही कड़े और बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी को बनाया गया। माननीय अमित शाह जी सहकारिता के मास्टर हैं। मैं कहूँगा कि पैक्स से लेकर एपेक्स तक उनको अनुभव है। पैक्स की संख्या लगभग 1 लाख 3 हजार थी। उनमें सबसे पहले ऐसे वायबल पैक्स, जिनका ऑडिट हो सकता था, ऐसे 63 हजार पैक्स के लिए कम्प्यूटरीकरण करने का काम किया। कम्प्यूटरीकरण करने के लिए एक परियोजना बनायी गई, उसके लिए 2,516 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जन औषधि केन्द्र के संबंध में है। जन औषधि केन्द्र तब तक बन नहीं सकते थे, जब तक इसका कम्प्यूटरीकरण होकर मॉडल बायलॉज लागू न हों। मॉडल बायलॉज लागू करने के लिए हमने पैक्स के अन्दर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मॉडल बायलॉज लागू होने से पहले पैक्स जहाँ लिमिटेड काम करते थे, वे केवल छोटे ऋण वितरण का काम करते थे, उर्वरक वितरण का काम करते थे, लेकिन अब उनको बहुद्वेशीय पैक्स बनाने के लिए मॉडल बायलॉज लागू करके बहुत-से काम पैक्स के लिए किये गये हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण काम जन औषधि केन्द्र से भी संबंधित है। जन औषधि केन्द्र, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी की सस्ती दुकान कही जाती है, जहाँ जेनरिक दवाइयाँ बड़ी छूट पर मिलती हैं। अभी तक 4,629 पैक्स इस प्रकार के थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का काम किया है। इनमें से 2,475 पैक्स के लिए जन औषधि केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है। उनमें से 617 पैक्स इस प्रकार के हैं, जिनको राज्य ड्रग कंट्रोलर द्वारा ड्रग का लाइसेंस भी प्राप्त हो गया है। अब जन औषधि केन्द्र इस काम के लिए तैयार हैं।

मान्यवर, हम जानते हैं कि अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,600 जन औषधि केन्द्र खोले हैं। उनमें दो हजार जन औषधि केन्द्र के लिए पैक्स को कहा गया है। इसके लिए हमने 4,629 आवेदन लिये हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जन औषधि केन्द्र के माध्यम से पैक्स में हम रोजगार बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ, ग्रामीण अंचलों के लोग, जो खास तौर से किसान होते हैं, जिनमें से लगभग 13 करोड़ लोग पैक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सस्ती दवाइयों की दुकान से हम लाभ दे सकेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पैक्स को बहुद्वेशीय बनाने का काम किया जा रहा है। इनके माध्यम से, आने वाले समय में हम 25 प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि मैं इसे अभी गिनाऊँगा, तो मुझे लगता है कि 25 प्रकार की बहुत सारी सेवाएं होंगी। मैं यह माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ।

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, मेरा छोटा सा सप्लीमेंटरी प्रश्न है। शहरों में ये 10,300 दुकानें खुली हैं। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के द्वारा, सहकारिता मंत्री जी के द्वारा प्रयास हुआ कि ये दुकानें गाँवों तक जाएं और गरीब को सही इलाज मिले, गरीब आदमी को स्वास्थ्य सेवा मिले। कुछ दुकानों की ऐसी शिकायतें आती हैं कि वहाँ दवाई तो होती है, वह दवाई 30 परसेंट पर मिलती है, गरीब आदमी को 100 रुपये की दवाई 30 रुपये में मिलती है, उस दवाई को दुकानदार न देकर इधर-उधर गड़बड़ करते हैं। क्या उन लोगों के आवेदन के साथ-साथ, जो दुकानें नई खोल रहे हैं, उनके आवेदन के साथ-साथ क्या कोई ऐसी एजेंसी आदि है, गरीब गाँव का आदमी कहाँ शिकायत करे और वहाँ उसे प्रॉपर-वे में दवाई मिले, क्या ऐसी कोई योजना बनाई है या नहीं बनाई है?

श्री बी. एल. वर्मा : महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि जन औषधि केन्द्र खोलने का क्रम, जो हमने पैक्स में चालू किया है, जैसा मैंने बताया कि 617 पैक्स इस प्रकार के हैं, जिनको ड्रग का लाइसेंस मिल चुका है। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक इस प्रकार की शिकायत की कोई स्थिति नहीं आयी है। हम इनको विधिवत-प्रॉपर, जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी सहकारिता को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सहकार से समृद्धि का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसमें एक यह पॉइंट भी शामिल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से हम किसानों के लिए, ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए ये सस्ती दवाईयाँ उपलब्ध कराने का काम करेंगे और किसी प्रकार की शिकायत न मिले, इस प्रकार का सहकारिता मंत्रालय का प्रयास रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 45.

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल।

(Q. 45)

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल : महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आदिवासी समाज के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन को ऑपरेटिव सेक्टर में किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में कितनी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है? साथ ही मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में जनजातीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन-बड़वानी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है । इसके अंतर्गत सहकारिता क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय लाभ प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग आपस में बात मत कीजिए ।

श्री बी. एल. वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से आते हैं, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश और खास तौर से अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित जनपदों की बात कही है । मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अभी कहा था कि जो हमारे 63 हजार पैक्स हैं, जिनका कम्प्यूटरीकरण हो रहा है, हम कह सकते हैं कि 63 हजार में से मध्य प्रदेश में 4,534 पैक्स हैं । साथ ही साथ वहाँ 725 'लैम्प्स' भी हैं । इसके लिए भारत सरकार ने अब तक 45.94 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश राज्य को जारी करने का काम किया है । आपने अनुदान जारी करने की बात भी कही है । मैं कह सकता हूँ कि इसमें एनसीडीसी, जो हमारा विभाग है, एनसीडीसी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर सावधी ऋण प्रदान करने की योजना है । हमने जनजातीय बहुसंख्यक क्षेत्रों की सहकारी समितियों के विकास के लिए सक्रिय कदम उठाने का प्रयास किया है । इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में एनसीडीसी द्वारा अब तक पिछले दो वर्षों में 606 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देकर समृद्ध करने का काम

किया गया है। आपने रोजगार की बात भी कही है कि हम क्या रोजगार प्रदान कर सकते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि मॉडल बाईलॉज लागू होने से 25 प्रकार के काम हैं, इसमें वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियाँ, जिन्हें हम 'लैम्प्स' कहते हैं, इनके साथ पैक्स का जो हम कम्प्यूटराइजेशन कर रहे हैं, इससे हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। मॉडल उपलब्धियों को अपनाकर लैम्प्स और पैक्स, जो 25 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे विविधता लाने में भी सक्षम हो गए हैं। अब वे प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र के रूप में भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम उर्वरक कीटनाशक और अन्य जो कृषि इनपुट होते हैं उनको देने का काम करते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन औषधि केन्द्र के विषय में मैंने चर्चा की है यह मैं बता ही चुका हूँ। हम जन औषधि केन्द्र का काम आपके मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर्स को वॉयबल बनाने के लिए 300 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें अब पैक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। यह काम हम मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं और 300 प्रकार की सेवाएं देने का काम करते हैं। इसके साथ पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट और एलपीजी की जो डिस्ट्रिब्यूटरशिप थी, अब यह मॉडल लागू होने के बाद से उसे देने का काम करते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप शार्ट में उत्तर दीजिए।

श्री बी. एल. वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं शार्ट में बोलूंगा लेकिन माननीय सदस्य के जिले के बारे में बता रहा हूँ। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपने खरगौन और बड़वानी जिलों की बात कही है। यहां पैक्स की कुल संख्या 182 है, जिसमें हम कम्प्यूटराइजेशन कर रहे हैं। इनके जिले में 10 पैक्स जन औषधि केंद्र, 9 में पैक्स भारत सरकार के द्वारा हमने देने का काम किया है। इनमें से 109 पैक्स में हमारी प्रधान मंत्री किसान समृद्धि योजना के केंद्र हैं, उन्हें भी देने का काम किया है। इसी तरह से

बड़वानी जिले में 128 पैक्स में से 53 पैक्स ने सीएससी के रूप में काम करना प्रारम्भ कर दिया है ।
खरगौन और बड़वानी जिले में मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्प चलाने का भी काम किया है ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 46.

श्रीमती नवनित रवि राणा ।

(Q.46)

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, will the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying give the details of funds allotted for fisheries under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for social, ecological and inclusive development of fisheries sector in the States of Maharashtra, Haryana, Jharkhand and Bihar, particularly for Amravati?

इसके साथ ही सभी योजनाओं से आदिवासी भाई-बहनों को जोड़ने की कोई योजना है? मैं पार्टिकुलर जिस क्षेत्र से आती हूँ, वह क्षेत्र पहाड़ी है। इस योजना से मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। यह योजना पांच सालों के लिए है। क्या यह योजना इसी तरह से आगे के लिए भी कंटिन्यु करेंगे क्योंकि इससे इस क्षेत्र के लोगों की बहुत मदद होगी।?

श्री परषोत्तम रूपाला : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें उन्होंने इस सवाल के साथ आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कहा है। यह फिशरीज सेक्टर का सवाल है। फिशरीज सेक्टर में हमने एससी, एसटी समाज के लिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें उन्हें सब्सिडी देने में ज्यादा प्रावधान किया है। एससी और एसटी, दोनों को हम उसमें 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देते हैं। अगली सरकार में भी यह योजना जारी रहेगी।... (व्यवधान) अगले पांच सालों के लिए अपनी ही सरकार में यह योजना जारी रहेगी।

अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के बारे में मैं कहना चाहता हूँ और आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि सभी सांसदों को जानकारी रहे और इस सदन के माध्यम से देश के मछुआरे समाज के पास यह जानकारी पहुंचे। आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से कुल खर्च 3681 करोड़ रुपये का हुआ था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देने के बाद अब तक 38572 करोड़ रुपयों का आबंटन कर दिया गया है, जो करीबन 10 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र के बारे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना,

जिस अकेली योजना का मद 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है, इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से लेकर अभी तक कुल 1118 करोड़ रुपये की राशि हमने सैंक्शन की हुई है।

उनमें से अभी तक वहां 142 करोड़ रुपये का काम भी पूरा हो गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़े फिगर्स भी बताना चाहूंगा। 272 हेक्टेयर के पॉण्ड्स एप्रूव किए गए हैं, जो 19 करोड़ रुपये के हैं, 27 नई हैचरीज मंजूर की गयी हैं। हमारे एस.सी./एस.टी. के जो आदिवासी भाई-बहन हैं, उनको इन हैचरीज और पॉण्ड्स के साथ आप जोड़ सकते हैं। उन्हें आप 60 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ भी दिलवा सकते हैं।

नयी टेक्नोलॉजी के जरिए 495 री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) को लागू करने का हमने प्रयास किया है। 44 करोड़ रुपये की लागत से वहां बायोफ्लॉक के 88 यूनिट्स मंजूर किए गए हैं। 394 करोड़ रुपये की लागत से सबसे ज्यादा 13,161 केजे कल्चर महाराष्ट्र में लागू कर दिए गए हैं। मैं मानता हूँ कि यह देश में अधिकतम केजे कल्चर का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा हो रहा है। इसकी सूची बहुत लम्बी है, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसी प्रकार से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मछुआरा समाज को भी किसान क्रेडिट कार्ड का अधिकार दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 14,090 मछुआरे भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध भी करा दिया है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 47 to 60

Unstarred Question Nos. 461 to 690)

(Page No. 43 to 920)

12.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

आइटम नम्बर - 2, श्री रामदास अठावले

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Sir, I beg to lay on the

Table:-

1. A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Safai Karamcharis, New Delhi, for the year 2022-2023.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11157/17/24]

12.03 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

- (1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 11158/17/24]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स नायब सूबेदार (साइफर), समूह 'ख', गैर-राजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक) पद, भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT11159/17/24]

- (2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) तकनीकी संवर्ग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के भारत के

राजपत्र में सं. सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (दर्जी) ट्रेड्समेन संवर्ग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 865(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 11160/17/24]

- (3) (एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11161/17/24]

- (5) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 5491(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में लखबीर सिंह उर्फ लंदा का नाम जोड़ा गया है।
- (दो) का.आ. 02(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में सतविंदर सिंह उर्फ सतिन्दरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार का नाम जोड़ा गया है।

[Placed in Library, See No. LT 11162/17/24]

- (6) (एक) कोइलीशन फॉर डिसास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कोइलीशन फॉर डिसास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 11163/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Sir,

I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Horticulture Board, Gurugram, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Horticulture Board, Gurugram, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11166/17/24]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11167/17/24]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli, for the year 2022-2023.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11168/17/24]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Thanjavur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Thanjavur, for

the year 2022-2023.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11169/17/24]

- (7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 395 of the Companies Act, 2013:-

(i) A copy of the Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Horticultural Produce Marketing and Processing Limited, Srinagar, for the years 2017-2018 and 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Horticultural Produce Marketing and Processing Limited, Srinagar, for the years 2017-2018 and 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (8) Two statements of delay (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 11170/17/24]

- (9) A copy of the Notification No. S.O.5415(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd December, 2023, constituting the Central Fertilizer Committee consisting of members mentioned therein, issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 11171/17/24]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968:-

- (i) The Insecticides (Seventh Amendment) Rules, 2023 published in G.S.R.921(E) in Gazette of India dated 28th December, 2023.
- (ii) The Insecticides (First Amendment) Rules, 2024 published in G.S.R.37(E) in Gazette of India dated 12th January, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 11172/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, I beg to lay on the Table

a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (1) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11173/17/24]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11174/17/24]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) द रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
 - (दो) द रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11175/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, on behalf of my

colleague Kumari Pratima Bhoumik, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Senior Citizens' Welfare Fund, for the year 2022-2023,

alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Senior Citizens' Welfare Fund, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11176/17/24]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Women's Community Management Group, Khorda, Odisha, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Women's Community Management Group, Khorda, Odisha, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11177/17/24]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for the Handicapped and Backward People, Kolkata, West Bengal, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for the Handicapped and Backward People, Kolkata, West Bengal, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11178/17/24]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bhairabi Club, Khordha, Odisha, for the year 2022-2023,

alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bhairabi Club, Khordha, Odisha, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11179/17/24]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Social and Health Development Organization, Imphal West, Manipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Social and Health Development Organization, Imphal West, Manipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11180/17/24]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Bengal Handicapped Rehabilitation Society, Siliguri, West Bengal, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Bengal Handicapped Rehabilitation Society, Siliguri, West Bengal, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11181/17/24]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Durgabai Deshmukh Vocational Training & Rehabilitation

Centre (Andhra Mahila Sabha), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Durgabai Deshmukh Vocational Training & Rehabilitation Centre (Andhra Mahila Sabha), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11182/17/24]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the PAWMENCAP (Parents Association for the Welfare of Mentally Handicapped Persons), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the PAWMENCAP (Parents Association for the Welfare of Mentally Handicapped Persons), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11183/17/24]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the St. Ann's Manovikas Kendra run by St. Ann's Social Service Society, Kurnool, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the St. Ann's Manovikas Kendra

run by St. Ann's Social Service Society, Kurnool, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11184/17/24]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Holy Cross Social Service Society, Anantapur, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Holy Cross Social Service Society, Anantapur, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11185/17/24]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sanjose Welfare Center, Kottayam, Kerala, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sanjose Welfare Center, Kottayam, Kerala, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11186/17/24]

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Educational and Rural Development Organisation, Thoubal, Manipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Educational and Rural

Development Organisation, Thoubal, Manipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11187/17/24]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Imphal Guardian Society, Imphal West, Manipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Imphal Guardian Society, Imphal West, Manipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11188/17/24]

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Development of Poor and Labourers, Imphal West, Manipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Development of Poor and Labourers, Imphal West, Manipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11189/17/24]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Immaculate Heart of Mary Society, Madonna Special School for the Deaf, Vijayawada, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Immaculate Heart of Mary Society, Madonna Special School for the Deaf, Vijayawada, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11190/17/24]

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Welfare of the Handicapped, Patiala, Punjab, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Welfare of the Handicapped, Patiala, Punjab, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11191/17/24]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the FAITH-INDIA (Foundation for Ability Improvement and Technology for the Handicapped-INDIA), Palakkad, Kerala, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the FAITH-INDIA (Foundation for Ability Improvement and Technology for the Handicapped-INDIA), Palakkad, Kerala, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11192/17/24]

- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society of Khrist Jyoti, Nav Vani School for the Deaf, Varanasi, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society of Khrist Jyoti, Nav Vani School for the Deaf, Varanasi, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11193/17/24]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Woman and Child Welfare Centre, Vizianagaram, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Woman and Child Welfare Centre, Vizianagaram, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11194/17/24]

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lebenshilfe, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lebenshilfe, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11195/17/24]

- (21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Yuvajana Seva Sangam, Tirupati, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Yuvajana Seva Sangam, Tirupati, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11196/17/24]

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Patitapaban Seva Sangha, Puri, Odisha, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Patitapaban Seva Sangha, Puri, Odisha, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11197/17/24]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities (Divyangjan), New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities (Divyangjan), New Delhi, for the year 2022-2023.
- (24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 11198/17/24]

- (25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2022-2023.
- (26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 11199/17/24]

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities (Divyangjan), Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities (Divyangjan), Mumbai, for the year 2022-2023.

- (28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 11200/17/24]

- (29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (Divyangjan), Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 11201/17/24]

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (Divyangjan), Chennai, for the year 2022-2023.

- (30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 11202/17/24]

- (31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan), Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for

Locomotor Disabilities (Divyangjan), Kolkata, for the year 2022-2023.

- (32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 11203/17/24]

- (33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mental Health Rehabilitation, Sehore, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mental Health Rehabilitation, Sehore, for the year 2022-2023.

- (34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 11204/17/24]

- (35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (Divyangjan), Secunderabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (Divyangjan), Secunderabad, for the year 2022-2023.

- (36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

[Placed in Library, See No. LT 11205/17/24]

- (37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities (Divyangjan), Dehradun, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities (Divyangjan), Dehradun, for the year 2022-2023.

- (38) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

[Placed in Library, See No. LT 11206/17/24]

- (39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and

Multiple Disabilities, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11207/17/24]

- (40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Uttar Pradesh Mook Badhir Vidyalay, Prayagraj, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Uttar Pradesh Mook Badhir Vidyalay, Prayagraj, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11208/17/24]

- (41) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Alakendu Bodh Niketan Residential, Kolkata, West Bengal, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Alakendu Bodh Niketan Residential, Kolkata, West Bengal, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11209/17/24]

- (42) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahilyadevi Holkar Shikshan Prasarak Mandal, Latur, Maharashtra, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahilyadevi Holkar Shikshan Prasarak Mandal, Latur, Maharashtra, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11210/17/24]

- (43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vikas Social Service Society, Kannur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vikas Social Service Society, Kannur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11211/17/24]

- (44) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manasika Vikasa Kendram, Vijayawada, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manasika Vikasa Kendram, Vijayawada, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11212/17/24]

- (45) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Santhivardhana Ministries, Kakinada, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Santhivardhana Ministries, Kakinada, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11213/17/24]

- (46) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the A.P. State Forum for Economically Weaker Sections, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the A.P. State Forum for Economically Weaker Sections, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11214/17/24]

- (47) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences, Secunderabad, Telangana, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences, Secunderabad, Telangana, for the year 2022-2023.

- (48) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (47) above.

[Placed in Library, See No. LT 11215/17/24]

(49) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pahel Viklang Punarwas Kendra Samiti, Kanpur, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pahel Viklang Punarwas Kendra Samiti, Kanpur, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11216/17/24]

(50) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Leema Deaf and Mentally Handicapped Welfare Association, Guntur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Leema Deaf and Mentally Handicapped Welfare Association, Guntur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11217/17/24]

(51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Type Writing Institution & Rural Development Service, Thoubal, Manipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Type Writing Institution & Rural Development Service, Thoubal, Manipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11218/17/24]

- (52) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped, Hyderabad, Telangana, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped, Hyderabad, Telangana, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11219/17/24]

- (53) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shanthiniketan (Residential Institution for the Intellectually Challenged), Rangareddy, Telangana, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shanthiniketan (Residential Institution for the Intellectually Challenged), Rangareddy, Telangana, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11220/17/24]

- (54) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manav Vikas Sanstha, Beed, Maharashtra, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manav Vikas Sanstha, Beed,

Maharashtra, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11221/17/24]

- (55) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Residential School for the Blind, Gadwal, Telangana, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Residential School for the Blind, Gadwal, Telangana, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11222/17/24]

- (56) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society of Hidden Sprouts Special School for Mentally Handicapped, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society of Hidden Sprouts Special School for Mentally Handicapped, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11223/17/24]

- (57) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Surya Kiran Parents Association for Welfare of Mentally Handicapped Children, Guntur, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Surya Kiran Parents Association for Welfare of Mentally Handicapped Children, Guntur, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11224/17/24]

- (58) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kangchup Area Tribal Women Society, Manipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kangchup Area Tribal Women Society, Manipur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11225/17/24]

- (59) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Uma Educational and Technical Society (Uma Manovikasa Kendram), Kakinada, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Uma Educational and Technical Society (Uma Manovikasa Kendram), Kakinada, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11226/17/24]

- (60) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jalpaiguri Welfare Organization, Jalpaiguri, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jalpaiguri Welfare Organization, Jalpaiguri, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11227/17/24]

- (61) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Helen Keller's School for Deaf & Mentally Retarded Children, Secunderabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Helen Keller's School for Deaf & Mentally Retarded Children, Secunderabad, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11228/17/24]

- (62) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Seva Samithi, Tirupthi, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Seva Samithi, Tirupthi, Andhra Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11229/17/24]

- (63) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nilachal Seva Pratisthan, Puri, Odisha, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nilachal Seva Pratisthan, Puri, Odisha, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11230/17/24]

- (64) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Educational and Rehabilitation of the Visually Handicapped, Hyderabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Educational and Rehabilitation of the Visually Handicapped, Hyderabad, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11231/17/24]

- (65) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kabi Narasingh Math Blind, Deaf & M.R. School , Ganjam, Odisha, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kabi Narasingh Math Blind, Deaf & M.R. School , Ganjam, Odisha, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11232/17/24]

- (66) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shri Hanuman Prasad Poddar Andh Vidyalaya, Varanasi, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shri Hanuman Prasad Poddar Andh Vidyalaya, Varanasi, Uttar Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11233/17/24]

- (67) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajul Viklang Palak Abhibhavak Utthan Samiti, Vidisha, Madhya Pradesh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajul Viklang Palak Abhibhavak Utthan Samiti, Vidisha, Madhya Pradesh, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11234/17/24]

- (68) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Harisunder Mahila Bahuddeshiya Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, Maharashtra, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Harisunder Mahila Bahuddeshiya Shikshan Prasarak Mandal, Udgir, Maharashtra, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11235/17/24]

- (69) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Association for Voluntary Action, Puri, Odisha, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Association for Voluntary Action, Puri, Odisha, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11236/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN):

Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11237/17/24]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2022-2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11238/17/24]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyajit Ray Film & Television Institute, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyajit Ray Film & Television Institute, Kolkata, for the year 2022-2023.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11239/17/24]

- (7) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2022-2023.

- (ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11240/17/24]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11241/17/24]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 13 - डा. संजय जायसवाल ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती ।

12.05 hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES

35th and 36th Reports

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): महोदय, मैं प्रक्कलन समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) रेल मंत्रालय से संबंधित 'अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति' विषय के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन ।
- (2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित 'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजना का निष्पादन' विषय के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन ।

12.05½ hrs

**COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES**

30th to 32nd Reports

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालय आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।
- (2) 'दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 31वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'निर्धारित समयावधि में जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

माननीय सभापति : श्री जगदम्बिका पाल जी ।

... (व्यवधान)

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

Statements

SHRI PRAVEEN KUMAR NISHAD (SANT KABIR NAGAR): Sir, I rise to lay on the Table the following Statements (Hindi and English version) of the Standing Committee on Energy:-

- (1) Statement showing final action-taken by the Government on observations/ recommendations contained in the Thirty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on observations/recommendations contained in the Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Tidal Power Development in India'.
 - (2) Statement showing final action-taken by the Government on observations/ recommendations contained in the Thirty-ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on observations/recommendations contained in the Thirty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of New and Renewable Energy'.
-

12.06½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statements

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, में 'विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) 'विदेशी राष्ट्रों के साथ प्रत्यावर्तन संधियां, आश्रय स्थल मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दों सहित भारत और अंतर्राष्ट्रीय विधि' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण ।
- (2) 'भारत की सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक राजनय: संभाव्यताएं और सीमाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण ।
- (3) 'वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांग' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण ।

12.07hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

66th to 68th Reports

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:

- (1) Sixty-sixth Report on the subject 'Performance Review and Regulation of Insurance Sector' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).
 - (2) Sixty-seventh Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-second Report on the subject 'Implementation of Insolvency and Bankruptcy Code - Pitfalls and Solutions' pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.
 - (3) Sixty-eighth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Forty-sixth Report on the subject 'Strengthening Credit Flows to the MSME Sector' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services) and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
-

12.07½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

Statement

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): महोदय, मैं 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.08 hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

27th and 28th Reports

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी बेड प्रबंधन' विषय संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
 - (2) जल शक्ति मंत्रालय – पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
-

12.08½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 43) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying*

THE MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): Hon. Chairperson Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 43) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11154/17/24.

12.09 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 55th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 45) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE):

Respected Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 55th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 45) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT11155/17/24.

12.09½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on action taken by the Government on the observations / recommendations contained in the 27th Report of the Committee on 'Ethical Standards in Media Coverage' pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Respected Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 27th Report of the Committee on 'Ethical Standards in Media Coverage' pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11156/17/24.

12.09 ¾ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE...Contd.

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): महोदय, अपने सहयोगी श्री पंकज चौधरी की ओर से मैं केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) सा.का.नि. 902(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कतिपय जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवम्बर, 2023 के महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के विस्तार को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ.5483(अ) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 168ए के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में विनिर्दिष्ट अनुपालनों की तारीखों को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 30(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कतिपय जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवम्बर, 2023 के महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के विस्तार को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 31(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) का.आ.84(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 31 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 30/2023-केंद्रीय कर को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.85(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कतिपय वस्तुओं के निर्माण में लगे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11164/17/24]

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ), जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करके 18.01.2024 से शीरे के निर्यात पर 50 प्रतिशत के निर्यात शुल्क को विहित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11165/17/24]

12.10 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठों को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

(i) Regarding construction of a bridge on Son River to connect Bihar and Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू जिला (झारखंड) के हुसैनाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत देवरी कला एवं दूसरी तरफ रोहतास जिला (बिहार) के नौहट्टा प्रखंड के ग्राम देवीपुर में झारखंड एवं बिहार के बीच बहने वाली सोन नदी पर Inter State Connectivity के तहत पुल निर्माण कराने की आवश्यकता है। उक्त पुल के निर्माण से यात्रियों के यात्रा समय में काफी कमी आएगी और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के बाद कोई उद्योग या वैकल्पिक व्यापार का रास्ता नहीं है। इस पुल के निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी। इलाज, शिक्षा, बाजार, उद्योग समेत अन्य जरूरतों के लिए प्रतिदिन आवागमन करने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगेगा एवं लोगों को नए-नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार के डेहरी पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औरंगाबाद-सासाराम शहरों को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। मेरा MORTH, भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त पुल का निर्माण कराने की कृपा की जाय। उक्त पुल की मांग झारखंड एवं बिहार सीमावर्ती जिलों के बीच आवागमन करने वाले लोगों की लंबे समय से रही है।

* Treated as laid on the Table.

**(ii) Regarding construction of Dhalbhumgarh Airport in Jamshedpur
Parliamentary Constituency**

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर टाटा जो औद्योगिक घराने के नाम से मशहूर है तथा टाटा जैसे बड़े उद्यमी यहाँ स्थापित हैं। एमएसएमई का एक बड़ा सेक्टर भी आदित्यपुर में है और एमएसएमई एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे-बड़े उद्योगों को मिलाकर लगभग दो हजार उद्योग स्थापित हैं तथा यहाँ माइंस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए केंद्र सरकार ने यहां पर स्थित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपये आवंटित भी किये है। उक्त एयरपोर्ट की स्वीकृति के बाद जनवरी 2019 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास एवं पूर्व राज्यमंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार श्री जयंत सिन्हा जी के द्वारा भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया था। परंतु दुर्भाग्य कि बात है कि उक्त एयरपोर्ट का अभी तक वन विभाग के द्वारा एनओसी न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका है।

**(iii) Regarding stoppage of trains at Dabhaura Railway Station in Rewa
Parliamentary Constituency**

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): रीवा लोकसभा क्षेत्र के उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के तहत आने वाले डभौरा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज से चित्रकूट गाड़ी संख्या 22441 -42 (इंटरसिटी एक्सप्रेस) व क्षिप्रा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 02911 -12 व गाड़ी संख्या 19483 -84 बरौनी - अहमदाबाद एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाये ताकि क्षेत्र के लोग जो रोजगार ,उच्च शिक्षा स्वास्थ्य और तीर्थ भ्रमण के लिए जाते है, उनको प्रयागराज और मानिकपुर नहीं जाना पड़ेगा इससे क्षेत्र की जनता को यात्रा के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त गाडियों का ठहराव डभौरा स्टेशन पर देने की कृपा करें ।

(iv) Need to extend PM Awas Plus Yojana in Cities

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सरकार द्वारा आवासहीनों को पक्के आवास देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इसमें देश के करोड़ों आवासहीन लोगों को पक्के आवास मिले हैं। किंतु आज भी अनेक आवासहीन पात्र हितग्राही पक्के आवास से वंचित छूट रहे हैं। 2011 की सर्वे सूची में जिनके नाम छूटें हैं उनके नाम जोड़े जाने के लिए सरकार द्वारा आवास प्लस योजना लागू की गई है। वर्तमान में केवल ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्लस योजना लागू है किंतु शहरी क्षेत्र, नगरपालिका, नगर पंचायत आदि में आवास प्लस योजना लागू नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ही सिवनी एवं बालाघाट जिले शहरी क्षेत्र में आवास प्लस योजना लागू न होने से शहरी क्षेत्र में निवासरत हजारों आवासहीन लोग आवास से वंचित हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्लस योजना क्रियान्वित है उसी प्रकार शहरों में आवास प्लस योजना लागू की जाये ताकि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवासहीनों को पक्के आवास मिल सके।

(v) Regarding establishment of a central university in Balurghat

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): I want to raise the pressing need for establishment of a Central University in North Bengal, specifically in the town of Balurghat. This region has long been underserved in terms of higher education institutions, and establishment of a Central University would not only address this gap but also contribute significantly to the educational and socio-economic development of the area. North Bengal, with its rich cultural heritage and strategic location, is an ideal setting for a Central University. The town of Balurghat, in particular, serves as a hub for the surrounding districts and is well-connected by road and rail, making it accessible to students from various parts of the region. The establishment of a Central University in Balurghat would not only provide quality higher education but also stimulate economic growth, create employment opportunities, and foster cultural and intellectual exchange. The demand for a Central University in North Bengal has been voiced by the local community, educational stakeholders, and aspiring students for quite some time. The establishment of such an institution aligns with the national agenda of promoting higher education in underserved areas and enhancing accessibility to quality education. Therefore, I urge upon the Government to establish a Central University in Balurghat.

(vi) Need to reduce custom duty on export of oranges to Bangladesh

श्री रामदास तडस (वर्धा): अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा वरुड, मोर्शी के संतरा किसानों एवं व्यापारियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहना है, कि विदर्भ मुख्य फल संतरा उत्पादक क्षेत्र है, विदर्भ में करीबन 1.50 लाख हेक्टेयर में संतरा उत्पादन होता है एवं 1 लाख किसान इस पर निर्भर हैं, कुल उत्पादन के 25 से 30 टक्के संतरा बांग्लादेश निर्यात होता है। लेकिन पिछले 2/3 साल से बांग्लादेश द्वारा रु. 88/- प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से भारतीय बाजार पेट में संतरा के दाम में भारी गिरावट हुई थी। जिस कारण मैंने पूर्व में भी इस समस्या को सदन में उठाया था तो महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर किसानों को कंपनियों को 50 टक्के एक्सपोर्ट सबसीडी देने की घोषणा की है जो कम है एवं केन्द्र सरकार के माध्यम से बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, यूरोप में संतरा निर्यात बढ़ाने हेतु प्रयास करना जरूरी है एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देकर ऑरेंज जूस, पील पावडर, आईल की कंपनी को बढ़ावा देना आवश्यक है। अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि संतरा के एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक संतरा का एक्सपोर्ट विदेश में हो।

(vii) Need to categorise betel leaf cultivation as agricultural activity

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : हमारे देश से हर साल बड़ी मात्रा में पान की सप्लाई विदेशों में होती है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। बाकी अन्य फसलों की तरह पान की खेती सीमित किसान ही करते हैं इसलिए देश में पान की फसल के कल्चर का निर्धारण नहीं किया गया। नतीजा पान की खेती करने वाले किसानों को न तो बीज मिलता है और न ही खाद और तकनीकी सलाह। वहीं इन्हें फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड योजना से भी दूर रखा जाता है। जबकि पान की फसल नाजुक होती है और निरंतर निगरानी से पान सहेज पाते हैं। फसल बर्बाद होने के बाद पानकृषक परिवार बर्बाद हो जाता है परिवार में आर्थिक तंगी हो जाती है। इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा जारी फसल अधिसूचित करने की नीतियों में बड़ी विसंगति है। शासन की नीतियों के हिसाब से पान को खेती नहीं माना गया है। कुछ सालों से प्राकृतिक आपदाओं से पान की फसल बर्बाद हो रही है लेकिन पान अधिसूचित फसलों की श्रेणी से बाहर होने के कारण उत्पादकों मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए मेरी मांग है पान उत्पादन को कृषि में शामिल करके कृषि क्षेत्र में चल रही सभी योजनाओं का लाभ, पान किसानों को भी देना चाहिए।

(viii) Regarding alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission Scheme in Banda Parliamentary Constituency

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा) : कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में हर घर जल नल योजना के अंतर्गत गांवों में पेयजल पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जो मानक विहीन है, ग्रामों में सड़कों को बिना मानक के खोदकर घटिया किस्म के पाइप डाले जा रहे हैं, तथा पाइप डालने के बाद गड़ढ़े में मिट्टी डालकर चले जाते हैं तथा ग्राम की सड़क टूटी की टूटी रहती है, जिससे ग्रामीणों को अपने गाँव में ही आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तथा पाइप लाइन डालने के महीनों बीत जाने के बाद समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ, कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की जांच कराने का कष्ट करें।

(ix) Need to include places of religious importance in Gwalior, Madhya Pradesh under PRASAD Scheme

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय काम कर रही है। सरकार देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर जोर दे रही है। धार्मिक स्थलों के विकास से आई तरक्की अयोध्या, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और चार धाम आदि से समझी जा सकती है, जहां लगातार धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से उस क्षेत्र के आधारभूत ढांचा, आवागमन सड़क-यातायात के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही राजस्व में तेजी से वृद्धि भी हो रही है। केन्द्र सरकार की प्रसाद योजना “तीर्थयात्रा कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान” धार्मिक पर्यटन को समृद्ध करने एवं उनके आस पास पर्यटन सेवाओं को विकसित करने पर केंद्रित है। मैं माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रसाद योजना में ग्वालियर संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थल एवं आस्था के केन्द्र मां शीतला मंदिर, लखेश्वरी माता मंदिर, धूमेश्वर मंदिर, लोढी माता नरवर, पीताम्बरा माता, रतनगढ़ वाली माता मंदिर को शामिल करने का कष्ट करें।

(x) Need to include Salasar Balaji, Sujangarh and Sridungar Balaji in the proposed Ringas- Khatu Shyamji New Railway Line Project

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मैं सरकार का ध्यान रिंगस-खाटू-श्यामजी प्रस्तावित रेल मार्ग के सर्वे में मेरे संसदीय क्षेत्र के सालासर बालाजी-सुजानगढ (तिरूपतिबालाजी मंदिर)-श्रीडूंगर बालाजी (द्रोण पर्वत) सहित मुकाम (जम्भोजी)-देशनोक (करणीमाता) रेल लाइन का सर्वे कर नई रेल लाइन डालने की ओर दिलाना चाहूंगा। खाटू-श्यामजी व सालासर-बालाजी, देशनोक (करणीमाता) बहुत बड़े धार्मिक स्थल है, जहां पर लाखों की तादाद में दर्शनार्थियों का आवागमन बना रहता है। मुकाम बिश्नोई समाज का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। उक्त रेल लाइन का निर्माण होने से इन धार्मिक स्थलों पर आने वाले भक्तों को रेल सुविधा का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उक्त रेल लाइन का सर्वे करके इन सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने से हिन्दु समाज के बड़े-बड़े धार्मिक स्थल रेल मार्ग से जुड़ जायेंगे। रिंगस-खाटू-श्यामजी-जीणमाता-सालासर बालाजी-सुजानगढ (तिरूपतिबालाजी मंदिर)-श्रीडूंगर बालाजी (द्रोण पर्वत)-मुकाम (जम्भोजी)- देशनोक (करणीमाता) उत्तर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रिंगस-खाटू-श्यामजी प्रस्तावित सर्वे में सालासर बालाजी-सुजानगढ (तिरूपति बालाजी मंदिर)-श्रीडूंगर बालाजी (द्रोण पर्वत) को भी उक्त सर्वे में शामिल कर नई रेल लाइन डलवाने का श्रम करावें।

(xi) Need to provide stoppage of Train No. 14803/04 at Dhanera Railway Station, Gujarat.

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): साबरमती से जैसलमेर चलने वाली ट्रेन नंबर 14803-14804 जो राजस्थान के रामदेवरा से होकर गुजरती है, इस ट्रेन का स्टॉपेज मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के अंतर्गत धानेरा में नहीं होने की वजह से वहां के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा, थराद और पांथावाडा की अधिकतर धर्म प्रेमी जनता जो रामदेवरा में रामदेवपीर के श्रद्धालु हैं, वो लोग काफी संख्या में रामदेवरा जाते हैं परन्तु ट्रेन की सीधी सुविधा नहीं होने के कारण उनको काफी कठिनाई होती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज यदि मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा में हो जाये तो बड़ी संख्या के श्रद्धालुओं को ट्रेन का लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस ट्रेन का ठहराव धानेरा में किया जाये जिससे वहां के और आसपास के निवासियों को रामदेवरा जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

(xii) Regarding urgent need for maintenance of 3 bridges by NHAI in Kerala

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I request immediate attention concerning the Kothad-Moolampilly, Kothad -Cheranelloor and Mulavukad-Moolampilly Bridges which fall under the jurisdiction of the NHAI. The pillars and caps of these bridges in the terminal road, are in a dilapidated state and have been exposed to saline water. There is deterioration of the concrete connecting the spans of the bridge. Added to this, there is negligence regarding the installation of street lights along this road. As an answer to my unstarred question in Lok Sabha (dated 9/12/2021), the Ministry of Road Transport and Highways stated that the Ministry is taking necessary steps for the installation of street lights. However, despite these assurances, no progress has been made. Considering the high traffic volume and the strategic importance of these bridges for the transportation of goods, students, patients, and commuters, immediate action must be taken to ensure the structural integrity of these bridges.

(xiii) Need to take steps for revival of Ramzan River in Kishanganj

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The Ramzan river, which flows through the heart of the Kishanganj town, is in a dismaying state and has become a cause for distress among the local residents. For many years, we have heard promises and discussions about the revival and beautification of the Ramzan River. However, it is disheartening to note that, despite these assurances, the river's condition has not seen any significant improvement. Regrettably, it has now degraded to the point where it is resembling more of a drain than a river, putting its very existence at risk.

Assessment and Action Plan: Conduct a thorough assessment of the current state of the Ramzan River and formulate a comprehensive action plan for its revival and beautification.

Pollution Control and Removal of Encroachment: Implement stringent measures to control pollution in the Ramzan River, addressing both point and non-point sources of contamination and remove all encroachments.

Timeline for Action: Provide a clear timeline for the execution of the action plan, along with regular updates to the public to foster transparency and accountability.

Budget Allocations: Allocate sufficient funds for the implementation of the revival plan, recognising the importance of preserving this natural resource for the well-being of the community.

(xiv) Regarding land acquisition for Outer Ring Road Project in Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I would like to draw the attention of the Government towards a very urgent matter relating to the land acquisition of Vizhinjam - Navaikkulam Outer Ring Road project in Kerala. National Highway Authority of India had already started the work of land acquisition for this project. The land owners whose property and land earmarked for the project have already handed over the documents and are waiting for compensation. But the inordinate delay in providing compensation is causing difficulties to the land owners. Hundreds of families are facing problems as they are unable to sell their land and cannot avail bank loans. Those who have given advance for the purchase of other land and house are under the risk of losing their money. It is necessary take immediate measures to avoid the delay and help the land owners from this crisis situation. I request the Government to take necessary action to resolve the issues for execution of this project at the earliest.

(xv) Need to reconsider language options for CUET- PG 2024

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I would like to raise a matter of great concern pertaining to the CUET-PG 2024 examination. Specifically, my focus is on the language options available for certain papers, notably COQP11(Law) and COQP12(MBA).It has come to my attention that these specific papers are currently limited to English and Hindi language, with the regrettable consequence of excluding Tamil as a language option. This oversight inadvertently impedes the participation of Tamil-speaking students in the examination, jeopardizing their educational prospects. In line with the fundamental principles of equality and social justice embedded in our democratic values, it is imperative to acknowledge the significance of linguistic inclusivity. The National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET), conducted by the National Testing Agency (NTA), provides the examination in 13 different Indian languages, setting a commendable precedent. To ensure fairness and equitable access to educational opportunities, I earnestly implore a reconsideration of the language options for CUET-PG2024. I propose that all papers, including COQP11 (Law) and COQP12 (MBA), be made available in Tamil and other regional languages listed in the 8th Schedule to the Constitution. I trust that the Union Government will give due consideration to this pressing matter and take immediate and affirmative action to rectify this situation, upholding the principles of linguistic diversity and inclusiveness in our educational system.

(xvi) Regarding release of funds to undertake rehabilitation work for people affected by heavy rainfall and floods in Tamil Nadu

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI): Tamil Nadu has battled unprecedented heavy rainfall and floods in December, 2023. In the beginning of the month, parts of Chennai and its neighbourhood Thiruvallur, Kancheepuram, and Chengalpattu experienced massive flooding because of Cyclone Michaung. 10 days later heavy rains lashed Tirunelveli, Thoothukudi, Kanyakumari and Tenkasi Districts. Kalyanapattinum in Thoothukudi district saw heavy amount of rain, as high as 950 mm in 24 hours, leaving a trail of destruction. More than 20 people were killed, roads and railway lines were washed away, and a bridge in the area collapsed. Capital Chennai's Industrial and IT hubs business operations were severely hit; the damage is severe in areas under the Corporation of Chennai. Infrastructure such as roads, bridges, and public buildings have suffered severe damage. Rain has badly damaged the roads, bridges and common buildings, and affected the livelihood of lakhs of people of Tamil Nadu. The livelihood of lakhs of people has also been affected.

Hon'ble Chief Minister has written a letter to the Hon'ble Prime Minister and has also personally met on 19th December, 2023; seeking an immediate interim relief fund of Rs. 6,500 crore and a permanent relief fund of Rs. 12,659 crore as soon as possible, amid the destruction caused by Cyclone Michaung in Tamil Nadu, So far, the Union Government has not responded to the demands of Tamil Nadu.

In this regard, I draw the attention of the Hon'ble Prime Minister and Union Government to consider the genuine demands of Tamil Nadu Government and release necessary funds for rehabilitation work at the earliest.

(xvii) Need to set up a heritage museum at Lauria in Bihar

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): मैं सरकार का ध्यान वाल्मीकिनगर लोकसभा अंतर्गत अवस्थित ऐतिहासिक विरासतों को एक स्थान पर संग्रहित करने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वाल्मीकिनगर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की कर्म भूमि रही है, गौनाहा प्रखंड के भित्तिअरवा आश्रम में सत्याग्रह के समय कई महीनो तक इस आश्रम में रहे थे। गौनाहा के ही रमपुरवा में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष पाए जाते हैं। लौरिया प्रखंड के नंदनगढ़ तथा नरकटियागंज के चानकीगढ़ में नंद वंश तथा चाणक्य के द्वारा बनाए गए महलो के अवशेष हैं जो अब एक टीले के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। नंदनगढ़ टीले को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बना स्तूप भी कहा जाता है, नंदनगढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर लौरिया में 2310 वर्ष पुराना सिंह के शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है। वाल्मीकिनगर को भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि लौरिया जो वाल्मीकिनगर का केंद्र स्थान है यहाँ पर एक चंपारण संग्राहालय का निर्माण कराया जाए, जिसमे यहाँ के प्रसिद्ध धरोहरों को यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए प्रदर्शित किया जा सके।

(xviii) Regarding providing employment to dependants of servicemen who die due to physical casualties

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): My constituency of Srikakulam has a very proud history of individuals who have served our country as part of its defense services. We have the highest number of recruitments among the districts of Andhra Pradesh, something which I am extremely proud of. Today, I wish to raise two issues, namely: benefits given to dependants of physical casualties: Every year, we lose more soldiers to physical casualties (Road/train accidents, etc) than battle casualties. However, it is deeply concerning that the dependants of physical casualties are not given the same benefits as for battle casualties. The sacrifice of our servicemen who die due to physical casualties is no less significant than that of battle casualties. Currently, in my constituency, there are more than 250 young dependants of servicemen who have passed away due to various physical casualties. There is an urgent need to give them employment so that they may be able to sustain themselves. Regarding employment opportunities for ex-servicemen, the government has made provisions to reserve jobs in certain Ministries/Departments/PSUs for ex-servicemen. However, these reserved vacancies are not being filled. Therefore, I urge upon the Government to act upon these issues immediately for the benefit of people of my constituents.

(xix) Need to curb the increasing air and water pollution caused by industrial units in Giridih, Jharkhand

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): गिरीडीह सदर में स्पंज आयरन, पिग आयरन, रोलिंग मिल, राइस मिल के कारखाने में पर्यावरण मानकों को ताक पर रख कर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण किया जा रहा है, जिससे वहाँ हज़ारों लोगों को श्वास संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों की अपंगता, सिलिकोसिस, अस्थमा की शिकायत की वजह वहाँ हो रही ज़हरीली गैस का रिसाव और मानकों से ज़्यादा गैस उत्सर्जित होने की वजह है। माननीय पर्यावरण मंत्री से से अनुरोध है कि जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे पर्यावरण को हो रहे नुक़सान से बचाया जा सके और वहाँ रह रहे स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हो सके।

(xx) Regarding release of central funds for Kerala

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Union Government is not providing Kerala its due share of entitlements in a timely manner on the one hand and imposing unreasonable restrictions on the State's borrowing limit on the other hand. While the State was expecting a borrowing limit of Rs. 7437.61 for the last quarter of 2023-24, it has been limited to a mere Rs. 1,838 crore, seriously affecting the implementation of several social welfare programmes including the timely distribution of welfare pensions to over 60 lakh beneficiaries at the rate of Rs. 1,600 per month. Setting the borrowing limit by considering the public funds in the state treasury as well as borrowings by KIIFB as state borrowings sans any logic is not acceptable. The cut in borrowing limit is hampering the development activities of the State Government. The Union Government's insistence on branding as a precondition for release of Central share of assistance is against federal principles. Hence, the Union Government is requested to provide Kerala its due share of entitlement.

(xxi) Need to extend services of Maurya Express upto Puri in Odisha

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर से पुरी के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। गाड़ी संख्या 15027/ 15028 गोरखपुर-हटिया, मौर्य एक्सप्रेस को पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक अतिरिक्त रैक देकर हटिया से राउरकेला, झारसुगुड़ा पर ठहराव देते हुए संबलपुर तक चलने की अनुशंसा दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड से की गई है। चूँकि उक्त प्रस्ताव के अनुसार संबलपुर तक रूट विस्तार होने के पश्चात मौर्य एक्सप्रेस संबलपुर में 19 घंटे 45 मिनट तक खड़ी रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में यदि ट्रेन को संबलपुर से आगे संबलपुर सिटी, अंगुल, तालचेर रोड, ढेंकनाल, भुवनेश्वर तथा खुरदा रोड होते हुए पुरी तक चलाया जाए तो इससे गोरखपुर दैनिक तौर पर भुवनेश्वर तथा पुरी जैसी तीर्थ नगरियों से जुड़ जाएगा जिससे तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त विषय पर जनहित में विचार करते हुए मांग को पूरा करने की कृपा करें, जिससे आमजन को सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

(xxii) Regarding recent action taken by RBI against a payment bank

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): A huge blow to Paytm Payments Bank, RBI barred it from offering all its core services, including accounts and wallets from March, effectively crippling the company's business. Given the significant customer base of Paytm-once the poster boy of India's fintech revolution, RBI action could impact a large number of customers. RBI has allowed withdrawal or utilisation of balance amounts by customers. It is learnt that Paytm Payments Bank and One97 Communications had come under RBI scrutiny for purported lack of requisite information barriers within the group and data access to China-based entities that were indirect shareholders in the payments bank through their stake in the parent company. The failure to address these concerns at multiple levels over an extended period led to the latest action by the RBI, it is learnt. Antfin, affiliate of Chinese conglomerate Alibaba, has been reducing its stake in One97 Communications and is still a shareholder in the company. As of December 31, Antfin held a 9.89% stake in the company, as per stock exchange data. I urge upon the Government to take immediate steps for a thorough scrutiny of the un-ethical business of the company along with Chinese interests.

(xxiii) Regarding establishment of bank branches in Nandurbar to promote financial inclusion

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I represent Nandurbar Lok Sabha Constituency which is an aspirational district with major tribal population due to which there is lack of access to financial services in the unbanked areas. Nandurbar is part of the Targeted Financial Inclusion Intervention Program and Mission Utkarsh program, which are aimed at achieving comprehensive financial inclusion in the region. One of the primary challenges in achieving financial inclusion is the absence of Brick and Mortar Bank/Branches in the unbanked areas of Nandurbar district. This absence not only hampers the fulfillment of credit needs for the local populace but also impedes the effective implementation of various projects and schemes initiated by both the State and Central Governments. Despite continuous efforts spanning nearly three years and numerous interactions across various platforms, the public and private sector banks have not sanctioned or established any branches in Nandurbar which has resulted in a detrimental impact on Bank-linked and Credit-linked programs designed to benefit the residents of Nandurbar district particularly in deep pocket tribal areas in the Satpuda hilly ranges. I request the Government to intervene and pass necessary orders to the Public and Private Sector Banks to expedite establishment of proposed Brick and Mortar bank branches in order to promote financial inclusion in Nandurbar.

(xxiv) Regarding doubling of Lucknow- Sitapur Railway line

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र जनपद सीतापुर (उत्तर प्रदेश) की रेलवे की समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सीतापुर-लखनऊ प्रखंड की मात्र 80 किमी की लम्बाई है, जिसका दोहरीकरण नहीं है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि बिहार से आने वाली लगभग तीन दर्जन ट्रेनें गोंडा-बुढ़वल-सीतापुर होते हुए वाया शाहजहाँपुर-दिल्ली तक जाती हैं। उक्त रेल मार्ग दोहरीकरण से संतुप्त है। मात्र 80 किमी दोहरीकरण करने से ही लखनऊ-सीतापुर का रेल मार्ग इस दोहरीकरण से जुड़ जाएगा और लखनऊ से दिल्ली तक एक नया रूट भी स्थापित हो जाएगा। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ कि जनहित में लखनऊ-सीतापुर प्रखंड के दोहरीकरण करने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(xxv) Regarding protection of places of worship of minority communities

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): I wish to draw attention of Government towards the endangered situation existing in the country with regard to the protection of places of worship of the minority communities. The attempts to disturb social peace and communal harmony by making thoroughly unjust and illegal claims on places of worship of others is against the values of the constitution. The lawbreaking moves in the case of places of worship amounts to the open violation of the very decisive law passed by the Parliament for protecting and maintaining the status quo of all the places of worship as on the day, the country attained independence. I, therefore, urge upon the Government to intervene urgently ensuring that this decision of the Parliament and the law passed by the Parliament is not violated and the secular and Constitutional Rights are not denied to any section of the people of the country.

**(xxvi) Need to improve food quality and sanitation facilities in
Indian Railways**

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): The food in Indian trains have often raised eyebrows from the critics. There have been complain about the food quality and the sanitary practices. Complaints of insects and usage of unpurified water has also been frequent. Many audits reports by the CAG of India have found severe deficiencies in the catering services of Indian Railways. Quite recently, even in trains like Vande Bharat, the passengers have complained about the food quality being served, some even complained that the food served was spoilt. Such complaints often lead to consumer cases where the precious time and resources of Indian Railways and the Judicial Mechanism would be wasted. This problem can easily be resolved by introducing some strict mechanism to ensure that food being served is of good quality while ensuring the caterers who don't meet the requirement face punitive actions. I request the Hon'ble Minister of Railways to work towards ensuring that good quality food is served in the Indian Railways and sanitation towards the same is maintained.

(xxvii) Need to establish an AIIMS like Super Speciality hospital in Jalandhar

SHRI SUSHIL KUMAR RINKU (JALANDHAR): In my constituency, Jalandhar, there is no Super Speciality Hospital for giving treatment in critical cases. Jalandhar serves as a central location for a vast population of around 24.50 lakh, and it includes approximately 1000+ villages. Jalandhar is also an ideal place for the sports industry. In Jalandhar, there are only few hospitals, and it covers only emergency first aid and gives general medicines. Patients with critical illness have to travel to PGI Chandigarh for specialized care, causing significant logistical challenges and delay in treatment causing death. Furthermore, to alleviate the burden on PGI, reduce patient obstacles and getting timely health care services for patients from Jalandhar and nearby areas like Hoshiarpur, Nawanshahr, and Kapurthala. Establishing a super speciality hospital like, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Jalandhar will ensure that all patients, particularly suffering from critical illness may receive prompt care without the need of long-distance travel.

(xxviii) Regarding filling up of vacancies in nationalized banks

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): In the nationalized banks, 22 thousand vacancies of clerks were filled up in 2012 whereas only 6 thousand vacancies were filled up in 2023. The number of clerks in 2013 was 3 lakh 98 thousand whereas till date it is only 2 lakh 57 thousand. These posts of 1 lakh clerks as per requirement are lying vacant. The number of peons in 2013 was 1 lakh 53 thousand and it is 1 lakh 1 thousand today. This means 1 lakh post of peons are lying vacant. Due to outsourcing of house-keeping work, staff has been practically abolished in banks. Moreover, due to frequent interruption of power in rural areas digital facilities are not functional regularly. Honourable Prime Minister of India brought 'Jan-Dhan Yojana'. In this Yojana, 50.70 crores of bank accounts were operative and Rs. 2.07 lakh crores of deposits were collected in this scheme. It may be pointed out that majority of depositors are from economically backward classes and are finding it difficult to transact with the bank. I earnestly request that all the vacancies of Clerks and Peons, House-keeping staff etc. may be filled up on the top priority and services charges may be cancelled.

(xxix) Need to develop world class tourism facilities in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा बुन्देलखण्ड के चहुमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिस प्रकार देश में विगत 10 वर्षों में सड़क, बिजली उत्पादन और मोबाइल प्रयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उसी प्रकार बुन्देलखण्ड में सिंचाई के लिए पानी, हर घर नल द्वारा जल, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में क्रांति हुई है। इसके साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे बन जाने से यहां पर्यटन के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले महोबा में आस्था के केंद्र गोरखगिरी पर्वत, बुन्देलखण्ड का कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी, हमीरपुर में हजारों साल पुराना कल्पवृक्ष क्षेत्र, महोबा और उसके आसपास के तालाब, झीलें, छोटी-2 सुंदर पहाड़ियां, सहित किले व गढ़ियां, इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उनकी क्षमता के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बुन्देलखण्ड में अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं का विकास करके "देखो और जानो बुन्देलखण्ड" मुहिम को चलाया जाए।

(xxx) Need to extend Defence Corridor upto Kaushambi- Prayagraj

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): डिफेंस कॉरिडोर पहले फेज में अलीगढ़, आगरा, झांसी तक किया गया था । दूसरे फेज में चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ में प्रस्तावित है । जबकि, चित्रकूट से लगा हुआ कौशाम्बी जिला है । यहीं से लगा हुआ प्रयागराज जनपद है । लाखों हेक्टेयर भूमि आरक्षित पड़ी हुई है । यदि हम डिफेंस कॉरिडोर को वहां तक जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा । डिफेंस कॉरिडोर को यदि कौशांबी वाया प्रयागराज तक कर दिया जाए तो कौशांबी जनपद का पिछड़ापन दूर किया जा सकता है और जबकि इस संबंध में जनपद में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं । इससे कौशांबी के शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होगा और आर्थिक स्वलम्बन को भी बल प्राप्त होगा । इसलिए मैं डिफेंस कॉरिडोर को कौशाम्बी-प्रयागराज से जोड़े जाने की मांग करता हूँ ।

माननीय सभापति: आइटम नंबर-24, जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक 2024

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I have a point of order.

HON. CHAIRPERSON: Under what Rule do you want to raise a point of order?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I want to raise a point of order under Rule 220 at page no.84 in Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Rule 220 clearly states :

“Notwithstanding that a day has been allotted for financial business under rules 207, 208, 218 or 219, a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted.”

सर, आज का दिन बजट पर चर्चा के लिए एलोकेट हुआ था, लेकिन बीच में आप दूसरा विधेयक ला रहे हैं। इसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चर्चा के लिए ले आना नियमों के बाहर होता है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, नहीं। पहले भी ऐसा हुआ है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, पहले क्या हुआ है, यह पता नहीं, लेकिन हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: देखिए, संसद नियम से भी चलती है और परंपरा से भी चलती है। आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। You should understand this. पहले भी इस प्रकार से हुआ है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह ठीक है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

12.13 hrs

JAMMU AND KASHMIR LOCAL BODIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2024

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, यह ओबीसी को अधिकार देने वाला तथा पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में अधिकार, यानी आरक्षण देने का विधेयक है। अभी तक जम्मू-कश्मीर के ओबीसीज़ को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रगति के पथ पर है। वहां के ओबीसीज़ को लोकल बॉडी के चुनाव में आरक्षण देना उनके हित में भी है और प्रगति के रूप में है। आज उनको न्याय देने के रूप में यह विधेयक आया है।

महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9ए में पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए प्रावधान है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटों के लिए आरक्षण का एक सक्षम प्रावधान भी है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में पंचायतों और

नगरपालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकेगा। संविधान के अनुसार नगरपालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। इस प्रस्तावित संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त के पास जाएगा।

महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उप-राज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा।

महोदय, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सभी केंद्रीय अधिनियमों सहित भारत का पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिया गया है।

वर्तमान विधेयक जम्मू-कश्मीर के तीन अधिनियमों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनायेगा। इन संशोधनों से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। यह एक प्रगतिशील विधेयक है, जो आजादी के 75 साल बाद जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों को न्याय देगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस संशोधन से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जिसमें 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए भी संरक्षित होंगी।

अतः मेरे द्वारा स्पष्ट की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूँ कि जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक, 2024 पर विचार किया जाए और इसे पारित करने की कृपा की जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम

अधिनियम, 2000(2000 का 21) का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पंचायती राज सिस्टम देश में बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। 73वें और 74वें जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट्स आए, उसके बाद इसको ताकत मिली। इसके बाद यह पूरी रफ्तार के साथ चलने लगा। जो इसके इलेक्शन्स थे, वे भी टाइम बाउंड होने लगे और इसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम बन गया।

सर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, वेटनरी हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स इनको मिले। जम्मू-कश्मीर में इसका आना बहुत जरूरी है। यह डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जमीनी स्तर से, गांव स्तर से शुरू होता है। हमने देखा कि कैसे जम्मू-कश्मीर में उनसे स्टेटहुड तो ले ही लिया गया, मगर ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, यह लोकल लोगों की आवाज बन पाई। अभी भी इसमें काफी खामियां हैं। जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, इस सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेयरेंस हैं, वह भी हमने देखा कि बहुत हद तक इन इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने के लिए चल रही है। इसके अलावा काफी और तकलीफें हैं, काफी और ऐसी स्ट्रेन्स हैं, जो इसको बांधकर रख रहे हैं, इसको पूरे फुल फॉर्म में चलने नहीं दे रहे हैं।

सर, रूरल एरिया अगर तगड़ा होगा, तो देश तगड़ा होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर असली भारत देखना हो तो गांव में जाकर देखिए। मैंने जम्मू-कश्मीर में जितना देखा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस भी रहता है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पंचायतों को लेकर चलाती है। अगर हमें सच में इसको चलाना है तो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो यह पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस है और दूसरा जो इंटरफियरेंस है, उसको जितना कम से कम किया जा सके, उतना अच्छा है।

सर, यह अच्छी बात है कि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दी है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की, यूथ की, ओबीसी की, सभी प्रकार के जो भी हैं, अगर उनकी भागीदारी रहे, तो यह सिस्टम और स्ट्रेंथेन होगा। हमें इसे इससे ज्यादा देखना पड़ेगा। अगर हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दी तो मैं समझता हूँ माइनॉरिटी के लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान करना चाहिए। सिख भी जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। अगर उनकी पार्टीसिपेशन देख ली जाए तो बहुत ही कम पार्टीसिपेशन है। इसमें कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे माइनॉरिटी को एक आवाज मिल सके, उनकी पार्टीसिपेशन भी इसमें हो सके। पंचायती राज जिसमें लोकल बॉडी होता है, यह बहुत ही बढ़िया है। इनको प्रॉपर डिपार्टमेंट चलाने के लिए दे दिया जाए।

यह देखा जाता है और कहने को 28 डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें लोकल बॉडी काम कर सकती है, जिसे चला सकती है। यह चलाना भी जरूरी है, क्योंकि उनको लोकल जरूरतों का पता रहता है। अगर कैपिटल में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू लोग हैं, उनको काजीगुंड में क्या हो रहा है, गुरेज में क्या हो रहा है, गुरेज की क्या जरूरतें हैं, कैसे उसे पूरा करना है, उसके बारे में उनको बहुत कम पता होगा, उनको टोपोग्राफी और लोकल जरूरतों का ज्ञान ज्यादा रहता है। मगर अफसोस की बात है कि किताबों में हमने इतने सारे डिपार्टमेंट्स पंचायतों को दे दिए हैं, किंतु जमीनी हकीकत देखो तो कुछ नहीं है।

अगर सही ढंग से काम किया जाए, मैं समझता हूँ अगर इस डिपार्टमेंट को कम्पलीट कंट्रोल दे दिया जाए तो इससे लोगों की जरूरतें भी पूरी होंगी और उनको अच्छी तरह से चलाया भी जा सकता है।

इसके अलावा, सबसे गंभीर बात वह अभाव और कमी है, हमें लोगों को इन संस्थाओं के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा। आप गांव में चले जाएं तो बहुत कम लोग हैं जिनको इसका ज्ञान है कि कैसे चलना है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि लोगों को सेनटाइज किया जा सके और लोगों को ज्ञान दिया जा सके। मैं इसी आस के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप

इसका संज्ञान लेंगे और मैंने डिपार्टमेंट्स वाली जो बात कही है, उसको आप प्रॉपर तरीके से पंचायती राज को हैंड ओवर करेंगे ताकि वह अच्छा काम कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज विशेषतौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ये लोग बहुत देर से इंताजार कर रहे थे कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा। ये लोग काफी देर से ऐजिटेशन भी करते रहे हैं, अपनी बात अपने तरीके से ऊपर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला था।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के रहते ओबीसी वर्ग के लोगों को इंसाफ मिला है और जम्मू-कश्मीर के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। विशेष तौर पर जो पार्टियां वहां सत्ता में रही हैं, चाहे वह नेशनल कान्फ्रेंस हों, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उन्हें लोक लुभावने नारे देकर अपने साथ चलाया, वोट बैंक की राजनीति की। वोट लेने के समय बहुत लोक लुभावने नारे देकर अपने साथ चलाते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया। पूरे देश में अलग से कानून था और जम्मू-कश्मीर में अलग कानून था।

पूरे देश में इस वर्ग के उत्थान के लिए और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। इनके लिए आरक्षण था लेकिन जम्मू-कश्मीर इससे वंचित था। मैं इसका सारा दोष, जो पहले सत्ताधारी पार्टियां थीं, विशेष तौर पर नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने आज तक इनके साथ बेइंसाफी का रुख अपनाया हुआ था। आज मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विधेयक को लाकर एक अच्छा कदम उठाया है। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, विशेषकर लोकल बॉडीज़, चाहे कार्पोरेशन हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटीज़ हों, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल हो, अब इन सबमें इस वर्ग को आरक्षित सीटें दी जाएंगी। जम्मू-कश्मीर में अब माताओं और बहनों को भी आरक्षण मिलेगा। माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माताओं और बहनों के लिए एक नहीं, अनेक कदम उठाए गए हैं। आज यहां जो बिल लाया गया है, उसके तहत भी माताओं और बहनों को राहत मिलेगी।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह अच्छी बात है, यह होना ही चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला था। मैं देख रहा था, पंचायतों में ब्लॉक लैवल तक आरक्षण दिया जाएगा और म्युनिसिपल कार्पोरेशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई हमेशा कहते थे कि सब वर्गों के साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आज इस बिल को लाकर माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी वर्ग के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यह बिल लाया गया है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, इससे पहले भी कई बार वकालत हुई थी, लेकिन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने इस वर्ग के साथ हमेशा झूठे वादे ही किए और आरक्षण नहीं दिया। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने हर वर्ग के साथ इंसाफ किया है और अब इस वर्ग के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं और मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इससे आने वाले दिनों में इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही और साथ ही इस वर्ग के लोग जिस दृष्टि से अपने आपको असहाय और पिछड़े समझते थे, उससे निजात पाएंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Chairperson Sir for allowing me to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024, which brings several positive changes.

There is inclusive representation in it. The inclusion of OBCs in local body reservations enhances social inclusivity and ensures that these communities have a voice in local governance. This step towards broader representation is pivotal for balanced social development.

There is a streamlined election process. Centralizing the election process under the State Election Commission promotes a more organized and standardized approach. This can lead to more efficient election management, reducing discrepancies and enhancing the overall integrity of the electoral process.

It ensures empowerment of women by ensuring reservations for women including those from marginalized communities like SCs, STs, and OBCs. The Bill promotes gender equality in local governance. This is a significant step towards empowering women, ensuring their participation and representation in decision-making processes at the local-level.

There is legal consistency. The provisions for removal of the State Election Commissioner are aligned with constitutional standards, bringing local laws in harmony with the national legal framework.

This helps maintain legal consistency and reinforces the rule of law in the local governance structures. These positives mark a significant advancement in

ensuring a more inclusive, efficient, and legally consistent local governance system in Jammu and Kashmir.

The YSR Congress Party stands shoulder to shoulder with the efforts of the Central Government in ensuring further integration of Jammu and Kashmir with the country in terms of laws, rights and reservations. It is also astonishing to note that Article 370 had such a regressive effect on the representation of women and OBCs in Jammu and Kashmir, and I commend the hon. Home Minister in trying to undo the injustices one by one.

In every session, there are Bills related to Jammu and Kashmir, whether it is the Reorganisation Bill, a Bill for providing EWS reservation to the residents of Jammu and Kashmir or even representation of the Kashmiri Pandits. The progressive legislations for Jammu and Kashmir are much needed and appreciated across all benches of this august House.

Regarding issues related to OBCs, in Andhra Pradesh, our Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy *Garu* always refers to BCs as Backbone Class, not backward class. In light of the same, I would urge the Central Government to bring a law to provide for further representation of OBCs such as reservation of 33 per cent in State Assemblies and also in the Lok Sabha. This would ensure that the issues pertaining to OBCs are raised and resolved more effectively.

Further, to benefit Other Backward Classes in India, the following three steps can be taken. The first step is to enhance educational opportunities by implementing targeted educational programs and scholarship schemes to improve access to quality education for OBC students. The second step is to take

skill development initiatives. The Government should launch skill development programs specifically tailored for OBC youth to enhance their employability in various sectors. The third step is to provide entrepreneurship support. The Government should provide financial assistance, subsidies, and training for OBC individuals to encourage entrepreneurship and self-employment.

Establishing a dedicated Ministry for Other Backward Classes which comprise about half of India's population could significantly address and streamline the specific challenges they face. Unlike the tribal communities which have a dedicated ministry, the OBCs currently lack a specialized Government body to focus on their unique needs and issues. This proposed Ministry would play a crucial role in ensuring the effective implementation of quotas reserved for OBCs, both in educational institutions and employment sectors. Moreover, it would serve as a dedicated platform to address various forms of discrimination that OBCs encounter, and to promote greater social justice and equity. The Ministry could also oversee the development and implementation of policies and programmes specifically tailored to improve the socioeconomic conditions of the OBC community ensuring that their concerns and rights are adequately represented and addressed at the national level.

It has been observed that there are several Government bodies that do not meet the requirement of 27 per cent positions to be occupied by OBCs. One such example are our Central educational institutions that have a severe deficit in recruiting faculty members from Other Backward Classes. The Government data from 2021 revealed a staggering 6,074 vacant faculty positions in 42

Government-run universities with 75 per cent of these vacancies falling within the reserved categories ranging from 62 per cent to 90 per cent vacancy for OBC positions. Proper implementation of the reservation policy is crucial, and the Government must focus on rectifying this issue. Expedited recruitment for reserved categories, regular monitoring, and Government-sponsored preparatory programs are essential measures.

With these comments, I support the Bill on behalf of YSR Congress Party.

माननीय सभापति : श्री हसनैन मसूदी जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जी, आप उस वक्त नहीं थे । इनके बाद आपको अवसर दिया जाएगा ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब । आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ । मैं इस बिल के कंटेंट से ज्यादा बिल के फॉर्मेशन पर, यह जो प्रयास है, उस पर आ रहा हूँ । मैं माननीय सदस्यों से यह दरखास्त करूंगा कि वे देख लें कि क्या किया जा रहा है? वर्ष 1999 का कानून, जो जम्मू-कश्मीर असेंबली ने पास किया है तथा वर्ष 2000 का जो कानून है, उसमें संशोधन, तरमीम की जा रही है । 5 अगस्त, 2019 को जो एक मार्केट किया गया इंस्टिट्यूट पर कि जम्मू-कश्मीर में कुछ भी नहीं है, कोई पंचायत नहीं, कोई कानून नहीं है, इसलिए 5 अगस्त को जो फैसले किए गए, वे जरूरी बन गए ।

जनाब, अब उनकी तकजीब होती है । What was said is belied. वर्ष 1999 में कानून मौजूद था । वहां पर पंचायतों का इलेक्शन 1968 में हुआ । वहां पर तीनों स्ट्रक्चर मौजूद थे । यह जो बयान दिया गया है, वह 5 अगस्त के फैसले को मार्केट करने के लिए उसकी तखसीम होती है, यह पहली बात है ।

वर्ष 1999 में पंचायती राज एक्ट था और वर्ष 2000 में म्यूनिसिपल एक्ट व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट था । 5 अगस्त, 2019 को जो बयान बनाया गया और कहा गया कि इससे सब ठीक हो जाएगा । कल कारगिल और लेह सब-जीरो टेंपरेचर में हैं । माइनस 10 डिग्री में सारी की सारी आबादी सड़कों पर थी । कारगिल और लेह बंद था ।

जनाब, हमने 5 अगस्त के फैसले से मुल्क को क्या दिया? हम अपनी जम्मू-कश्मीर और सारे मुल्क की आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं । यह भी कहा गया कि मिलिटेंसी खत्म हो गयी । हमने वीर जवानों तथा अपने 20 ऑफिसर्स को पिछले 3 महीनों में खोया । उनमें एक कमांडिंग ऑफिसर था । मैं बार-बार कहता हूँ कि किसी कमांडिंग ऑफिसर की रेगुलर वॉर में भी डेथ नहीं हुई ।

जनाब, 5 अगस्त, 2019 का जो वह फैसला था, क्या वह इससे गलत था, अलग था और वाक्यात के खिलाफ था? मैं कंटेंट पर नहीं हूँ । जम्मू-कश्मीर को क्या बनाया गया और कैसे एक लैबोरेट्री बनाई गई और सारे देश को वोट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए मार्केट किया जा रहा है । दरअसल वाक्यात क्या थे और क्या थे, जो छिपाए गए?

जनाब, दूसरी बात यह है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फेडरल स्ट्रक्चर हमारे आईन का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारी एक कांस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। आज आप पार्लियामेंट में एक स्टेट के बनाए गए कानूनों का बार-बार अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या यह फेडरल स्ट्रक्चर के तकाजों के मुताबिक है? क्या हम कहीं न कहीं वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं? जो मूल मंत्र है हमारी कांस्टिट्यूशन का, जो मूल मंत्र है हमारी पॉलिटी का। जब हमने वर्ष 1950 में आइन बनाया तो हमने कहा 'We the people, adopt, enact and give ourselves this Constitution.' उसमें यह कहा गया है कि स्टेट के लेजिस्लेचर का इख्तियार क्या होगा और पार्लियामेंट का अख्तियार क्या होगा। आखिर इसका मिसयूज हम क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट इसका क्यों गलत इस्तेमाल कर रहा है?

जनाब, दूसरी बात, यह क्या बात है कि डेढ़ करोड़ लोग हैं, यह संशोधन उस असेंबली में होना चाहिए था, जहां पर यह कानून बनाया गया था। आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है? हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और कोई असेंबली नहीं है। असेंबली के ये सारे लोकल मामलात हैं, इसलिए सारे लोकल इनपुट्स होने चाहिए थे और लोकल तरजीहात होनी चाहिए थी। वहां की असेंबली के जो मेम्बरान हैं, वे आकर इस पर बहस करते कि क्या-क्या आवश्यकता है, कौन-कौन अन-रिप्रेजेंटेटेड रहा है? जहां तक खवातीन का ताल्लुक है, पहले से ही खवातीन की रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में मौजूद थी। हर टियर पर थी। जो डीडीसी इलेक्शन हुए, उसके बाद वहां के चेयरमैन हुए, वह सारा वहां पर बरकरार रखा गया। लेकिन, क्या वजह है कि असेंबली नहीं बनाई जा रही है, इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं और न ही कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। आप 5 अगस्त के फैसले को हर बार सिर्फ हसुलयाबी से तहबियात करते हैं, जबकि हर गुजरते दिन के साथ आपको यह अहसास कराया जा रहा है कि आपने जो फैसले किए थे, वे फैसले सही नहीं थे और देश के हित में नहीं थे। हम देश के साथ हैं। हमने देश के साथ रिश्ता जोड़ा है। इसलिए, वे फैसले देश के हित में नहीं थे, यह साबित करता है। वहां मौके पर मामलात हो रहे हैं।

जनाब, कोई चीज आईन के दायरे के बाहर नहीं होनी चाहिए। यह मुल्क हरेक नागरिक का है। इसका इंटरैस्ट हरेक के दिल के करीब होना चाहिए। इन्होंने यह अपने सियासी फायदों के लिए किया है। वहां पर जब वह नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या मामला है? उसको देखना चाहिए। वहां के डेढ़ करोड़ लोगों के जो इख्तियार हैं, जम्मू के लोगों के जो इख्तियार हैं, कश्मीर के लोगों के जो इख्तियार हैं, लद्दाख के लोगों के जो इख्तियार हैं, अगर यह होता तो जम्मू में अनसर्टेनिटी क्यों होती? जम्मू में गैर-यकीनियत क्यों होती? जम्मू में तनाव क्यों होता? यह सिर्फ कश्मीर में नहीं है। लद्दाख में लोग जीरो टेम्परेचर पर क्यों होते, माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पर क्यों होते? मेरा कहना है कि एक टाइम फ्रेम दिया जाए। यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट कहे कि इलेक्शन कीजिए। यह हमें पहले करना चाहिए था। कांस्टिट्यूशन का जो तकाजा है, उसको पूरा करते हुए वहां पर इलेक्शन कराना चाहिए था। लेकिन, हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया। मुझे लगता है कि सरकार के लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये इलेक्शन के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं। आप इसको उस असेम्बली पर छोड़ दीजिए। मैंने कल भी कहा था। कहीं न कहीं यह दिखता है कि जैसे एक तरीकेकार हो। 1.5 करोड़ लोगों का जो जम्हूरी हुकूक है, क्या आप उनको महरूम रखेंगे? वहां के आईन के तहत इलेक्शन होगा।

जनाब, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम बड़े-बड़े फैसले करेंगे। मुझे लगता है कि उससे पहले यह फैसला होना चाहिए कि आप 5 अगस्त के फैसले को नजरसानी कीजिए, रेट्रोस्पेक्शन कीजिए कि देश ने क्या पाया और इससे कितना नुकसान हुआ। उस पर चर्चा कोई कीजिए। इस हाउस में उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसको वहां की असेंबली पर छोड़ना चाहिए। वहां की असेंबली इसका फैसला करेगी।...(व्यवधान) जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए।...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी) : माननीय सभापति जी, ये चुनाव से केवल यह मान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है। हमारी सरकार ने 5 अगस्त के बाद वहां पर सरपंचों के चुनाव

भी कराए हैं, ब्लॉक के भी चुनाव कराए हैं, जिला पंचायत के भी चुनाव कराए हैं। जम्मू-कश्मीर में पहली बार 35,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को अवसर मिला है।

माननीय मसूदी साहब ने ये कहा है, पहले वहां पर संविधान के सारे प्रावधान नहीं लागू थे। यह संशोधन इसलिए लाना पड़ रहा है, क्योंकि संविधान के भाग 9 और 9(ए) में पंचायतों और नगर पालिका के लिए पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए प्रावधान था, लेकिन जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। इस संवैधानिक भूल को सुधारने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

एक तो एनडीए की सरकार में लोकल बॉडीज़ में जो चुनाव होते हैं, वह ठीक नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है, वह 'शर्म' की बात है। वहां अधिकारी को देखकर चुनाव में घोटाला किया गया। आप लोगों को 'शर्म' आनी चाहिए। माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने ऐसा बोला।... (व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात यह है कि जब भी मैंने जम्मू और कश्मीर के किसी मसले पर इस हाउस में बोला है, तो मैंने बार-बार बोला है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दो। वर्ष 2019 में अपनी मनमानी करके जम्मू और कश्मीर को एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया, फिर लद्दाख को भी अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया। आपकी जैसी इच्छा है, हिन्दुस्तान में यह पहली बार है कि एक राज्य को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है। इसके पहले केन्द्रशासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था। आपने यह जो किया है, गलत किया है।... (व्यवधान) इस सबके बारे में बिधूड़ी जी कुछ नहीं समझते हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, सिर्फ आप बोलिए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं बोलता रहूंगा। ये बिधूड़ी जैसे लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलते रहिए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, जैसा मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर की असेंबली का चुनाव हो जाए। ये हमारी मांग है। आप छोटा-मोटा कानून लाते हैं, इसको अंग्रेजी में टिकरिंग कहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मंत्री जी, आपको क्या हुआ? लगता है कि आपको कोई समस्या है। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have every right to say everything in your reply, but not now, please.

... (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : महोदय, ये टिकरिंग नहीं चलेगी। जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर चुनाव कराया जाए। उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। उसके बाद आप जितने कानून बनाने चाहते हैं, तो आप राज्य को बोलिए, वे करेंगे।

सर, जो कानून लाए हैं, इसमें दो-तीन चीजें हैं कि पंचायत और पौर निगम के अंदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिज़र्वेशन लाया गया है। इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता है। आप इसको कीजिए, लेकिन मूलभूत सवाल को छोड़कर इन छोटे-मोटे सवालों पर मत फांसिए, फिर म्युनिसिपैलिटी में ओबीसी को संरक्षण दिया जाएगा।

सर, तीसरी बात यह है कि वहां पर कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं था। वहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हुआ करता था। अभी इस अमेंडमेंट से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बन रहा है। वहां जो नीचे स्तर का चुनाव है, उससे पंचायत या पौर निगम के चुनाव कराएंगे। उनको पावर क्या होगी, यह भी इस नए कानून में दिया गया है कि राज्य में सब पंचायत और पौर निगम का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। यह भी बताया गया है कि पहले स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा सकते थे, लेकिन अभी यह कानून बना है कि हाई कोर्ट के जज को जिस ढंग से

हटाया जाता है, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। सभी स्टेट्स में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह पावर है और उनको हटाना भी उतना ही मुश्किल है। जैसा हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है, वैसे ही उनको हटाया जाएगा। मैं आज कहना चाहता हूँ कि यहां अमित शाह जी मौजूद नहीं है। वह कहां-कहां चले जाते हैं, पता भी नहीं है। उनका नाम है कि वह कानून लाएंगे -- 'Shri Amit Shah to move that the Bill further to amend...' अमित शाह जी कहां हैं? नित्यानंद राय जी खड़े हो जाते हैं, अजय मिश्रा टेनी खड़े हो जाते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, यह अनावश्यक बात है। You know it.

... (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : सर, इसमें क्या लिखा है?

माननीय सभापति : ठीक है, लेकिन परमिट तो किया है। His MoS is piloting the Bill. This is not an issue.

PROF. SOUGATA RAY: Which MoS are you talking about? There are two MoS sitting side by side. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the Bill.

... (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : सर, अमित शाह जी के साइड बाई साइड तीन असिस्टेंट्स हैं। ... * ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए। मुझे लगता है कि आप अपनी बात कह चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : आप इतने सम्मानित सदस्य होकर ऐसी बात कह रहे हैं।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ... (व्यवधान)

* Not recorded as ordered by the Chair.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shrimati Supriya Sule ji.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, nothing is going on record.

... (*Interruptions*) ...*

HON. CHAIRPERSON: Sougata Da, nothing is going on record now.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सुप्रिया सुले जी, आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : उनकी कोई चीज़ रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here in support of this Panchayati Raj Bill. As I support this Bill, there are a few questions which I would like to ask the hon. Government. I seek clarifications from the Government. I appreciate that the Government is trying to do lot of good things. That is what I hear when they speak about Jammu and Kashmir.

Hon. Chairperson, Sir, I want to ask pointed questions to this Government. The Panchayati Raj was brought in by the late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi ji for decentralisation of power which is a good thing. Power must be decentralised. But the question is this. Today, the people of Jammu and Kashmir demand two things – one is Statehood and another is State Elections. Can they give us a timeline and an answer with a date not just something vague because ‘n’ number of times Shri Amit Shah ji had committed to this House, to the nation, and to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh that they will take elections within the next one year? एक साल हो चुका है। क्या आप बता सकते हैं कि आप उनकी स्टेटहुड की डिमांड कब देंगे और इलेक्शन कब कराएंगे? हमें इसकी तारीख चाहिए। We do not want a vague answer. आप तीन महीने के अंदर कराएंगे, वह भी चलेगा। मुझे पता है कि आप तारीख नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप टाइमलाइन तो दे सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं।

Even Ladakh is demanding a legislature. So, will they give a legislature? They are also demanding it. So, what is the plan of this Government?

Sir, I want to ask one more question to this Government. ओबीसी में करेंगे, यह अच्छी बात है। We all support it. Right now, Maharashtra is going through the most

difficult issue of reservations. भले मराठा हो, धनगर हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, हमारे विजियंटी हो this Government is bringing piecemeal reservations. इसके बाद हम फिर से जम्मू-कश्मीर एससी-एसटी का बिल लेकर बैठने वाले हैं। So, what is this Government's clear stand on SC/ST and OBC? It is because they are not doing the same. महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है और मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, विजियंटी, बाम्टा, टकारी, रामोशी और सब समाज मांग रहे हैं। इस सरकार का एक नियम जम्मू-कश्मीर के लिए पीस-बाई-पीस लाते हैं और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। So, why does not this Government bring a policy for the entire country? एक पॉलिसी देश के लिए लाए, जहां ओबीसी हो, एससी-एसटी हो, जो भी आरक्षण दे, उसके लिए क्लीयर पूरा सबजैक्ट सब साथ में लाए तो देश में अच्छे से चर्चा हो सकती है और यह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। To give OBC reservation, there is a condition. महाराष्ट्र में भी अब लिटिगेशन हो रहा है। महाराष्ट्र में जो इनके साथ भुजबल साहब हैं, उनका ओबीसी के लिए एजिटेशन चल रहा है। उसमें उन्होंने ट्रिपल टैस्ट का जो इश्यू है, I am sure you are all aware. One is a dedicated commission to examine the backwardness, second is to determine the size of the quota and third is that these reservations combined with SC/ST quota should not go over fifty per cent. यह जो ट्रिपल टैस्ट है, इसके बारे में is the Government of Jammu & Kashmir and Ladakh ready with all these things? नहीं तो हम यहां से पास करके भेज देंगे और फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में दो-ढाई साल से एक इलेक्शन नहीं हुआ है। न पंचायत का हुआ है, न जिला परिषद का हुआ है और न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ है। It is because all this is grey area, कोई कोर्ट में चला गया है। A State like Maharashtra which needs centralisation of power सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते हैं। आज नगर सेवक चाहिए। आम आदमी कहां जाए? जिला परिषद का मैम्बर चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन रुके पड़े हैं। So, we do not want this to happen. जो महाराष्ट्र में हुआ, वह जम्मू-कश्मीर में न हो। इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूं और

जैसे आप जम्मू-कश्मीर में करेंगे, वैसे महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। तीन-तीन लोग हैं, दो सौ एमएलए हैं, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आपकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वह इलेक्शन में कुछ करे। It is in the larger interest.

I seriously request this Government for election date, statehood and a demand for this triple test. How are they going to resolve this? We support it but with all these clarifications.

Thank you.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय सभापति जी, मैं अपनी शिव सेना पार्टी की तरफ से जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 के समर्थन में मैं यहां खड़ा हूं।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यहां धन्यवाद दूंगा कि अभी तक जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से आज आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय उपलब्ध होने जा रहा है।

महोदय, अब तक की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा था। वैसे तो विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है। लेकिन हकीकत में यह यथार्थ से बहुत परे है। इन लोगों ने गरीबों को गरीब रखने में और पिछड़े को पिछड़ा रखने में अपना फायदा समझा। कांग्रेस ने गरीबी मिटाने के बड़े वायदे किए, बड़े नारे लगाए। न गरीबी हटी और न पिछड़े वर्ग को वहां न्याय मिला।

महोदय, केन्द्र में सबसे लम्बे समय तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी भी ओबीसी की चिंता नहीं की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने काका कालेलकर के साथ जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार बाद में भी होता गया। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी द्वारा मंडल आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए 29 जनवरी, 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गयी थी।

हालाँकि, नेहरू जी ने कालेलकर समिति के प्रस्तावों को अनाप-शनाप तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया था। जब बीजेपी समर्थित वी.पी. सरकार केंद्र में स्थापित हुई, उसी समय मंडल आयोग लागू किया गया, जिसका राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पुरजोर विरोध किया। यह स्पष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, पार्टी की पक्षपाती और ओबीसी विरोधी मानसिकता ने उसे ओबीसी समुदाय को मजबूत करने से रोका।

सभापति महोदय, जब से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में एनडीए सरकार सत्ता में आई है, तब से गरीबों के उत्थान में वृद्धि हुई है और सत्ता में एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी बढ़ी है। इस विधेयक से जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग के अलावा भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित होंगे, जिससे चुनाव करने में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे।

सभापति महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ओबीसी के लिए बड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। संविधान (123वां संशोधन) विधेयक बनाकर संविधान में एक नया अनुच्छेद 338बी जोड़ा गया है। यह बिल संसद में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। एनसीबीसी के पास अब सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। इसमें लोगों को बुलाना और शपथ पर उनकी जांच करना, किसी दस्तावेज या सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता तथा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है।

एनसीबीसी को अब पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन करने का अधिकार है। यह अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की भी जांच कर सकता है और ऐसे वर्गों को सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह दे सकता है और सिफारिशें कर सकता है। अब इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान दर्जा मिल गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के चलते 57 लाख लोगों को कुनबी का सर्टिफिकेट देने के लिए उनके रिकॉर्ड में साक्ष्य मिले हैं। अब उन लोगों को वहां पर कुनबी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। बहुत दिनों से संसद में भी जातीय न्याय जनगणना की बात हो रही है। अगर वहां पर वर्ष 2026-27 में होने वाली जनगणना में ओबीसी की भी जनगणना की जाएगी तो अच्छा होगा। जिन स्टेट्स में ओबीसी ज्यादा होंगे, उन स्टेट्स में ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा और जिन

स्टेट्स में कम होंगे, उन स्टेट्स का आरक्षण कम कर दिया जाएगा। इनकी जनगणना करने की आवश्यकता है। आज महाराष्ट्र में कोली, धनगर, लिंगायत और बहुत सारे समाज के अलग-अलग वर्गों में आरक्षण के लिए बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि पिछड़े वर्ग का जो आयोग बना है, उसके माध्यम से कोली, धनगर, लिंगायत और जो भी लोग यह चाहते हैं कि उनके समाज की वहां पर जनगणना की जाए और उनकी आयोग के माध्यम से जांच करके अगर कोई एसटी में जा सकता है तो उनको एसटी का आरक्षण मिल जाए, कोई एससी में जा सकता है तो उनको एससी का आरक्षण मिल जाए। अगर कोई ओबीसी में आ सकता है तो उनको ओबीसी में आने का प्रावधान होना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है और वहां पर आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए और लोगों की जो मांग है, उसको उचित ठहराने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उन सभी समाजों की जांच की जाए। अगर जांच सही हो तो उनको तुरंत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

13.00 hrs

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूँ। आज जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं इसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। आजादी को करीब 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक जम्मू-कश्मीर में ओबीसी एवं महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। सरकार यह बिल लाई है। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देते हुए कहूंगा कि ओबीसी के लिए जो नियम, जिस तरह से बिहार के पंचायती राज एवं नगरपालिका में लागू हैं, उसी व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान है। मेरा अनुरोध था कि इसे 50 प्रतिशत करना चाहिए। जो महिलाएं शोषित, पीड़ित और ओबीसी वर्ग में हैं, उनको यह लाभ मिलता है। निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और विकास में चार चांद लगेंगे।

आज मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि महिलाओं के लिए जो 33 प्रतिशत आरक्षण लाया गया है, इसको बिहार की ही तर्ज पर और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जिस तरह से देश में महिला आयोग है। वहां भी राज्य में महिला आयोग बनना चाहिए, जिससे महिलाओं को लाभ हो। हमारे देश में जिस तरह से पिछड़ा आयोग बना है, वहां भी पिछड़ा आयोग हो, तो निश्चित रूप से ओबीसी वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति जी, आज जम्मू-कश्मीर के पंचायतों में निकाय चुनाव में ओबीसी समाज के लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में ही कहा था – 'सबका साथ-सबका विकास'। उसी पद्धति के तहत जिनकी जितनी भागीदार, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

सर, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसी लोकतंत्र की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में उस समाज के डेढ़ करोड़ लोग रहते थे, जहाँ केवल तीन परिवार आधिपत्य जमाए बैठे थे। तीन परिवारों की बपौती के कारण वे गुलामी की मानसिकता से जीवन जी रहे थे।

सर, मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 के हटने से पहले एससी समाज को वोट डालने का भी अधिकार जम्मू-कश्मीर में नहीं था, जो इसी देश के नागरिक हैं। इनको योगेन्द्र मंडल की बात याद करनी चाहिए। जब वर्ष 1947 में देश का पार्टिशन हुआ था, तो वे जिन्ना के साथ गए थे और उस समय पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 23 प्रतिशत थी, जो आज घटकर डेढ़ प्रतिशत रह गई है। उसके पीछे उस समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखना केवल देश को बपौती समझ कर राज करने की मानसिकता थी। आज जम्मू-कश्मीर की जो जम्हूरियत है, उनकी मेहरबानी पर जीने को मजबूर हुआ करती थी। मैं उससे संबंधित कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटी। मसूदी साहब यहां बैठे हैं, अगर वे सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा। उन्होंने बड़े अच्छे शब्द कहे थे। वे अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, जो उनको सूट करती थी।

सर, पिछले पांच सालों में वहां पर 58 प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं, जिनमें से 32 प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं। वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच में वहां 5,300 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज वर्ल्ड का हाइस्ट रेल ब्रिज जम्मू-कश्मीर में बना है और वह मोदी जी के नेतृत्व में बना है। एशिया का लॉगैस्ट रोड टनल अगर कहीं बना है, तो वह उधमपुर में जम्मू-कश्मीर के अंदर बना है। जम्मू-कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारा ताज है और हमारे भारत की पहचान रही है, जिसकी खूबसूरती को पिछले 50 सालों में वोट के कारण एक खानदान, एक परिवार के द्वारा बर्बाद करने का काम किया गया है। यह

तीन परिवारों का पालन-पोषण करके उनके साथ मिल कर किया गया है। अगर मैं हाईवे, रोड की बात करूं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 17,601 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जिनमें 2,074 जगहों को कनेक्टिविटी दी गई है। वर्ष 2021-22 में जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे ज्यादा सड़क बनाने का रिकॉर्ड बना है। जम्मू-कश्मीर में 6,450 किलोमीटर सड़क बनी है, जो शायद किसी अन्य राज्य में कहीं नहीं बनी है। अभी सौगत राय जी चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले पांच साल में 170 नए ब्रिज बनाने का काम हुआ है। नई बनिहाल और एंड चेनानी टनल बनाने का काम हुआ है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला का 272 किलोमीटर का लास्ट फेज चल रहा है, वह कम्पलीट होने जा रहा है। एनएच-48 हाइवे का लास्ट फेज चल रहा है, जो कि 6 फेज में बांटा गया था, जिसके चार फेज कम्पलीट हो चुके हैं। ग्रीन फील्ड हाइवे का काम दिल्ली से वैष्णो देवी तक 670 किलोमीटर का 37,524 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। अमरनाथ का 210 किलोमीटर का 5300 करोड़ रुपये की लागत से एक रोड बना है। जम्मू श्रीनगर हाइवे का काम 3127 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। पहले 8-10 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब 4 से 5 घंटे लगते हैं।

अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जिन युवाओं के हाथ में 500 या हजार रुपये पकड़ा कर पत्थर फेंकने के लिए स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। अगर देश के किसी छोटे से यूटी में दो एम्स कहीं बने हैं, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी साहब ने जम्मू-कश्मीर में बनाने का काम किया है। कश्मीर के लोगों के बच्चे डॉक्टर बन सकें, उनके लिए 7 मेडिकल कॉलेजेज, 28 नर्सिंग कॉलेजेज, दो कैंसर के इंस्टीट्यूट्स, 50 नए डिग्री कॉलेजेज, आईआईटी, आईआईएम कॉलेज चालू कर दिए गए हैं। वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो गई है। वहां पर जी-20 के दो-दो कार्यक्रम हुए, जहां जम्मू-कश्मीर में लाल चौक के ऊपर क्या कहानी कही जाती थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके आगे मैं आना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जम्मू-कश्मीर में डेढ़ करोड़ की आबादी है, एक करोड़ 80 लाख पर्यटक पिछले 3 साल में वहां गए हैं। वहां के लोगों को रोजगार दिया है और वहां के लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। पीएम आवास योजना में 50

हजार गरीब लोगों को, जो आज़ादी के 50 साल के बाद भी जम्मू-कश्मीर में कच्चे घरों में रहते थे, 50 हजार लोगों को पक्के मकान देने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने, जम्मू-कश्मीर, देश और अपोजिशन के लोगों के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि जहां 30 साल से सिनेमा और थियेटर बंद पड़े हुए थे, आज सौ से ज्यादा शोज वहां चलाए जाते हैं। वहां लोग फिल्म देख रहे हैं। सुप्रिया जी, केजरीवाल की बहन लगती हैं। पत्थर फेंकती है, भाग जाती है। अगर वह यहां होती तो मैं उनको बताता, मसूदी साहब सुन रहे हैं, दादा साहब आप भी सुन लीजिए। वर्ष 2004 से 2014 के बीच 7217 अटैक हुए थे, जब कांग्रेस और मसूदी साहब आप लोगों की सरकारें चला करती थीं। लास्ट दस साल में टेररिस्ट्स के केवल 2000 अटैक हुए हैं। अगर टेररिज्म में 70 परसेंट का रिडक्शन हुआ है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की सोच के कारण हुआ है। वहां लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के कारण हुआ है। अगर मैं सिविलियन फोर्स के सहारे लगा कर, यह नहीं होना चाहिए था, यह शर्मनाक है।... (व्यवधान)

सर, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। कुछ लोगों को यह जानकारी रहनी चाहिए, ये लोग अपने ट्विटर हैंडल से, कहीं से बोलते होंगे, देश गुमराह होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या हो रहा है? वर्ष 2010 में पत्थर मारने की घटनाएं 2654 थीं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थर मारने की 4 घटनाएं हुई हैं। मूसदी साहब चार हुई हैं, वह तुम्हारे चेले कहां चले गए, आप उनसे पूछिये। दस साल के अंदर 6235 लोगों की, सिटीजन्स ऑफ वैली की मृत्यु हुई थी। अब वर्ष 2023 में एक भी ऐसी सिविलियन की मृत्यु आतंकवादियों के द्वारा नहीं हुई है। वर्ष 2014 से पहले घुसपैठ की 489 कोशिशें हुई थीं, अब कुल 48 हो गई हैं। वह भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं। बॉर्डर से गोविंदपुरी, कालकाजी, दिल्ली, निजामुद्दीन, बम्बई में बम ब्लास्ट होते थे। आप वहां से आतंकवादी,

घुसपैठियों को परमिट दिया करते थे, उनके परमिट बंद हो गए हैं, आप कांग्रेस के सहयोग से जो परमिट देते थे। बम ब्लास्ट करने वाले हिंदुस्तान में आने बंद हो गए हैं और आज एक भी केस नहीं है। अब तक एनआईए के द्वारा, क्योंकि वह तो सब इनके रिश्तेदार थे, इनके चाहने वाले थे, इनकी शह पर चलते थे, एनआईए के द्वारा दस साल में केवल 229 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या रिश्तेदारी थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। उनकी स्टेट में 150 संपत्तियां काबू की गई हैं और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के 134 बैंक एकाउंट्स से 100 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। आज ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, मैं देश के गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। 'सबका साथ, सबका विकास' के रूप में मोदी जी ने उच्च वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इन्होंने पिछले 10 साल में प्रचार किया कि ये एससी, एसटी रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, लेकिन उनको छोड़े बगैर प्रधानमंत्री जी ने गरीब उच्च वर्ग के लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

वहाँ थर्ड लार्जस्ट पॉपुलेशन गुर्जर-बक्करवाल है। उनके पास एसटी का आरक्षण है। वे पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। अब वे ऊपर आने लगे हैं। आज उनको बीडीसी और डीडीसी के अन्दर मेम्बर बनने का मौका मिला है, तो मसूदी साहब, उनको यह मौका अनुच्छेद 370 हटने के बाद मिला है। हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर वे मेम्बर हैं। आज से पहले आपने उनको आरक्षण देकर कभी बराबरी का हक नहीं दिया था। आप उस राज्य को अपनी बपौती समझकर उनसे नौकर की तरह व्यवहार करके काम करवाते थे, उनका शोषण किया करते थे। अभी जो एसटी का आरक्षण दिया जा रहा है, पहाड़ियों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि उनके आरक्षण में कटौती किये बगैर, चूंकि उनमें एजुकेशन नहीं है, शिड्युल्ड कास्ट्स में भी जिन जातियों में एजुकेशन नहीं है, उनको उसका आरक्षण नहीं मिल पाया था। केवल कुछ ही वर्गों के लोग, जो पढ़े-लिखे हुआ करते थे, वे इसका लाभ ले पाये थे। पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन गुर्जर-बक्करवाल के

आरक्षण को छोड़े बगैर, उसे विस्तृत करके आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। मैं यह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

Sir, I think India is probably the only country where people are discriminated from their birth itself. For several centuries, people have been discriminated on this ground. You can say that this particular community is not going to ever grow in life. They were oppressed to such an extent that we had the horrible crime of untouchability being practised in this country. It took several great leaders to be able to bring in a law against untouchability. Baba Sahab Ambedkar brought in a law where he said that untouchability is a crime, and it should not be practised.

But we have to acknowledge that despite this law the practice of untouchability is still in vogue in several parts of India. I think the appropriate way to bring that down is to empower those people through reservation. But we have reservations only in elected bodies like Parliament, State Legislative Assemblies and local bodies. We are trying to empower those people who have been oppressed for several centuries. Rajiv Gandhi was the leader who wanted to decentralize the power and give it to the local bodies, and for this he introduced the panchayati raj system.

Sir, this Government is talking about the local bodies in Jammu and Kashmir where they want to empower OBCs. I commend this Government for that. It is a very great move. But the problem is that for several hundreds of years these people have been put down and now for 75 years only we have this policy of reservation through which we encourage the downtrodden people to grow up in life.

But we do not have a clue about what has happened with this reservation policy. For 75 years, we have been giving reservations to several communities. If you look at OBCs, it is not just two or three communities. There are hundreds of communities which fall within that OBC category. Unless we have caste-based census, we will not be able to understand the effects of reservation and find out which communities have benefited and developed out of this, and which particular communities are still being oppressed. We have to find out such communities which have not been benefited so far so that they can be brought up in the society.

Sir, if you want to recollect, Tamil Nadu is the first State to have the highest number of reservations. We have 69 per cent reservation, and we feel that proportionate reservation is necessary. We have to first identify what all the communities are. When the Government says that this reservation is for OBCs, I feel that we should also have reservation for several communities within OBCs itself.

The Government of India has a creamy layer concept. They say that if a person of one generation has grown or graduated, his son is not eligible for these

benefits. The Government should understand that these communities have been oppressed for hundreds, if not thousands, of years. But they are saying that if one particular family has got the benefits of reservation, these benefits should not be given to the next generation of that family. So, I would suggest that this Government, which has brought in the concept of creamy layer, should say that those who are not from the creamy layer would be given the first preference, and that reservation quota should be reserved for those people even if they are from the creamy layer, and it would be provided to them.

Sir, I also want to say that in the Railway recruitment, in order to overcome the reservation policy, they have gone for two examinations.

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, these are the points which are being raised regarding this.

The Government was talking about empowering OBCs. If they really want to have reservation happening in respect of OBCs to the people who deserve it, we need to have a caste-based census.

In 2019, when Article 370 was abrogated, we opposed it not because Jammu and Kashmir should be treated separately; we felt that India is more of a continent where we have several regions speaking different languages and we have our own cultural identities. It is great to say that we are one nation. We are all part of the nation. If you talk about Tamil Nadu, we will say that we are Tamils first and Indians next. But if you come within Tamil Nadu and go to Madurai, the Madurai person will say that 'I am a Madurai person first and then only a Tamil'.

So, these are certain identities which we are living with and that identity should be respected.

When we oppose the abrogation of Article 370, we are saying that each and every State in this country, be it UP, be it Tamil Nadu, be it Kerala, we should have our freedom and independence to run our States the way we want to. You cannot say that we can have one concept of one nation and that every State in this country should be following that concept.

Sir, I would like to end by saying that first, you give back Jammu and Kashmir the statehood and then, let the people over there decide about this.

As a country, what you could probably do is to have a caste-based census. If a State Government does it, it is only called a survey - Bihar has done it and it is only called a survey - and it will not be officially acknowledged. So, I would like to ask this Government whether a caste-based census is on their agenda or not.

Thank you very much.

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत जी – उपस्थित नहीं ।

श्रीमती नवनित रवि राणा ।

कृपा करके दो-दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सर, दो मिनट भी बहुत हैं। हम तो संतोष रखने वाले लोगों में से हैं।

महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया है।

सर, अभी हमारे काफी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है। हर बात पर विरोध करना अपोजिशन की आदत है। जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखी है। जब हम पिछली बार वहाँ पर गए थे तो लोगों ने पूछा था कि आप हिन्दुस्तान से हैं और अब जब मैं हाल ही में जाकर आयी हूँ तो लोग कहते हैं कि धारा 370 हटाकर हम जम्मू-कश्मीरियन लोगों को जो न्याय देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है, वह हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, नहीं तो आज तक जितने भी लोग जम्मू-कश्मीर पर राज कर रहे थे, वे अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे, न कि कश्मीरियों के लिए काम कर रहे थे। आज सरकार जो अमेंडमेंट जम्मू-कश्मीर के लिए ला रही है, वहाँ पर जी-20 के माध्यम से जो विकास होना था, जो मार्केट होनी चाहिए थी, जो विजिटर्स लोगों के लिए, जो टूर करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थीं, वहाँ पर ए टू जेड जो काम होना चाहिए था, वह काम आज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।

यह हमारी बात नहीं है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं और लोकल लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी भावनाएं हमारे प्रति क्या हैं। उनसे बात करने पर हमें पता चलता है कि धारा 370 हटने के बाद जो काम होना चाहिए था, उस पर किस तरीके से काम हुआ है। बेरोजगारी पर क्या काम हो रहा है, जो ग्राउंडेड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका यही एक ही शब्द कहना था। ये अपोजिशन के लोग हैं। हमारे काका ने कहा कि जो जिस हालत में है, उसे जम्मू-कश्मीर में रहने दो। अगर उसी हालत में उसे छोड़ दिया तो यह सरकार आप जैसी नहीं हो जाएगी। मोदी जी का कहना है कि हम अपने कामों पर विश्वास रखकर लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं और वही न्याय जम्मू-कश्मीर में दिखाई दे

रहा है। जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर आम लोगों से बात करते हैं, हर बिल का अमेंडमेंट होने के बाद उनमें एक विश्वास जागता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा।

हमारे जम्मू-कश्मीर के लोग आगे बढ़ें, इसके लिए काम हो रहा है। मुझे लगता है कि विरोधियों को विरोध का चश्मा पहनना कम कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। विपक्ष को सिर्फ विरोध ही करना है। अमित शाह जी यदि कोई बिल लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए लाते हैं। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। विपक्ष, जो विरोध करने का चश्मा पहनकर बैठे हैं, इनसे हमारी विनती है कि देश को आगे बढ़ाना है, तो इन्होंने अपनी आंखों में विपक्ष का जो चश्मा पहना है, वह हटाकर जम्मू-कश्मीर और कश्मीरियन को मदद करने का काम इन लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। जैसी आंखें रहेंगी, वैसे ही जग दिखाई देगा। इनकी आंखों में यदि दोष होगा, तो इन्हें किसी भी अमेंडमेंट में और किसी भी बिल में कहीं भी सुधार नहीं दिखाई देगा।

सभापति जी, जिस तरह से अमित शाह जी के मंत्रालय के सभी मंत्री यहां बैठे हैं, वे एक-एक अमेंडमेंट जम्मू-कश्मीर के फायदे के लिए लाए हैं। यह बिल वहां के लोगों के लिए है न कि स्वयं इनके या इनके परिवार के लिए है, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी लोग बिल के साथ हैं और सपोर्ट करते हैं कि जम्मू-कश्मीर को भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रगति करनी चाहिए। आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर भी हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्र बनना चाहिए, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much for giving me this chance to take part in the discussion on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

In principle, I agree and support the Bill in providing reservation to Other Backward Classes. In principle, we fully agree with it. The Bill is introduced and piloted in this House by virtue of Article 243D, clause 6 of the Constitution of India. Technically, there is no wrong in piloting the Bill, in introducing the Bill. We have no apprehension and we have no reservation on this. But if you examine Article 243D, clause 6 of the Constitution of India, it says: "Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Panchayat or offices of Chairpersons in the Panchayats at any level in favour of backward class of citizens."

The spirit of the Constitution talks about the Legislature of a State. Yes, technically, you are correct. Since the Legislature is dissolved and since it has become a Union Territory, the Parliament is having ample and absolute authority to make laws for the Union Territories. But the spirit of the legislation is entirely different. It has to be by the State Legislature. The State Legislature is the will of the people of the particular State.

That is why at the time of repeal of Article 370, the hon. Home Minister has assured this House that Statehood will be brought back to the State of Jammu and Kashmir at the earliest, within one year. What has happened subsequent to the repeal of Article 370 or dividing the State of Jammu and Kashmir into two

Union Territories? It has never happened in the history of independent India. This is the first time in Indian history a State is being divided into two Union Territories.

A State might have been divided into different States but this is the first time in the constitutional history and the history of independent India that a State is divided into two Union Territories against the wishes of the people of Jammu and Kashmir. So far, no election is held.

The Statehood has not been brought back. In such a situation, you are coming with these laws. It is a law which is providing reservation to Other Backward Classes of the people in the State of Jammu and Kashmir. It is not fair on the part of the Parliament to make a law. Let the Statehood be brought back and the Assembly be reinstated so that the Assembly can very well provide the reservation to the people belonging to the Other Backward Classes in the State of Jammu and Kashmir.

Sir, at this juncture, I would like to say one more thing. Technically it is fully okay but principally it is not fair on the part of the Government in coming with such a Bill. We have to remember the 73rd and 74th constitutional amendments. During the time of the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, this had been piloted and passed. At the time of Shri Rajiv Gandhi, once it was tried and failed. This is a revolutionary change which took place in the country regarding decentralisation of powers, empowering the local bodies. Definitely, Jammu and Kashmir's local bodies have to be empowered. Election has to be held. Reservation has to be provided. But at the same time, the assurances made by the hon. Home Minister in this august House have to be completed at the earliest.

Also, as rightly said by Supriya Sule ji, when will the Statehood be brought back or the election will be held? Kindly give an assurance to this august House so that the people will be satisfied with that.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Namaskar Sir. Actually, there are only three Union Territories with Assemblies, namely Puducherry, Delhi and Jammu and Kashmir. The nature of two Assemblies, particularly Puducherry and Jammu and Kashmir are the same. I want to express my problems in Puducherry while comparing it with Jammu and Kashmir.

There is no Finance Commission and devolution of funds to the local bodies. It is not attached with the Central Finance Commission also. My humble suggestion is that the Finance Commission should be constituted for the Union Territory of Jammu and Kashmir and then only the local bodies will get funds. Otherwise, there is no meaning of local bodies. We have the same experience in Puducherry. The local bodies cannot function without funds. There is also no devolution of powers. This is the problem of the Union Territory.

There is no constitutional commitment for the Finance Commission for the Union Territories. It is not a statutory body. So, I would humbly request the Home Minister to constitute the State Finance Commission, and then only the local bodies will get the fund. The devolution of powers to the local bodies concerned should be done by the State Government, particularly by the Union Territories. It has not taken place because the Union Territory is controlled by the Lieutenant Governor and the Lieutenant Governor will not delegate powers to the local bodies. So, the Lieutenant Governor should delegate all the powers concerned to the local bodies and then only the functioning of the local bodies will take place.

In Puducherry, the local body leaders only have the social status, and there is no commitment for them. This is a major problem for the local bodies in the Union Territories. Thank you, Sir.

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989; जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000; और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों को संविधान के प्रावधानों के साथ सुसंगत रूप से संशोधित करने का प्रयास करता है। विधेयक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो स्वागतयोग्य है। इससे पिछड़ा समाज को उसका अधिकार प्राप्त होगा।

विधेयक में यह कहा गया है कि भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाएंगे जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। यह केन्द्र सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इससे स्थानीय निकायों का चुनाव सुलभ एवं निष्पक्ष होगा।

विधेयक में यह कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उनके कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल के बाद उनके लिए अहितकर बदलाव नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि इससे जम्मू-कश्मीर का चुनाव निष्पक्ष होगा और यह राज्य के हित में है।

महोदय, अपनी पार्टी की ओर से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab -- Not present.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the wake of the passage of Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 in Parliament last year, it necessitated introduction of the OBC reservation. So, I think that as a natural corollary of the passage of the Bill, it is quite necessary to pass this Bill. So, I do not have any opposition to this Bill in principle. There is no question of it. But I must suggest to peep into the time and space dimension of this legislative document.

Sir, Panchayat institutions in Jammu and Kashmir have already been suspended now because नौ जनवरी तक इनकी आयु थी। नौ जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत और नहीं बची हैं। सर, हालात ऐसे हो गए हैं कि पांच सालों से वहां कोई इलेक्टिड गवर्मेंट नहीं है। खास कर जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 2014 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ है। मतलब एक तरफ विधान सभा के चुनाव, दूसरी तरफ पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के चुनाव, सभी चुनाव, have remained in suspended animation.

आपने जब आर्टिकल 370 हटायी थी, आपका यह मकसद था, आपके कहने के मुताबिक कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और ताकत देने के लिए आर्टिकल 370 हटा रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि आपने वहां पर लोकतंत्र को कैसे ताकतवर किया है कि वहां कोई चुनाव ही नहीं होते हैं और बिना चुनाव के पंचायतें चलती हैं। आप उनको एक्सटेंशन दे सकते थे। मान लीजिए कि मोदी जी ने कल को कह दिया कि 100 दिन के बाद चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, मतलब नयी सरकार के गठन होने के पहले चुनाव होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों पहले चुनाव नहीं करा कर आप इस तरह का बिल लाते हैं? यह मेरा सबसे बड़ा सवाल है।

दूसरी बात, ये सब जानते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से यह वादा किया है कि वे कास्ट सेंसस कराएंगे और 50 पर्सेंट रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, उसको हटाएंगे। मोदी जी और यह सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब हम कास्ट सेंसस की मांग करते हैं तो मोदी

जी खुद कहते हैं कि हमारी कोई कास्ट ही नहीं है। ये चार कास्ट उन्होंने बनाए, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। हमारी मांग है कि यह कास्ट सेंसस कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे नेता राहुल गांधी जी और खास कर कांग्रेस पार्टी की इस मांग को स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा कर 50 परसेंट रिज़र्वेशन की जो लिमिट है, उसको भी हटाने की कोशिश करे। यह भी हमारी मांग है।

सर, ये घड़ियाली आंसू बहा कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के पहले ये एक डेमोग्राफिक कम्पोजिशन में, the Government has simply been fiddling with the demographic composition of Jammu and Kashmir in order to score political brownie points. लेकिन यह सरकार वहां पर चुनाव नहीं कराती है, वहां का स्टेटहुड बहाल नहीं करती है। इस प्रकार से वहां के आम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखती है। यह वहां के आम लोगों का अधिकार है। यह ट्रायल ऑफ पॉपुलेरिटी है। पूरे जम्मू कश्मीर के गांव वाले शंका में हैं कि उनकी तरक्की, उनकी जो सुविधाएं पंचायत के बंदौलत मिलती थीं, उसका क्या नतीजा होगा। इस तरह से हालात वहां पैदा हुए हैं।

सर, ये बेकार में ओबीसी, एससी एवं एसटी की बात करते हैं, यह सारी नौटंकी है। आप झारखंड में देखिए, कि इन्होंने कैसे एक आदिवासी मुख्य मंत्री को जेल में भिजवा कर, सरकार को हटाने की कोशिश की है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैं बड़े धैर्य और गौर से सभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो ये लोग उस बिल का, जो जम्मू कश्मीर की पंचायत और नगर निकायों में ओबीसी रिज़र्वेशन के लिए लाया गया है, उसके समर्थन का नाटक कर रहे थे और बार-बार उसको कहीं न कहीं घुमा रहे थे। मैं इनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भी घुमाइए या जिस प्रकार से भी घूमिए, मैं जम्मू कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ, जहां भी जाइएगा, आपको हर जगह मोदी, मोदी, मोदी और मोदी का विकास ही मिलेगा।

महोदय, एक तो जब से ओबीसी वर्ग का एक व्यक्ति इस देश का माननीय प्रधान मंत्री बना है, तब से इनको सर से ले कर पैर तक दर्द हो रहा है और वह आज भी परिलक्षित हुआ, जब ओबीसी के हित में जम्मू कश्मीर से संबंधित यह बिल लाया गया, तो बार-बार ये लोग कुछ न कुछ अपनी बातों से, अस्पष्टता के साथ उसको एक तरह से इंकार करने का काम कर रहे थे।

महोदय, यहां काफी सांसदों श्री जसबीर सिंह जी से लेकर श्री अधीर रंजन जी तक ने अपनी बात रखी है। पहले भी संशोधन हुए हैं, यह बात यहां कही गई। संशोधन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में एसटी के लिए 9 सीटें सुरक्षित की गई हैं। कश्मीरी विस्थापितों के दो सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है, जिसमें एक महिला होगी और एक, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्ति भी होंगे। यहां एसटी, महिलाओं और कश्मीरी विस्थापितों के विषय में चिंता व्यक्त की गई। इस सदन में इनके लिए पहले निर्णय लिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 के माध्यम से विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा को अन्य वर्ग में बदल दिया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सक्षम करने के लिए हम एक और अग्रणी विधेयक लाने में सक्षम हैं।

महोदय, आज मैं यहां अपनी बहन चिंता अनुराधा जी की बात सुन रहा था। वह कह रही थी कि यह ओबीसी विधेयक है और इसमें ओबीसी की चिंता की गई है। वह ऐसा कह रही थी कि यह सरकार इस देश के ओबीसी की चिंता करे। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ओबीसी के लिए मोदी जी की

सरकार कितना प्रतिबद्ध और चिंतित है तथा उनके कल्याण व विकास के लिए कितनी योजनाएं लाई हैं। इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा।

महोदय, जब वर्ष 2014 में सेंट्रल हॉल में माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और सरकार बन रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पिछड़ों को समर्पित है। उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पहली बार ओबीसी समुदाय के हैं, जिसका प्रतिशत 35 प्रतिशत होता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। संवैधानिक मान्यता प्रदान न होने से हमेशा पिछड़े वर्गों का आरक्षण संदेह के घेरे में था, पता नहीं किस समय किस ऑर्डर से उस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय ओबीसी के आरक्षण को बहुत मजबूती प्रदान किया गया। इन्होंने इस काम को नहीं किया। इसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने किया है। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब तक इन्होंने क्यों नहीं किया था? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिल रही है।... (व्यवधान) ये भी जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। इस काम को मोदी जी की सरकार ने ही किया है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया और आज अपनी हालत पर रो रहे हैं।

13.39 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

अध्यक्ष महोदय, पिछले नौ वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुछ संस्थानों में भी, जैसे आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। अब एक लाख रुपये तक की आय वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत रियायती वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अर्वाइड पीएम-यशस्वी के तहत ओबीसी छात्रों को वार्षिक 4000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता

दी जा रही है। ओबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनाएं, 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए वर्ष 2023 में 2 लाख लाभार्थियों को 678 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

महोदय, यह जम्मू-कश्मीर कश्मीर से संबंधित विधेयक है, मैं इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जम्मू-कश्मीर के ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की गईं। यह पहल सामूहिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश में समान अवसर सुनिश्चित करने और ओबीसी आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीति का पालन किया गया। वहां छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, छात्रावासों की सुविधाएं दी गईं। ओबीसी छात्रावासों का निर्माण कई स्थानों पर हुआ। जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना की गई। ... (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वहां सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की। वहां उपराज्यपाल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए जम्मू-कश्मीर में कई व्यवस्थायें लागू की गईं। एससी, एसटी की भी चिंता की जा रही है। एससी, एसटी महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों, सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी हुई। पहाड़ी समाज को भी चार प्रतिशत आरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव के निवासियों को भी आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर को भी दस प्रतिशत आरक्षण, सफाई कर्मचारी डोमेसाइल सर्टीफिकेट के लिए पात्र बनाए गए। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन योजनाओं में शत-प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदी साहब कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। मैं इस पर दो मिनट का समय जरूर लेना चाहूंगा और उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुआ है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक आयामों में व्यापक परिवर्तन देखे गए। बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय सुधार, पॉवर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण की क्षमता बढ़ी है। सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, रेल, हवाई, मेरे पास सभी

आंकड़े हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि संक्षिप्त उत्तर दिया जाए। मैं बता सकता हूँ, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार में प्रगति हुई है। आईटी, प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऑनलाइन सेवाओं में अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पंचायती औद्योगिक विकास, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है। शैक्षणिक सुविधा, रोजगार के अवसर, पर्यटन का विकास और सामाजिक कल्याण भी सुनिश्चित किया गया है।

आप कह रहे थे कि घटनायें बढ़ी हैं। मैं कह रहा हूँ कि घटनाओं में काफी कमी हुई है। केंद्र सरकार की पहल पर, मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की शांति, सुरक्षा, विकास का ख्याल किया गया। आजादी के बाद हमेशा आप लोगों ने अन्याय के रास्ते पर चलकर जम्मू-कश्मीर को कुचला है, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को न्याय देने का काम किया है।

आतंकवाद के खिलाफ माननीय मोदी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस है और उस नीति के कारण वहां विकास भी हुआ है। मैं थोड़ा इंडीकेटर देना चाहूंगा। वर्ष 2004 से 2014 के बीच कुल 7,217 घटनाएं हुईं। जून, 2014 से दिसम्बर, 2023 में ये घटनायें घटकर 2,224 हो गईं, यानी कि घटनाओं में 69 प्रतिशत की कमी आई। नागरिक के साथ-साथ सिक्योरिटी फोर्सों की आपके जमाने में जो दस वर्षों में 2004 से 2014 तक 2,829 घटनाएं थीं, मोदी जी के कार्यकाल में इन दस वर्षों में घटी हैं। आपने ही तो कहा, मसूदी साहब का सवाल मैंने नोट करके रखा है। उनका सवाल है, रिकॉर्ड में देख लीजिए, नहीं तो मैं ओबीसी आरक्षण से बाहर नहीं जाता। सुप्रिया जी, आप भी ओबीसी आरक्षण के बदले महाराष्ट्र के विषय पर चली गई थीं। ... (व्यवधान)

विगत दस वर्षों में 2829 से घटकर 913 यानी 68% की कमी हुई, नागरिकों की मृत्यु 1769 से घटकर 339 हो गई, इसमें 81 प्रतिशत की कमी हुई। सिक्योरिटी फोर्सों की मृत्यु 1060 से घटकर 574 हो गई, इसमें 46 प्रतिशत की कमी हुई है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु पहले होती थी, अब नहीं होती है। 2010 में स्टोन पेल्टिंग में 132 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब यह घटकर जीरो हो गया है, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सों उन 10 वर्षों में 6 हजार 235 हुए थे, अब यह घटकर जीरो हो गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: ये सारी बातें अमित शाह जी बहुत बार बोल चुके हैं, कुछ नया है तो बताइए।

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, आप अगर समझ गए हैं तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे पास उपाय ... (व्यवधान) मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा कि जब से धारा 370 हटी है, वहां से विभिन्न आयामों के साथ जम्मू-कश्मीर को न्याय मिल रहा है। सौगत दादा बोल रहे थे कि जम्मू-कश्मीर को अपने भरोसे छोड़ दो। जम्मू-कश्मीर के लोगों पर मोदी सरकार ने भरोसा किया है, लेकिन आतंकवादियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। आप लोगों ने आतंकवादियों को गोद में बैठा दिया था, जिसके कारण वहां समस्याएं उत्पन्न हुई थीं और उन समस्याओं के कारण जम्मू-कश्मीर के हालात बिगड़े थे, यह जगजाहिर है।

महोदय, जी-20 की चर्चा होती रही है, अमरनाथ यात्रा में 4 लाख 45 हजार यात्री सम्मिलित हुए, कश्मीरी विस्थापितों द्वारा अब प्रमुख धार्मिक स्थानों पर त्योहार मनाना शुरू हो गया है। मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। शारदा देवी मंदिर में दशकों बाद दीपावली मनायी गई है। श्रीनगर के लाल चौक पर मुह्रम के जुलुए निकले हैं। दो दरबार परंपरा समाप्त हो गई है। एक राजधानी होने से 400 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

महोदय, अब दो करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के वहां पहुंचने से वंचित, गरीब, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रोजगार का अवसर मिल रहा है। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा, लगभग 15 सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं। प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि टेक्नीकल रूप से ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। मोदी जी का सिद्धांत ओबीसी का कल्याण का है। ओबीसी का कल्याण हो और न्याय के साथ विकास हो, विकास की गंगा की धारा वहां तक पहुंचे, उनको विकास मिले, यही मोदी जी का सिद्धांत है। उसी सिद्धांत के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में इस विधेयक से यह व्यवस्था सोची गई है, इसी का प्रस्ताव सदन में आया है।

अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान भाग 9 और 9 (1) में पंचायत और नगर निगमों में आरक्षण का प्रावधान है। कुछ सदस्य कह रहे थे कि वहां पहले से ऐसी व्यवस्था है, कुछ सदस्य किसी कमेटी की चर्चा कर रहे थे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वहां नगर निगम और ग्राम पंचायत के चुनाव

में जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। जो चुनाव होता है और जो काउन्सिल के सदस्य चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों में चुने जाते हैं, उनके लिए आरक्षण नहीं था।

इस विधेयक में तीन संशोधन हैं, इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये तीनों संशोधन ओबीसी के हित में हैं। ओबीसी आरक्षण लागू करने में सुविधा प्रदान होगी, यह उसी से संबंधित विधेयक है। मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से इसे पारित करें ताकि जम्मू-कश्मीर के ग्राम पंचायतों और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले। उस आरक्षण के अधिकार में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, इसलिए ओबीसी के हित में और ओबीसी महिलाओं के हित में आप जरूर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू- कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 19 विधेयक के अंग बनें”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नित्यानन्द राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 25, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

माननीय मंत्री जी ।

13.50 ½ hrs

PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) BILL, 2024

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move:

“That the Bill to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक को लाते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक सुखद अनुभव हो रहा है। यह एक सुखद संयोग है, क्योंकि जब हाल ही में इस नए सदन में आए तो इस भव्य भवन में शिफ्ट होने के उपरांत आपकी अध्यक्षता में और इस पवित्र सोंगेल को साक्षी मानते हुए सबसे पहला विधेयक सरकार की ओर से इस सदन में लाया गया था, वह भारत की नारी शक्ति और भारत के नारी सामर्थ्य को समर्पित था। आज इस भवन में होने वाले दूसरे सत्र में जो विधेयक लाया जा रहा है, एक बार फिर आपकी अध्यक्षता में तमिलनाडु से लाए गए इस पवित्र सोंगेल की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विधेयक भारत की युवा शक्ति और भारत के युवा सामर्थ्य को समर्पित है।

13.51 hrs*(Shri N.K. Premachandran in the Chair)*

मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही वर्ग माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि समाज में चार ही जातियों को जानते हैं – महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। आने वाले 20 वर्षों में प्रत्येक नागरिक की भूमिका वर्ष 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य रहने वाली है क्योंकि एक के बाद एक महिला केंद्रित सुधार के लिए योजनाएं लाई गई हैं।

जहां तक आज के विधेयक का संबंध है, हम प्रमाण सहित कह सकते हैं कि गत दस वर्षों में युवा केंद्रित जितने भी प्रावधान लाए गए, विशेषकर युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर या उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन को लेकर, इन सारी प्रक्रियाओं में देखा गया है कि किस प्रकार की पारदर्शिता हो और किस प्रकार से प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा, योग्यता, परिश्रम के अनुकूल अवसर मिल सके। किस प्रकार एक लेवल प्लेयिंग फील्ड रहे कि वह समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, उसे दूसरे उम्मीदवार के बराबर मौका मिले और यही लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक युवा को यह सपना देखने का साहस हो कि वह किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, किसी भी शिक्षण संस्थान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी याचिका दे सकता है, परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण हो सकता है। इस तरह से आपको याद होगा कि सन् 2014 में 26 मई के दिन प्रधान मंत्री जी के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और उसके दो या तीन महीने के भीतर ही सितम्बर या अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एक नियम को समाप्त कर दिया, which we can say was a legacy, a dubious legacy of the British empire.

महोदय, हमारे नौजवानों को अपने दस्तावेज, अपने सर्टिफिकेट्स गैजटेड अफसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। वैसे तो यह नियम आजादी के तुरंत बाद समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन शायद विधाता को यह मंजूर था कि मोदी जी इस देश की बागडोर संभालें और फिर इस कोताही की पूर्ति हो। यह नियम समाप्त करते ही न केवल युवाओं को सुविधा मिली, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देश के कोने-कोने में गया कि अब भारत में एक ऐसी सरकार आ चुकी है, एक ऐसे प्रधान मंत्री आ चुके हैं, जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वे अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकें। कोई जरूरत नहीं कि कोई नौजवान अपने दस्तावेज किसी और से प्रमाणित करवाए। उसके कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले के परिसर से प्रधान मंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि क्या यह संभव है कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए? अक्सर ये शिकायतें आया करती थीं कि कई बार रिटेन में 100 अंक लेकर भी कोई उम्मीदवार विफल रह जाता था और पक्षपात के चलते, भाई-भतीजावाद के चलते, भ्रष्टाचार के चलते कोई और उम्मीदवार, जिसको मदद करने की इच्छा रहती, ऐसा षड्यंत्र रहता और उसको इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर नौकरी उपलब्ध करवा दी जाती या फिर शिक्षा संस्थान में दाखिला दे दिया जाता। मुझे यह कहते हुए खुशी है और गर्व भी है कि प्रधान मंत्री जी की इस घोषणा के तुरंत बाद डीओपीटी ने फास्ट ट्रैक प्रक्रिया चलाई और मात्र 3 महीनों के भीतर ही हमने इस प्रक्रिया को संपन्न किया और 1 जनवरी, 2016 से देशभर में यह सर्कुलर जारी कर दिया गया कि अब इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, ताकि हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे।

महोदय, इसके साथ ही साथ अधिकतर इम्तिहान अब ऑनलाइन, कम्प्यूटर बेस्ड होने लगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अवधिकाल भी कम कर दिया गया। टाइम बाउंड तरीके से परीक्षाएं होने लगीं। एक जमाना था कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परीक्षा प्रक्रिया लगभग दो-दो सालों तक चलती रहती थी। उसका अवधिकाल घटाकर अब सात-आठ या नौ महीने हो गया और प्रयास जारी है कि उसे और कम कर दिया जाए, ताकि हर युवा को समय पर अवसर मिले, अपनी किस्मत आजमाने का। अभी हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी जी की ही कल्पना से रोजगार मेले का एक

क्रम शुरू हुआ, ताकि जो पद कई-कई साल रिक्त रहते थे, नियुक्तियां नहीं होती थीं, वैकेंसीज खाली रहती थीं और हमारे बच्चे, नौजवान ओवर एज हो जाया करते थे। ऐसा दृश्य देखने को न मिले, इसलिए रोजगार मेले में 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार नियुक्ति-पत्र एक साथ जारी करने का क्रम शुरू हुआ। रुकी हुई प्रमोशन्स को बल्क प्रमोशन देकर चलाया गया। कई बार बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता था कि जिस पद पर कर्मचारी नियुक्त होता था, उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता था।

14.00 hrs

उसे उसके साथी फेयरवेल देते हैं, लेकिन उसके दिल में यह दर्द रह जाता है कि उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला। इसी भाव को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। कुछ समय से एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया है। आपने देखा होगा कि एक के बाद एक देश के भिन्न-भिन्न भागों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि कहीं मालप्राैक्टिसेज हुई, कहीं पेपर लिकेज हुआ, कहीं इंपर्सनैशन हुआ, कहीं पेपर बाहर लेकर सॉल्व हुआ, अगर हम उदाहरण देने लगेंगे तो अनेक उदाहरण हैं। लेकिन, प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवम्बर, 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लिक होता है। उसी प्रदेश में फरवरी, 2023 में अंग्रेजी का क्वैश्चन पेपर रिलीज होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमिशन, वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है।

दिसम्बर, 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और फरवरी, 2022 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स में भी गड़बड़ी पाई जाती है और इम्तिहान दोबारा कराना पड़ता है। मई, 2022 में राजस्थान पुलिस कॉन्सटेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी घोटाला होता है। वर्ष 2018 से लेकर अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए हैं। ये चयन परीक्षाओं के लिए करते हैं। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में भी सब-इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम वर्ष 2022 में पाया गया और स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, 2017 में भी, इसके उदाहरण अनेक हैं और इसके अतिरिक्त भी हैं। मगर, उस विस्तार में अभी न जाते हुए, मैं यह कहूंगा कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? बहुत से योग्य बच्चे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, माता-पिता के हार्ड अर्न्ड पैसे के साथ तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। ये चंद

लोग, जिन्होंने इसको अपना धंधा और पेशा बनाया है, वे उन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और कभी-कभी यही उन बच्चों के लिए, उनके माता-पिता के लिए एक भारी तनाव का कारण भी बन जाता है। अभी चार दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। वह बेटी अपने सुसाइड नोट में लिखकर जाती है कि-
 “Mummy, papa, please forgive me. I cannot do it. I am the worst daughter.”

इस सुसाइड नोट को पढ़कर सारा हिन्दुस्तान रो पड़ा। इसलिए, आपके माध्यम से मैं हाउस में अपील करूंगा कि हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे इंकार होगा। इसीलिए, इसी भाव के साथ यह विधेयक लाया जा रहा है। जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, जो गुनाह का पाप करते हैं और हमारी भावी युवा पीढ़ी, जिसकी ऊर्जा और सामर्थ्य सन् 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके लिए सजा का कोई न कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं था। उसी को लेकर यह विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के न केवल इस विधेयक को पास करेंगे, इसको पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में यह संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे सांझा होते हैं। देश के बच्चे सांझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत हैं और उसके लिए यह विधेयक लाया जा जा रहा है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, hon.

Chairperson Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Sir, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024, which is moved by the Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions seeks to identify the following unfair means and offences during public examinations:- (i) Question paper or answer key leaks; (ii) Participation in collusion with others to effect question paper or answer key leaks; and (iii) Accessing or taking possession of question paper or an Optical Mark Recognition (OMR) response sheet without authority. Any examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC),

Railway Recruitment Board (RRB), Institute of Banking Personnel Selection, Ministries or Departments of the Central Government and their attached and subordinate offices for recruitment of staff, National Testing Agency or other authority, as may be notified by the Central Government, will be covered under this anti-cheating Bill.

While the Bill, at the outset, seeks to address the culprits in examination rackets and recruitment mafia, the dangers of overarching powers of the Central Government the Bill grants is worrying as it encroaches upon the federal powers of the States. The bill comes at a time when as many as 1.4 crore applicants from 15 States, applying for over 1.04 lakh posts have been affected as their schedules and opportunities were destroyed due to exam paper leak and manipulation mafia.

There is also a complete lack of any punitive action that has been even undertaken. The long process of rescheduling examinations takes years and the grinding Government process forces many applicants to leave their attempts as they do not have age or situation by their side. They also lose their opportunities as many of them are not in a position to appear in examinations due to financial difficulty and also due to lack of leave from their employment, mainly the private sector employees.

In this case, I would suggest the Government to consider holding examination within three months from the date of cancellation, and make sure that a wing for re-examination is created in the case of cancelled exams. Further, I would request the Government to distribute the quantum of punishment not just to the direct culprits but also to the conspiracy plotters and the intermediary agents as well.

I would also like to state the affairs of Kerala State Public Service Commission. There were several reports of question paper leaks and manipulation of rank lists where applicants who couldn't even write a single question of the same question paper claimed to have topped the police constable exam recently. The sad state of affairs in Kerala, where the entire Public Service Commission and the Government was hand in glove with the question paper leak and manipulation mafia is a reminder that more stringent laws are required for curbing this horrible crime.

Apart from this, the teaching and coaching centre mafia which are linked with colluders including political leadership, local agents and corrupt staff of

various Public Service Commissions must not be let off the hook, and punishment should be awarded to them as well.

I would further request the Government to take steps to enhance anti-malpractice measures implementing, latest technology so that applicants need not be subjected to old practices where multiple authorities are involved. The Bill must also take care to protect students from weaker sections of the society, including SCs and STs from being targeted. The law needs to be fair and the candidate must not be targeted unfairly. The young people of our country need justice as far as every competitive examination is concerned. Unfortunately, there are so many incidents before us where they face injustice. This law will make sure that in future, these types of incidents do not happen, and it will be helpful for lakhs and lakhs of young people of our country.

With these words, I support this Bill. Thank you.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदय, मैं समय देने के लिए आपका और अपनी पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो अधिनियम लाया गया है – दि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि वह इस अधिनियम को लेकर आए। जब से नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, इस देश के अंदर उनके आने से पहले यूपीए सरकार के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे।

14.11 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)

महोदय, जगह-जगह अनफेयर मीन्स बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में उपयोग करने का निर्देश दिया तथा उन्होंने करके दिखाया। आज यह अधिनियम आया है, इसका उद्देश्य जैसा डॉक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने बताया कि हमारी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षाओं की न केवल देश के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर साख बने, इस बात के लिए यह अधिनियम यहां लाया गया है। आज सारी दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है। परीक्षाओं में जिस प्रकार से नकल की जाती है, तो इन परीक्षाओं के कारण देश का नाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खराब होता है और उसमें हमारी बदनामी होती है।

आदरणीय सभापति जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेन रूप से इस बात को अपने इस सम्माननीय सदन में कहूंगा कि इस देश के अंदर लाखों-करोड़ों वर्षों से जो परीक्षा होती थी, वह ओरल एग्जामिनेशन होता था। उस समय किताबें भी कम होती थीं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग प्रिंटिंग नहीं जानते थे। जैसे आज के कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं था, हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था। बात यही नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि हमारे यहां मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य को बढ़ाता था और शिष्य अपने शिष्य को बढ़ाता था। यह परम्परा चलती थी। उसी परम्परा के हिसाब से हमारे जो शिष्य होते थे, उनकी परीक्षा होती थी। हम आज देखते हैं कि

जब से किताब आई हैं, लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है। जब से मोबाइल फोन आए हैं, हम लोगों को दस टेलीफोन नंबर्स भी याद नहीं हैं। मोबाइल फोन आने से पहले हमें 100-150 मोबाइल फोन नंबर याद होते थे। जब से किताबें और पुस्तकें आई हैं, उसी हिसाब से हमारी याददाश्त कमजोर होने लगी। पहले जमाने के सिस्टम के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी।

महोदय, हमारी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ देखिए, विक्रमशिला, अवंतिका, अमरावती जैसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब मैंने पिछली बार बोला था तो 18 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए थे। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थीं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं कोई डिग्री और कागज का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था कि आप इसको लेकर जाइए। उनका शिक्षण संस्थान ही उनका सर्टिफिकेट था। वह इस शिक्षण संस्थान में पढ़कर आया है, इसका मतलब है कि उसके पास योग्यता है। जब से डिग्रियां दी जाने लगीं तो डिग्रियां किस प्रकार से ली जाएं, ऐसा होने लगा। अगर किसी को 10वीं पास चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए और 12वीं का सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए। पिछले टर्म के अंदर मुझे कुछ दिन शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला। हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यह था कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए पीएचडी की डिग्री चाहिए।

उस आदमी ने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं? उसके अंदर इतनी गड़बड़ होती थी। लोगों ने इस प्रकार के रिसर्च जनरल शुरू किए। लोग दूसरे लोगों से किताब लिखवाते थे, लोगों से पीएचडी डिग्री लिखवाते थे। कितना नकल करके वह काम करते थे। जब से यह शुरुआत हुई है तब से हम लोगों के पतन की एक प्रकार से शुरुआत हुई है। आपके माध्यम से मुझे कहना है कि इस देश की जो शिक्षा थी, वह चरित्र निर्माण की शिक्षा थी। हम लोग ईमानदारी और चरित्र निर्माण की बात करते थे। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म सदाचार है और सदाचार में यह बात आती थी कि हम लोग कितने ईमानदार हैं। मुझे वर्ष 2013 में अमेरिका जाने का मौका मिला। न्यूयार्क के पास एक एबल अकेडमी है। वह एबल अकेडमी पहले पुलिस वालों को और फौज के लीडर्स जिसमें तैयार होते हैं, उनको तैयार करती थी। उसका एक ट्रेनर हम से मिलने आया। हमारा भारत सरकार का डेलिगेशन था। वहां कहा

जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छी एबल अकेडमी है। ईमानदार लीडर तैयार होते हैं। इंटिग्रिटी के बारे में यह अकेडमी है। हमने उनसे पूछा कि आप इंटिग्रिटी कैसे सिखाते हैं। जिन लोगों ने न्यूयार्क देखा होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा तो न्यूयार्क में सर्दी के दिनों में बहुत ठंड होती है, वहां बर्फ पड़ती है। सर्दी के दिनों में एबल अकेडमी के अंदर एक नियम है कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी ट्रेनी सर्दी के दिनों में भी नहाते हुए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करेगा। उनके बाथरूम में कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं। लेकिन नियम यह है कि लोग ठंडे पानी से स्नान करेंगे। मैंने उस ट्रेनर से पूछा कि आप इंटिग्रिटी सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं? क्या आपने कभी बेईमानी की है? उसने कहा, मैंने एक बार बेईमानी की है। मैं वहां के एक ट्रेनर की बात कर रहा हूं, जो वहां का शिक्षक है। उसने क्या बेईमानी की है? उसने एक दिन बाथरूम में ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाकर स्नान किया और वह भी केवल एक बार। मैंने उनसे पूछा कि आपने यह ईमानदारी कहां से सिखी। हम लोगों को अपने देश पर गर्व होगा। उन्होंने कहा कि लगभग वर्ष 1880 के आसपास, मैं वर्ष 1980 की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे सही से वर्ष याद है तो वर्ष 1882 में इंडिया से, भारतवर्ष से कोई साधु आया था और उसने ईमानदारी के बारे में हमें भाषण दिया था। अमेरिका के लोग इतनी ईमानदारी से रहते हैं। उस आदमी ने कभी बेईमानी नहीं की। हम अपनी संस्कृति पर इतना गर्व और भरोसा करते हैं कि हमारे देश में इतनी ईमानदारी है, इतना सत्य है और जहां कहा जाता था – रघुकुल रीति सदा चली आयी, प्राण जाए पर वचन न जाइ। यह उद्देश्य कहां चला गया। आज परीक्षाओं के अंदर कितनी गड़बड़ होती है? जब मैं शिक्षा विभाग में काम करता था तो हजारों, सैंकड़ों नहीं, यूपीए की सरकार में कई ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशंस बने। कई हजार ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशंस जहां बी.एड और अलग-अलग तरह के शिक्षण कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वे केवल कागज पर थे या केवल एक रूम में ही चल रहे थे। ऐसे हजारों को बंद किया गया। आज भी आप जाते हैं और मैं अपने क्षेत्र को देखता हूं। लोग बी.एड की परीक्षा लेने की बात करते हैं। हमारे यहां जब एग्जाम होता है तो बस भरकर जम्मू-कश्मीर ले जाते हैं और वहां से लेकर आते हैं। लोगों की उम्र हो जाती है। फौज और पुलिस में भर्ती होने के लिए उम्र की लिमिट होती है। अगर उम्र ज्यादा हो गयी तो क्या करना चाहिए? दोबारा से 10वीं- 12वीं करते हैं। इस तरह के

हमारे उत्तर प्रदेश में भी हैं, दूसरे स्टेट्स में भी हैं। आज ही हमारे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल में हमारा यह जो बिल है उसके बारे में आया है। देश के 15 राज्यों में, शायद ही कोई बड़ा राज्य होगा, जो इस बात से बचा होगा। एक करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए हैं। ... (व्यवधान)

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Chairperson, Sir, I think, this is a write up based on the Bill. So, I think that can be permitted.

HON. CHAIRPERSON: You cannot show the newspaper.

DR. JITENDRA SINGH: He need not show the newspaper. He can just cite it.

HON. CHAIRPERSON: He can do that, but at the same time, he cannot show the paper.

DR. SATYA PAL SINGH: Okay. Thank you.

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगर हमारे टीचर्स इसी तरह के बनेंगे, चूँकि मैं जिस जिले के कॉलेज में गया, उसका यहां पर नाम नहीं लूंगा। हमारा वहां पर एक कार्यक्रम था। मैंने कार्यक्रम में पूछा कि आप क्या करते हैं तो उसने कहा कि मैं कॉलेज चलाता हूँ। वह बी.एड का कॉलेज चलाता था, जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। मैंने कहा कि आपके यहां पर कितने बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे कम दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर एडमिशन लेने की शर्त ही यह है कि क्लास अटेंड नहीं करनी है। अगर हम यह कहें कि क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और 75 परसेंट आपकी अटेंडेंस होगी तो लोग एडमिशन ही नहीं लेंगे। शर्त यह है कि आप एडमिशन लीजिए और जब साल भर में परीक्षा होगी तो उसमें एग्जाम देने आ जाइए, परीक्षा देने आ जाइए। वहां पर नकल करवाई जाती है और वहां पर शत-प्रतिशत रिजल्ट मिलता है। अगर शर्त इस तरह की है कि क्लास अटेंड करनी है तो लोग एडमिशन नहीं लेंगे। आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं।

मुझे याद है कि जब हम आईपीएस की जॉब में आए तो बिहार के अंदर, जहां पर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग प्रेस था, उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक पियोन का बेटा और उसकी

बेटी, दोनों आईएएस में सलेक्ट हो गए। बाद में यह केस सीबीआई में गया। उस केस में लोग अरेस्ट हुए। यह मैं यूपीएससी के उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आज भी कितनी ही ऐसी जगह होंगी, जहां पर ऐसा होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, स्कूलों में जाइए और मैं जब से सांसद बना हूँ, तब से सभी को यह बात कहता हूँ कि जिस स्कूल में या कॉलेज में नकल करवाई जाती है, वह स्कूल या कॉलेज आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने मत भेजिए।

उत्तर प्रदेश में एक माननीय मुख्य मंत्री जी आए। सन् 1993 से पहले हमारी बीजेपी की सरकार थी। वे कॉपिंग न हो, नकल न हो, उसके लिए बहुत सख्त कानून लेकर आए। वह कानून एंटी कॉपिंग एक्ट, 1992 था। उसके बाद जब इलेक्शन के लिए कैम्पेनिंग हुई और उन्होंने कहा कि अगर हमारा सरकार आती है तो मैं सबसे पहले इस कानून को खत्म करूंगा और दुर्भाग्यवश समाजवादी सरकार सत्ता में आ जाती है। मैं मुख्य मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले आते ही, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उस एंटी कॉपिंग एक्ट को खत्म किया कि आज के बाद हमारे बच्चे 10वीं, 12वीं में जो नकल करना चाहें, किताब रखें या कुछ भी करें, वे कर सकते हैं। अगर हम सत्ताधारी लोग इस तरह का काम करते हैं तो वह बहुत गलत है।

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, अर्थात् इस समाज के अंदर हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम वरिष्ठ मानते हैं, वे जैसा काम करते हैं, उनको देखकर साधारण लोग उनका अनुवर्तन करते हैं। उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। महाजनो येन गतः स पन्थाः। लेकिन आजकल महाजन भी ऐसे ही हो गए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है।

तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि हमारे नौजवान कैसे हों, युवा कैसे हों? युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः। आशिष्ठो, दृधिष्ठो, बलिष्ठः। तसयेयं पृथिवी सर्व वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः।

शिक्षा ऐसी हो, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से ईमानदारी और क्षेत्र निर्माण पैदा कर सके। इस देश में इस प्रकार की शिक्षा थी, लेकिन आज हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए। शिक्षा के चार प्रकार होते हैं। शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए, भोगकारी होनी चाहिए, यशकारी होनी चाहिए और सुखकारी होनी चाहिए। अगर आज आप डिग्री लेने के बाद एग्जाम दे सकते हैं, डिग्री लेने के बाद पुलिस में जवान बन सकते हैं या फौज में भर्ती हो सकते हैं, केवल हमारी यही क्वालिफिकेशन है और वह भी बेईमानी से करवाई गई हो जैसे किसी के पास ज्यादा पैसा होता है या गलत तरीके से कमाया गया हो तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और इसी प्रकार से परीक्षा में यह बात शुरू हुई।

आदरणीय सभापति महोदय, मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का जिक्र किया। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार है। वहां योगी जी की सरकार आई है। उनको मालूम था कि यहां पर इतनी नकल होती है। उन्होंने इतनी शख्ती की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उनको कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई, किसी सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो आपके खिलाफ ऐक्शन होगा। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका यह परिणाम हुआ कि 63.6 लाख छात्रों में से लगभग 15 बच्चों ने ऑफ्ट आउट कर दिया कि हम एग्जाम नहीं देंगे, न तो 10वीं का एग्जाम देंगे और न ही 12वीं का एग्जाम देंगे। क्योंकि उनको मालूम था, वे नकल से पास होते थे। उसका रिजल्ट यह हुआ कि 10वीं में केवल 14.7 प्रतिशत बच्चे पास हुए। मैं वर्ष 2018 की बात कर रहा हूं। वर्ष 2018 की बात कर रहा हूं कि less than 15 per cent children passed their High School exam. लगभग 30.4 प्रतिशत बच्चों ने इंटरमीडिएट पास किया। हमें मालूम है कि जब सरकार ऐसी होगी, सरकार इतनी सख्त होगी। चाणक्य कहते थे कि दंड शास्त्र प्रजा। बिना दंड के शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मैं डॉ. जितेन्द्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि वे ऐसा अधिनियम लेकर आए हैं, ऐसा बिल लेकर आए हैं, इसके अंदर सजा तीन से पांच साल, पांच से दस साल, एक लाख रुपए से दस लाख रुपए, एक करोड़ रुपए से दस करोड़ रुपए है। उन्होंने इसमें

पनिशमेंट का प्रावधान किया है। उन्होंने ऑर्गनाइज्ड क्राइम कहा है। उसमें ऑर्गनाइज्ड क्राइम का सेक्शन लगाना चाहिए।... (व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सौरी सभापति महोदय।

जो लोग सिंडिकेट रूप से काम करते हैं। कई वर्षों पहले स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जो परीक्षा कंडक्ट करता है, बच्चे उसे पास करके कस्टम इंस्पेक्टर्स बनते हैं। मैंने देखा है कि उसमें एक-एक, दो-दो जिले के 50-60 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। यह कैसे संभव है? यह बिना नकल के संभव नहीं है। इसमें ऑर्गनाइज्ड रूप से कुछ लोग काम करते हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्त कानून लाने की जरूरत है।... (व्यवधान)

चाइना के बाद सबसे ज्यादा पीएचडी पैदा करने वाला हमारा देश है। मेरे पास वर्ष 2014 का डेटा है। उसके बाद इसमें कितना फर्क पड़ा है, मुझे मालूम नहीं है।... (व्यवधान) पैसे देकर पीएचडी करते थे। बीस-बीस हजार रुपए में पीएचडी लिखवाते थे। ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। We are producing so many Ph.D Scholars every year, but their contribution to the world knowledge system was less than one per cent.

जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने देश की शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी इनोवेशन और रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, तो इस बात की जरूरत है कि हम लोग इस प्रकार का कानून इस देश में लाएं, जिससे किसी की नकल करने और करवाने की हिम्मत न हो। ऐसे सेंटर्स बर्खास्त किए जाएं, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेज की लाइसेंस खत्म की जाए। मैं इतना कह कर बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson Sir, I thank you for this opportunity given to me to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

This is quite an interesting Bill that the Government of India has brought into this Parliament. I understand that the Government has seen through all the setbacks that have happened in the previous years. When a law is being enacted and is brought in the Parliament, it means that there had been some bad instances in the past and that the Government has taken them into cognizance and are now bringing a law.

One big scam that even shaked entire India was the Vyapam Scam, which happened in Madhya Pradesh that brought the nation to the foot, and wanted to ask what happened, when did it happen, how it happened and who all were involved in it.

The Government was silent at that time. After that, many competitive exams like NEET and UPSC were held in all parts of the country. There was news in the newspapers and on television that people were jumping into the windows and prodding the candidates. They were telling the candidates all the answers from the window. There were other candidates also. It was all there in the news. The Government was silent about that.

After all these years, there are so many unprivileged people who have been punished by the illegal malpractices. A study conducted by one of the leading papers says that 1.5 lakh students have lost their livelihoods because of these malpractices. Why has the Government introduced this Bill? Why did the

Government look at the possibilities of reducing these malpractices? These questions have not been answered in the Bill at all. The Bill only talks about imprisonment, punishment and fine being imposed. But the Bill has not talked anything about how these malpractices can be controlled.

For example, who is behind these malpractices? What is causing these malpractices? Why does a student, who is appearing for the exam, have to get into malpractices? Is it because he is not prepared? The problem may be of language also. If the examination is conducted in their language, the malpractices could be curtailed. But the Government of India is very stubborn on the language policy where the exam has to be held in Hindi only. In regional areas like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Andhra Pradesh, many of the candidates are from the State Boards and they are not proficient in Hindi. They are not able to answer these questions in Hindi. Therefore, the chances are less for them to pass the exam. Hence, they get into malpractices. The Government of India should have a comprehensive policy to open training centres for the candidates. The Government has not done anything about that. If a candidate sits in a UPSC exam or in a railway recruitment exam, what are the training centres available for him? What is the educational support that this Government has provided? The Government has done nothing. If you do something wrong, you will be punished. But what has the Government done for the aspirants? Are there any training centres set up by the Government? It has not been addressed or discussed here.

I am coming to another issue. You should take the State of Tamil Nadu as an example. For example, for UPSC candidates, our Tamil Nadu Chief Minister

has given assistance of nearly Rs. 7000 to each and every UPSC candidate and for other candidates going to appear for different exams. When a candidate passes the exam, a sum of Rs. 25,000 is paid to him or her for appearing for the interview. This kind of assistance is given by the Tamil Nadu Government.

There is another scheme called 'Naan Mudhalvan Scheme' which means 'I am the winner, I am the successor'. It is a name of that scheme. The students who are participating from Government schools, Government colleges, or private universities get exchanged at certain intervals so that even the students from the Government institutions are also getting the same kind of technological value addition in courses. In such a way, they can go for the competitive exams also. Therefore, the well-being of the candidates is being taken care of. They fairly perform in the exams. A lot of Tamil Nadu candidates appear for the UPSC exams but language is a barrier. Therefore, the Government should also look into the reasons behind this kind of malpractices.

The Government constituted a committee to examine all these kinds of malpractices. Where is the involvement of the States in the committee? The States have not been consulted. The States are not being involved in these committees. An arrest can be made with a warrant and a bail will not be a matter of right. Also, there can be up to three to five years of imprisonment and Rs. 10 lakh fine can be imposed.

So, if a proper enquiry is not done or partiality has been done or someone is going to be partial, who are the persons who are going to be identifying these law breakers? How is it going to be identified? Where is the Committee? Where is

the involvement of the States? These are the pertinent questions that come up before enacting this law. The Government of India should look into all these things.

To summarize my submission to this august House, I request the Government of India to break this barrier of language which is causing all these malpractices. This is number one.

Secondly, please involve the States, encourage the States, give them the required funds so that all the students from the States will be able to participate in all these kinds of competitive exams.

Thirdly, please involve the States when some kind of malpractices happen. The involvement of the State should be there when the Committee is constituted to enquire into these kinds of malpractices. When the hon. Chairperson was speaking, he mentioned about the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or any other caste, community being partially or marginally penalized in these kinds of malpractices. So, at the end of the day, the fear of the students has to be removed and only then fair and correct exams will happen. If you take the Western countries, whenever you go, these kinds of malpractices are not there. The technology has been involved. If we involve this kind of technology, then the malpractices will not be there. The exams are being conducted in the States and the State's involvement has to be there.

With these words, I summarize my speech and say that this law may be amended with my amendments submitted in this august House. I request the

Government of India to look into this and involve the States for the investment and time being spent for the future citizens of India.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill.

Sir, this is a much-needed law and was much awaited by crores of youths who have suffered due to paper leaks, especially in job recruitment. Without taking names of States that have seen such leaks, it can be safely said that this law would deter further leaks, as a specific law to punish the wrongdoers which was missing.

There are a few positive things in this Bill which I would like to point out. The Bill promotes transparency and fairness. The Bill is designed to increase the transparency, fairness, and credibility of public examination systems. This ensures that the hard work and genuine efforts of candidates are rightly acknowledged and rewarded, thereby safeguarding their future prospects.

The Bill serves as a model draft for States, offering them the discretion to adopt its provisions. This helps in establishing a uniform approach to tackle malpractices in public examinations across different States and prevents disruption in State-level public examinations.

The Bill deters against unfair practices. Section 10 of the Bill by punishing any person resorting to unfair means and offences to be punished with imprisonment of three to five years and a fine of Rs. 10 lakh, effectively deters individuals, organized groups, or institutions indulging in unfair means, thereby protecting the integrity of the public examination systems. It ensures that those

who seek to exploit the vulnerabilities of the examination system for monetary or wrongful gains are legally discouraged and held accountable.

There are some suggestions from my Party. Why is a candidate given immunity from the Bill if he indulges in malpractices that lead to the examination process being vitiated? The Bill mentions that a candidate shall not be liable for action within the purview of the Bill. I would be happy if the hon. Minister could clarify this limitation of the functioning of the Bill if the candidate is a wrongdoer.

Secondly, the Bill's implementation might require significant financial and human resources, raising concerns about its practicality and effectiveness, especially in rural or resource-limited settings. Has the hon. Minister made a plan on ensuring that such limitations of resources do not limit the effectiveness of the Bill? The requirement for States to adopt similar legislation could lead to inconsistencies in application and enforcement, potentially creating disparities in the examination systems across different regions.

Does the hon. Minister plan on asking the UPSC to engage with the States and helping them out in enforcing the provisions of the Bill?

In conclusion, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 represents a pivotal stride towards ensuring integrity and fairness in public examination systems. However, the Bill does raise certain concerns that merit further clarification and planning. The exemption of candidates from punitive measures even when involved in malpractices, needs more clarity to ensure that the law is comprehensive and leaves no room for exploitation. With the right measures and continued oversight, this Bill has the potential to significantly

enhance the credibility of our public examination systems, fostering a more just and merit-based society.

In Andhra Pradesh too the Government has taken strict action against people who indulged in leaking exam papers of Class 10 at Narayana School in Tirupati. Our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu has always taken the strongest action against such forms of corruption, irregularities and other criminal activities.

With these suggestions and comments, I support the Bill on behalf of my YSR Congress Party.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है।

महोदय, वर्तमान में केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था।

महोदय, परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर देश में, खासकर युवाओं में चिंता थी। प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। यह विधेयक नापाक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था।

महोदय, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, ग्रुप-डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के मामले सामने आये। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद हरियाणा में पदों पर भर्ती, गुजरात में जूनियर क्लर्कों की भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था।

महोदय, इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने और युवाओं को आश्वस्त करने की परिकल्पना की गई है कि उनके ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य छात्रों को निशाना बनाए बिना संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों के

खिलाफ कार्यवाही करना बहुत जरूरी हो गया था। इस विधेयक के कानून बनने पर यह संभव हो जाएगा।

महोदय, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन करने का प्रावधान है, जो कम्प्यूटरीकृत परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी।

महोदय, समिति डिजिटल प्लेटफार्मों को इन्सुलेट करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी, फुलप्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करेगी, परीक्षा केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करेगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे, दोनों के लिए राष्ट्रीय मानक और सेवाएं तैयार करेगी।

महोदय, नापाक तत्वों को प्रतिरूपण विधियों का उपयोग करने और पेपर लीक और अन्य कदाचार में लिप्त होने की घटनाएँ रोकने के लिए यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के लिए 3 से 10 साल तक की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार में कमी आयेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है।

महोदय, इससे सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड(आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित केन्द्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आयेगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। On behalf of my party Biju Janata Dal, I stand here to support the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 introduced by hon. Union Minister Shri Jitendra Singh ji. I believe that the intent of the Bill is very good, to preserve the value of a public examination as a test of merit.

If unfair means at public examinations continue to be very common, like it is today, the aspirants and students believe that they have a right to do so because so many others have done so without being penalised. Cheating leads to delays and cancellation of examinations adversely impacting the prospects of millions of youth. In the absence of any specific law to deal with unfair means and offences committed in the conduct of public examinations, we welcome the legislation from the Government of India. In this context, I would also like to mention that in our State of Odisha, all the examinations have always been conducted with fair means till date. No paper leaks, etc., are being reported like in a few other States where they have been reported frequently. In this context also, I would like to appreciate the provision with regard to checking malpractices and organised cheating in Government recruitment exams, proposing a minimum imprisonment and also a fine for persons and organisations indulging in such illegal practices.

Common practices like leakage of question paper or answer key, directly or indirectly assisting the candidate in any unauthorised manner, tampering with the computer network or a computer resource or a computer system, creation of fake

website to cheat, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters, manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations, will be controlled because it will now carry punishment and a fine for both individual and the service provider including barring from assignments being given.

Hon. Chairperson, Sir, I am from the field of education and I am surprised and shocked by the new ways that some notorious students and ill-intentioned people are coming up with. In every examination season, the media reports scandals. It has now gone high-tech. The recent hit cinema 12th Fail brings this out in a harsh and real form. So, this is definitely the need of the hour. But we need to go to the root cause also. Merely tackling the menace of corruption is not enough as it is just a symptom of deeper issues in the system. The main cause which is there is a mismatch between the number of aspirants and number of opportunities that are available. Learning is conditioned by the proposed examination system. If the examination pattern tests mostly memory, then teaching will ensure that students only prepare for rote memory. This is the general pattern. We need to address this issue. NEP-2020 goes a long way in handling it in formative years.

In a situation where opportunities aspired for are really limited, the boundary between the selected and rejected candidates is a simple cut-off score. It is not unreasonable to imagine that while those selected are deserving, there could be deserving candidates even among those rejected. A large number of aspirants, huge amount of resources spent on them by families is a testimony of

their keenness to crack the exam. The coaching centres focus on techniques of cracking the exam and time management, and they frequently conduct a series of mock exams to churn out exam-smart students. The climate of cruel competition is instilled in both schools and coaching centres whereby students are taught to view their classmates as rivals. Cheating despite being unethical is similarly perceived as an effective shortcut to passing the exam. Desperate parents also go to any extent to see their children emerge victorious in exams and also in games.

In the Indian educational set-up and context, the element of fear underlies most activities associated with learning and assessing. The presence of fear is often justified as being important for learning and is used to scare, threaten or intimidate children. Fear associated with consequences of not learning takes precedence over the joy of learning.

The exams are more about elimination than selection thereby enhancing the importance of coaching. Fear is a key component of such exams as implications of success and failure in them are severe. What are the possible solutions available?

I have some alternate methods. Perhaps more humane way of examining students' aptitude and competence needs to be identified.

They must have entrepreneurship skills. Students should be helped in honing their entrepreneurship skills.

They must have meaningful choices. Make education more meaningful that supports students to make choices that are not influenced by their social prestige

like engineering and medicine and more importantly be given opportunities and supported to develop different facets of their personality.

There must be responsive education. Make education responsive to employment skills required. However, a unilateral relationship between education simply responding to market needs will do more harm than good.

I hope these issues are addressed behaviourally and we stand to support the Bill. In this regard, I would also request to see that financial punishment and imprisonment should be lessened in case of students. It should be more strict for the agency or the institutes or the centres that are really practising and motivating students to adopt the unfair means.

In case of financial punishment and imprisonment, it should be less for the students. It is because they do not have knowledge as to when they adopted this unfair method during the examination.

Thank you very much.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदय, माननीय सामंत साहब जो बोल रहे थे, ये अपने यहां 40,000 गरीब, आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, जो नर्सरी से लेकर प्लस-2 तक है। अगर मन्दिर देखना है तो इनके विश्वविद्यालय में जाकर देखिए। 40,000 बच्चे और वे भी आदिवासी बच्चे इनके यहां निःशुल्क पढ़ते हैं। देश में गरीबों को शिक्षा देने वाले ये माननीय सांसद सचमुच बधाई के पात्र हैं।

HON. CHAIRPERSON: The entire House associates with him.

DR. JITENDRA SINGH: In the end, I will respond in detail but I just wanted to clarify. May be, I have not been able to communicate that part. The student is not under the purview of this law. So, I will explain that when I respond finally. But we have not kept the student or the candidate in the purview of this law.

श्री मलूक नागर (बिजनौर) : सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसा लगता है कि जो बिल है, उसी को ज्यादातर पढ़कर हम लोग बोल रहे हैं। इसमें जो बात रखी गयी है, देश में आने वाले भविष्य को देखकर जो यह कदम है, यह बहुत ही अच्छा है और सराहना के लायक है।

पिछले दिनों हम देखते थे कि देश के कई प्रदेशों में पेपर लीक हो गए, नकल हो गयी, कहीं रात में तिजोरी तोड़ कर उसे निकाल लिया, एफ.आई.आर. हो गयी, तीन दिनों में अरेस्ट कर लिया गया। खासकर, राजस्थान में जो पिछली सरकार गयी है, वहां की सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पैदल यात्रा के दौरान कई बार बयान दिए कि राजस्थान में पूरा घोटाला और माफियागिरी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।

महोदय, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं डी.ओ.पी.टी. की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ और अभी ही वहां से मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। माननीय मंत्री जी आगे के लिए जो यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं जिसमें एक करोड़ रुपये की आर्थिक सजा और तीन साल से दस साल तक की सजा दी जाएगी, यह बहुत ही अच्छी बात है।

लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो सुर्खियां, अखबारों में जो खबर आई हैं, वे जो घोटाले हुए हैं, उनमें जो गैर जिम्मेदार और नाकाबिल अधिकारी, जो नौकरी के सहारे आगे पहुंचे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि समय-समय पर इस तरह के ससपीशिएस लोग, जिनको देख कर लगता है कि नकल कर के आए हैं, उनके आचरण को देख कर हर प्रदेश में एक कमिटी बने, जो बीच-बीच में रैंडम चैकिंग करे और इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसा न हो। सरकार जो अमेंडमेंट ले कर आयी है, वह बहुत ही उचित है। इससे ऐसे काम करने वालों में खौफ और डर हो, जिससे वे ऐसी कोई घटना न कर पाएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार जो यह बिल ले कर आई हैं, उसमें देश की सीमाओं, खास कर कश्मीर में, मंत्री जी जम्मू कश्मीर से ही हैं, जो गांव सीमाओं पर हैं, उनके लिए जरूर कुछ ऐसी व्यवस्था हो, या तो वहां पर बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज

बनाए जाएं या वहां पर ऐसे कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं, जिनसे कि पूरे देश में उनको भी अपनी प्रतिभा दिखने का मौका मिले और इस सख्त कानून के होते हुए, वे क्वालिफाई कर के जाएं तो देश के लिए उनको कुछ करने का मिलेगा।

सर, मैं डीओपीटी और लॉ एण्ड जस्टिस कमिटी में हूँ, अक्सर हमारा कंवर्सेशन होता रहता है और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती है, जहां मैं अपनी राय नहीं रखता हूँ। इसलिए मंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम ज्यूडिशरी से संबंधित होते हैं, वे भी इसी रास्ते से जाएं। यह जो दिल्ली है, जहां हम बैठे हैं, इस लुटियन्स जोन में, रायसीना एरिया में, पता नहीं केजरीवाल साहब की सरकार क्या कर रही है या पता नहीं सेंट्रल गवर्मेंट क्या कर रही है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामी है कि जहां बाकी सभी राज्यों में ज्यूडिशरी में पिछड़ों और दलितों के लिए रिजर्वेशन है, वहीं दिल्ली में यह रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि दिल्ली और देश के जिन प्रदेशों में भी ज्यूडिशरी में पिछड़ों और दलितों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर भी यह आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह मांग मैंने पिछली बार भी की थी। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, जिसमें से साढ़े आठ करोड़ की आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मैं फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग यहां पर रखना चाहता हूँ। यह मांग सन् 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने उठायी थी। सन् 1955 में बाबा साहब अंबेडकर ने भी यह मांग रखी थी। सन् 1989 में इस संबंध में के.सी. त्यागी जी ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी। वर्ष 2012 में बहन कुमारी मायावती जी ने इसका प्रस्ताव प्रदेश की सरकार से प्रस्ताव पास कर के केंद्र के पास भेजा था। इसलिए मैं भी आज इस मांग को यहां पर दोबारा उठा रहा हूँ। साथ ही, जब तक इस काम में देरी हो, तब तक मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

इसके साथ ही, हम इस बिल की सराहना करते हुए, इसका समर्थन करते हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this Bill. I was a little surprised by the Treasury Benches when they started the debate. An hon. Member, Dr. Satya Pal Singh who himself has been through such examinations has shown so much grey things about examinations. That was a bit disappointing for a person who has already been through the system to talk against the system. It puts him also in grey area, which was little disappointing for me also. क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, वहां पर वर्दी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईमानदारी मतलब पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी वर्दी पहनता है, उसे हम ईमानदार ही समझते हैं।

15.00 hrs

जिन्होंने वर्दी पहनी है, अगर वह ही एग्जाम पर क्वेश्चन मार्क उठाए तो मैं अंदर से हिल जाती हूँ कि अभी हम किस पर विश्वास करें। So, it was a little disappointing for me for the gentleman to speak the way he did. उन्होंने ईमानदारी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि वह न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क में ही ईमानदारी की बात सुनी। अगर आप अपनी माँ की बात सुन लेते तो आपको न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस देश में ईमानदारी का सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वह अपनी माँ है। सबसे ज्यादा ईमानदार बच्चे को कौन बनाना सीखाती है तो वह माँ सीखाती है। I do not know in what context he was giving the example of New York and all. I am just putting things in context about *imaandari*. ईमानदारी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है, बल्कि वह अपना संस्कार है। हमें ईमानदार होना ही चाहिए। मैं ईमानदार हूँ, इसे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। You are *imaandari*, it is a good thing. सब को ईमानदार होना चाहिए।

Sir, while I am complementing this Government for bringing this Bill, I seek a few clarifications so that we can put this in context when the country watches it. जब यह बिल लाया जा रहा था तो मैंने एक फिल्म देखा। It is called 12th Fail. 12th फेल में एक

डायलॉग था कि जमी-जमायी व्यवस्था । It means, there is a system which has already been set. Who has set this system if we say that there is a case? It is either the school authority or the local school education department or the local administration or the political patronage or the State-sponsored activity. We do not know but this is what we have read over the last many years. My question to the Government is this. There is either a criminal action or a civil action. In the jurisprudence, I would like to seek clarification about the penalty of Rs. 1 crore and jail.

The Government has clarified, Sir, in the form of an intervention that they are not making it student-centric, it is going to be institution-centric. I would like to know how this system is going to work. Is there going to be a rational approach? I am completely with the Government. अगर आप गलती करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा । But, already, there is a system in place. If there is any scam, people do get caught. Then, what is the difference in what you are bringing in today in the Bill that did not exist in the past?

The other alarming thing which even Kadhira has mentioned and which I would also like to highlight to the hon. Minister is this. Can we not have a foolproof system ourselves with the use of technology? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कितनी सारी चीजें हो रही हैं । Is there a way by which we can make sure that there are no leakages in the exams by using technology? But, there is another side of technology. It is because of technology, people are copying more. There is usage of walkie-talkie, earphones, ChatGPT, etc. How is the Government

going to control this technology from both ends, from the examiner's side or the person who is giving the exams?

Sir, the Government has given the example of Rajasthan and West Bengal. With full humility, I would like to highlight a few things. I think, the hon. Minister has not read it or it is not coming in the daily newspapers but in 2023-24, महाराष्ट्र में आप की ही सरकार है। वहाँ भी तलाठी का एक स्कैम हुआ था। You will be surprised with the numbers. Around 11 lakh children applied for that exam. It is because of the leakage of paper, they had to cancel the exam. Most of these exams are getting outsourced now to the companies like Infosys or TCS. Is that the right thing? जो पहले था, वह अच्छा था। I am just putting all the points to the Government. I am not criticising the Government. It is a very democratic debate. As a parent or as a citizen, these are the concerns brought to us in our constituencies by several aspirants. Was it good that earlier it was done by the Government or not? क्योंकि महाराष्ट्र में तलाठी की जो एग्जाम हुई थी, उसे महाराष्ट्र सरकार ने आउटसोर्स की थी। वहां घपला हुआ है, ऐसा आरोप लगा है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? It is my question to the Government. About 11 lakh people applied for it. There are electronic devices.

There is another exam which is in Maharashtra State Council about teacher's job. टीचर का जॉब सरकारी नौकरी के लिए था। There, a person made Rs. 4.85 crore from the aspirants. These are all examples. I am not blaming any Government. हर सरकार में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप ही की सरकार में ऐसा होता है और हमारी सरकार में नहीं होता है। Why can we not take a holistic view and find a way where these issues can be resolved above politics?

The other question is about coaching classes. There are lot of coaching classes. We put out advertisements that हम 100 परसेंट आपको जॉब दे देंगे । Who can give that guarantee? I would like to know whether the advertisement of these coaching classes also come under its radar. Who is accountable for this. What you are saying is the corruption which starts here.

लोग बोलते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, आप यहां कोचिंग क्लास में आओ, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी । So, is there going to be any accountability at this level also?

Then, you said 'service provider'. It is an organised crime. What is the specific meaning of 'service provider' and 'organised crime'? In the Bill, you have said, डायरेक्टर को पकड़ लेंगे । There may be ten Directors out of whom nine may be innocent. How will you track that this is the Director who has created this?

I am just quoting an example. I hope, TCS does not feel bad about it. टीसीएस को महाराष्ट्र सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, तलाठी में कुछ घपला हो गया । How will you reach the Director who has done that? What is the system in place? How are you going to get answers to these? How will you find the culprit in the system which is so electronic in today's day and age? I am worried and concerned about the methodology of how you are going to do it. There is even the term 'delay and cancellation of the exam'. एग्जाम डिले ओर कैंसिलेशन तो सरकार करती है । How will you hold the Government responsible? So, will the Government, be it any State Government, also be responsible in a timeline manner if they delay or cancel? But how will the children benefit out of it? पेपर लीक हुआ तो कैंसिल हो गया । How will you hold the Government responsible? Who will be the competent authority? It is too vague. I am not questioning the Government's or the DoPT's intent at all. My

point is, the intent may be very, very good. But, how are you going to implement it? It should not just be a flowery thing where it all looks good. So, my question to this Government is this. Various Governments have been through various challenges. No Government allows these kinds of things.

आपने कुछ चाचा-भतीजा वगैरह बोला था । I felt a bit bad because at least, the State where I come from, we are very proud of our IAS and IPS officers. They are an extraordinarily talented team. They have done the amount of work the politicians have done in building my State. My Collector is outstanding; my Divisional Commissioner is outstanding; my CEO, Zila Parishad is outstanding. They have come from Zila Parishad schools, who have worked very hard, very honestly, and built my State as much as we have built the State as politicians, whichever party we represent. So, I think, it would be unfair to say that पहले ऐसा होता था । Does that mean you are challenging the whole system which has actually flawlessly served? There are so many IAS and IPS officers here in this room as well. They have worked very hard to get where they are. So, it is very unfair to make it political. I again say that it is a great system. We have been very proud of the DoPT over the last years. I think, we are expecting transparency and fairness. So, we appreciate your intent but let us not criminalize everybody. So, it would be good if you could kindly clarify what different are you doing than before. I hope, India works only on merit, and we support the Government on this Bill. Thank you.

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): सभापति जी, मैं लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक का समर्थन अपने एवं अपनी पार्टी की तरफ से करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले ने लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कई छात्रों को डिप्रेशन हो रहा था तो कुछ आत्महत्या तक करने की सोच लेते थे। मेधावी छात्र मेरिट होने के बावजूद अपना मुकाम नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक का सारा जोर संगठित माफिया व पेपर लीक एवं पेपर हल करने, प्रतिक्रमण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध माफिया और साठ-गांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक, 2024 में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र की बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर तीन से पांच साल की जेल की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मेरा एक सुझाव है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जनमानस में भी सुधार करने के लिए प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। सरकार कानून बना रही है, इसका जनमानस में प्रचार-प्रसार होना चाहिए तभी इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अब बिना पढ़े पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा, शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे, इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए समिति सिफारिशें करेगी। इसके लिए कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में

दाखिले के लिए नहीं होने वाले परीक्षाएं भी आएंगी। किसी धांधली के कारण अगर परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं को भुगतना होगा।

यह विधेयक हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारा प्रदेश बिहार सहित देश के सभी युवाओं को फायदा होगा और न्याय दिलाएगा। हम एक बेहतर भारत की बुनियाद रख सकेंगे। इसके साथ-साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं कि एग्जाम में वाइवा के सिस्टम को खत्म करना चाहिए, वह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रास्ता है।

मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूँ।

जय बिहार, जय हिन्द। धन्यवाद।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

Sir, the dream of any youth is to get a government job, and the purpose of their appearing in an exam is either to pursue higher education or to get a government job. The Central Government jobs can be achieved through exams conducted by Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission, banks etc. After getting a government job, especially a Central Government job, one gets a lot of opportunities. Immediately he will go for a loan. He or she can get married. So, the dreams are plenty.

In the past, there have been several leaks in the system. I am observing for a long time that the hon. Members in this august House have been talking on this Bill extensively, and the hon. Minister also mentioned the importance of this Bill. I appreciate that this Bill is essential. It is the need of the hour. There is no doubt about that. But we all remember as to what happened in Vayapam scam. Let us not politicise this Bill. It is a very serious issue. Almost 2000 FIRs were registered and many lives lost. What answer are we going to give for this?

Sir, conducting an exam is not a joke. Starting from preparing a question paper to printing, coding, distribution, evaluation, declaration of results, then re-examination, re-calculation, and so many other things are there. So, there should be leak proof system. We have adopted a system to ensure transparency through various steps like self-attestation by candidates, shortening of exam cycle from 18 months to six to eight months, allowing of computer-based exams so that

interviews do not take place, digital certification, digital work orders, etc. In spite of all these efforts, which the Government has been taking for long, it is heartbreaking to know that almost 41 document leak cases have taken place. It has been reported in 15 States, that is, all across India it is happening.

Almost 14 million people have applied for about 1.04 lakh employment opportunities. Look at their condition. Once an incident of unfair means takes place, immediately the examination gets cancelled, and nobody knows when the next exam will take place. Dreams of millions of youths are shattered. I urge this Government, as my fellow colleague from the Congress Party, Shri K. Suresh mentioned, that re-examination should take place within three months from the date of cancellation.

Please consider this important issue because the youth cannot wait indefinitely. Till now, in around 41 leaked paper cases, there is no FIR filed and no arrest has been made.

We are really surprised to know that there is no legislation to specifically deal with these unfair means. That is why, now the Government is bringing this Bill. We appreciate it. Malpractices or unfair means take place in several ways – leakage of papers, impersonation, unauthorised entry into the examination centres. Even the computers are being hacked. It is coming in the Bill. I would like to ask when computers can be hacked, why can the EVMs not be hacked. Let us not brush aside this point. When this Government is bringing about the issue of computers being hacked, then EVMs can also be hacked. I think, this Government should also focus on bringing a separate legislation for that.

Examinations and elections are not different entities. We have to consider both of them equally and important.

In the Bill, the punishment is extending from three years to ten years and fine up to one crore of rupees. At the same time, when the service providers are being punished, the important point is not only the employee; the management team and their core person also has to be roped into the investigations. I think, the investigation is done by DSP or ACP level officer. When the system is going on like this, I would like to say that this is a very good system. A legislation should be brought, offence should be inquired into and if a person is proven guilty, he should be punished.

This is for the Central Government examination centres alone. If you see it percentage-wise, more people are appearing in the private examinations which are conducted by private colleges and deemed universities. Candidates are appearing for examination in connection with their graduation, post-graduation and higher education in their own colleges or universities. I am not saying that all the deemed universities or private institutions are indulging in malpractices. But some biased practices are still taking place in the name of 'internals'. So, what is the regulatory system which this Government is going to have to control it? We should have some monitoring system because the most talented people are being deprived and untalented, unqualified or less qualified people are being pushed and encouraged by the management. The Government should think about this in a comprehensive manner as to how they are going to rope in the

management team, the deemed university people also for conducting examinations.

This Government has brought in a legislation, which is welcome-able with some recommendations being passed on from our side. Most importantly, I am happy to see that the Minister, while presenting this Bill, is talking about the level-playing ground, but level-playing ground comes when the students of government schools and private schools, and government institutions and private institutions have to face the examination called NEET! In Tamil Nadu, we are vehemently opposing NEET because the students are trained in the government syllabus in a particular language and they have to compete with the students from all over India who are being educated in the private institutions, and the syllabus and the examination papers are being prepared at the Central level. Where is the level-playing field here? I would request this Government to consider this disparity with motherly nature and approach.

He has also mentioned about so many suicides. In Tamil Nadu, so many suicides have taken place because our children are not able to get through the NEET examinations in spite scoring excellent and outstanding marks in the examinations at State level. So, a comprehensive Bill has to be passed.

We support the Bill. At the same time, there are some suggestions which we are giving to this Government. I would request the hon. Minister to consider them.

Once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Thank you.

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर): चेयरमैन सर, इस बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए और मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 अथवा The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 एक ऐतिहासिक बिल है। मोदी जी की सरकार के लिए यह एक चांस है। इस देश में बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा की जाती थी, परीक्षा पद्धति को संशोधित करने के लिए मान्यवर मोदी जी के समय में यह हुआ तथा माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को भी इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, इस कानून की बहुत आवश्यकता थी। मुझे मोहनदास करमचंद गांधी जी की याद आती है, जो बाद में महात्मा गांधी बने। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय एक समय गोरा इंस्पेक्टर आया था और उसने 5 शब्दों का डिक्टेसन दिया। सारे बच्चों ने ठीक करके लिखा, लेकिन मोहन दास जी का एक शब्द गलत था। टीचर ने उनको कितना इन्स्पायर किया कि इसका करेक्शन देखकर कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह बचपन से सत्य के पुजारी थे। अतः उन्होंने ऐसा करने के लिए नहीं माना। अगर हर विद्यार्थी मोहन दास जैसा होता, तो इस कानून की जरूरत नहीं होती, लेकिन कानून की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हर विद्यार्थी ऐसा नीतिवान नहीं है। कानून की आवश्यकता उनके लिए है, जो कानून को तोड़ते हैं। कानून को मानने वालों के लिए, स्वयं अनुशासित रहने वालों के लिए कानून की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है –

‘न राज्यं न च राजासीत्, न दण्डो न च दाण्डिकः’

अर्थात्, एक आदर्श राष्ट्र में राजा और प्रजा नहीं होनी चाहिए, दंड देने वाला और दंड लेने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसी नागरिक चेतना विकसित नहीं होती है, तब तक कानून की जरूरत है। कानून के बिना ऐसा एक दिन भी नहीं चलेगा, इसलिए कानून की बहुत जरूरत है। आज हम देखते हैं कि सीनियर अधिकारी, लीडर्स, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पाप कर्म में सहभागी होते हैं। जैसा हमारे मित्र सत्यपाल सिंह जी ने बोला कि एक राज्य में ऐसा हुआ था कि इसको लीगलाइज करने की कोशिश की गई और सारे पुलिस अधिकारी भी मिलकर इसमें सहभागी बने। शासन बदल जाने से प्रशासन का चरित्र भी बदल जाता है। जो पुलिस उस समय कॉपी सप्लाई करती थी, आज

वह कॉपी को उंडा लेकर रोकती है। इसीलिए हमको इस कानून की बहुत जरूरत है। कानून न होने के कारण समानुपातिक दंड व्यवस्था भी नहीं हो सकती है, इसलिए यह भय भी पैदा नहीं होता है। टेररिस्ट को टेरराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कानून जरूरी है। परीक्षा में माल प्रैक्टिस कई दिनों से चल रही है। यह आज की बात नहीं है। अति प्राचीन काल में हमारे देश में एक बच्चे को रॉयल स्कूल में एडमिशन देने से इंकार कर दिया गया। उसका नाम एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने जब अरण्य में देखा कि वह खुद अपनी निष्ठा, आत्मविश्वास के बल पर अपने पौरुष को प्रदर्शित कर सकता है, तो 12-14 साल तक राज्य के परिवेश में जिसने द्रोणाचार्य से ट्रेनिंग ली थी, उनको एकलव्य ने फॉर्मल एजुकेशन न होने के बावजूद बिल्कुल दबा दिया, परास्त कर दिया, तो द्रोणाचार्य ने माल प्रैक्टिस का सहारा लिया और उसका अंगूठा कटवा दिया। इस तरह उन्होंने गुरुकुल को कलंकित कर दिया। आज भी मैं देखता हूँ कि कई ट्यूशन मास्टर जाकर परीक्षा हॉल में कॉपी सप्लाई करते हैं। 25 साल से मैं यह देखता आ रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत कटु अनुभव है। एक बार मैं एक कॉलेज में इनविजिलेटर का काम कर रहा था। हाई कोर्ट के जस्टिस का बेटा परीक्षा दे रहा था। उसने बहुत माल प्रैक्टिस की। उसने बाहर जाकर कॉपी कलेक्ट की। मैंने उसे पकड़ा और उसके खिलाफ लिखा। उसने कई महीनों तक प्रभावी अधिकारियों को लाकर मुझे प्रभावित करने की कोशिश की कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उसके बाद उसने धमकी दी कि तुमको अरेस्ट करवा देंगे। मैंने बोला कि मुझे अरेस्ट होने का कोई डर नहीं है। कॉपी पकड़कर मैं अरेस्ट होने को तैयार हूँ, लेकिन जजमेंट बेचने वालों की बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। इस तरह से मैं कई बड़े-बड़े लोगों की कॉपी पकड़ने के कारण शिकार बना।

सर, हमारे मित्र अच्युतानंद सामंत जी ने बोला कि ओडिशा में ऐसा कुछ नहीं है। ओडिशा में ऐसा क्या-क्या है, इसका मैं जीवंत उदाहरण हूँ। ओडिशा में मैं विधायक था। मैं काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मेम्बर था। मैं एग्जामिनेशन कमेटी और एग्जिक्यूटिव कमेटी में भी था। वहां फेल करने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास कर दिया गया और फर्स्ट क्लास क्लास वाले को फेल कर दिया गया। मैं इसकी इन्क्वायरी कमेटी में भी मुख्य था। हम उस कॉलेज में गए और उसको पकड़ा।

इसमें उस कॉलेज का प्रिंसिपल ही पूरी तरह से जिम्मेदार था। मैंने हायर एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उनको सारी रिपोर्ट दे दी। उसके मैनेजमेंट ने हमसे कितनी चापलूसी की, लेकिन हमने नहीं सुना। हमने इस पूरे रहस्य का भंडाफोड़ कर दिया। वह भी मान गया। उनको लिख कर उसका सबूत भी ले आये। तब सरकार बोली कि यह ब्लॉक ग्रांट कॉलेज है, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, the Government cannot be helpless before anybody. The Government can withdraw the concurrence, and the Council can withdraw the affiliation. Let them start a tuition centre. बाद में उस प्रिंसिपल को हटाने के लिए मैनेजमेंट राजी हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो मुझे मालूम है। गौतम मरांडी नाम का आदिवासी, पितृहीन, वनवासी लड़का सारे विषयों में फर्स्ट क्लास आया था और सिर्फ मैथमेटिक्स में एक नंबर से फेल हो गया। मैंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसीडेंट को फोन किया। उनके हेडमास्टर को बोला और वह हेडमास्टर आया। मैंने उनसे बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तब दो दिन बाकी थे, for last date of submission of form for college admission. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसीडेंट ने, जो बाद में डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन बने, उन्होंने मुझे बताया कि मैथमेटिक्स में उनका नंबर 54 है, जिसको 1 कर दिया गया। इस इंकवायरी में पता चला कि एक लड़के को फर्स्ट क्लास देने के लिए 6 लड़कों को फेल किया गया। इस केस में एक स्टाफ भी आज तक सस्पेंड होकर बैठा हुआ है।

सर, मैंने जिद की कि 24 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट को रेक्टिफाई किया जाए। उस लड़के को लेकर मैं अच्युतानंद सामंत जी के इंस्टीट्यूट में गया। उस लड़के ने वहां से ग्रेजुएशन किया। यह तो उदाहरण है कि ओडिशा में क्या चलता है। ओडिशा में मालप्रैक्टिस भी है। हाँ, कई राज्यों की तुलना में वहां कम हो सकता है। ऐसे मैं कितने हजारों उदाहरण दे सकता हूँ।

सर, अनुचित पद्धति या पदार्थों का अवलम्बन। मेरा क्या अवसर है, मैं नहीं जानता। कभी-कभी मुझे फोन कर देते हैं, कोई स्टूडेंट फोन कर देता है, कोई अध्यापक फोन कर देता है, फलां कॉलेज में 22 दिन के प्रश्न-पत्र को रख दिया गया है। वह भेजा नहीं गया। जब हमने उसकी

इनक्वायरी की तो ऐसा ही पाया। मैंने वाइस चांसलर को बोलकर एक प्रोफेसर को भेजा, तब 22 दिन के बारे में मालूम पड़ा। वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि हमने इसलिए रखा था कि इससे पोस्टेज खर्च कम लगेगा। बाद में, सारा रिजल्ट कैंसिल हो गया। यह चलता था और आज भी चलता है। जब तक ह्यूमन कैरेक्टर में ऐसा एक्सीलेंस नहीं आएगा, तब तक यह चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी मानव से बड़ी नहीं है, फिर भी इससे बहुत नियंत्रित हो जाएगा। बेईमानों को विज्ञान के द्वारा हम ईमानदार नहीं बना सकते हैं। भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते हैं और देशद्रोही को देशभक्त नहीं बना सकते हैं, इसलिए अभी जैसा सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि हमें कैरेक्टर एक्सीलेंस बचपन से डेवलप करना पड़ेगा।

सर, कम्प्यूटर प्रणाली में छेड़छाड़ होती है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है। आर्थिक प्रलोभन अथवा अन्य आशक्ति के कारण लोक सेवकों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता है और परीक्षा केंद्रों का दुरुपयोग होता है। दूसरों को, परीक्षकों को प्रलुब्ध करके परीक्षा करना और फेवर हासिल करना, रिजल्ट प्रेपरेशन, टैबुलेशन और पब्लिकेशन में अनुचित पद्धति का अवलम्बन, सब्सिट्यूट एग्जाम की एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के बदले में कोई और परीक्षा देता था। मैट्रिक परीक्षा में बी.ए. वाला देता था। उसको हमने पकड़ा था, उसके बाद वह भाग गया।

सर, लिकेज ऑफ क्वैश्चन जैसे कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को नुकसान होता है। मुझे तो कभी-कभी इसको देशद्रोह के समान मानने की इच्छा होती है। इससे संविधान का अपमान होता है। संविधान में सबको न्याय देने के लिए हमारे पूर्वजों ने वचन दिया है। यह सामाजिक न्याय है। इससे नैचुरल जस्टिस डिनाइड हो जाता है। इससे न्याय व्यवस्था का उल्लंघन होता है। योग्यता का लांछन होता है, अपमान होता है और सामर्थ्य का अपमान होता है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे संविधान में जो इक्विल ऑपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्वीकार किया गया है, उसका उल्लंघन होता है। युवाओं को स्पाइनलेस बना दिया जाता है। प्रशासन को भ्रष्टाचार से कलंकित किया जाता है।

महोदय, जो भ्रष्टाचार का प्रलोभन देकर, मनी पावर अथवा अन्य पावर से आया है, वह तो सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। This will start a vicious cycle. इसलिए एक कठोर कानून की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे कर्ण का कितना अपमान हुआ। कर्ण की योग्यता होते हुए भी उसका अपमान हुआ था। ये भी एक माल-प्रेक्टिस है। कर्ण ने क्या बोला था

“दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्”।

पौरुष अर्जन करना हमारे अधीन हैं। किस कुल में जन्म लूं, ये हमारे अधीन नहीं है। माल-प्रेक्टिस के कारण पौरुष प्रदर्शन में भी सबको समान मौका नहीं मिलता है।

महोदय, हमारी पूर्व वैदिक सनातन परंपरा में जो परीक्षा पद्धति थी, उसमें कॉपी करने का अवसर नहीं था। ऑटोमेटिक योग्यता प्रदर्शन की व्यवस्था थी। अनुसंधान सत्यानुसंधानी मूल स्पिरिट थी। आज भी श्री अरबिंदो आश्रम ने परीक्षा को उठा दिया, क्योंकि कॉपी का चांस होता था। उन्होंने जीवन्त पाठन पद्धति चालू की। भिन्न प्रकार की परीक्षा पद्धति के बारे भी सोचा जा सकता है।

भारत का भविष्य निर्माण करने वाला, नए भारत का निर्माता हो। युवा शक्ति की पारदर्शिता, दक्षता, निपुणता, योग्यता आदि का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे कानून की बहुत आवश्यकता है। कठोर और दृष्टान्तमूलक शास्त्र विधान की जरूरत है। बिना शास्त्र से यह नहीं होगा। जिस सांप के दांत नहीं होते हैं, उसको कोई नहीं मारता है। ये सब एक संगठित क्रिमिनल ग्रुप बनाकर काम करते हैं।

महोदय, मान्यवर मोदी जी के शासन काल में एक से एक ऐतिहासिक कानून बनते हैं और ऐतिहासिक काम भी होते हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी बोलते थे – “Let us create history. Let others write it. We do not have any time to write history”. ये इतिहास निर्माण करने का एक कालखंड है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैं मान्यवर प्रधानमंत्री जी और मान्यवर मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमको याद रखना पड़ेगा कि there are many shortcuts to certificates and degrees but there cannot be any shortcut to knowledge. आज इस व्यवस्था को कड़े से कड़े कानून के द्वारा

सुनिश्चित करना ये हम सबका दायित्व है। आज मैं बहुत आनंद से अपने भाव व्यक्त करने के समय कहता हूँ कि cutting across Party lines, बहुत सारे सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है। ये राष्ट्र हित में है। इसलिए मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024, has brought different stages and 'unfair means' has been categorised under Clause 3 of the Bill.

What I intend to say is that all these categories are already covered by the Indian Penal Code and Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 also which has been passed but has not been implemented yet. Up till today, whenever and wherever this sort of activity is performed, criminal proceedings vis-à-vis civil proceedings are initiated against the perpetrator. I have consistently been saying for last few years that in our country there is no deficiency of laws to cover these criminal activities, but the problem is the implementation. The law is passed in this Parliament with the Parliament's wisdom. But ultimately, it has to be implemented by the implementing agency. That is the greatest failure in our country today. Still, I am saying this. I am not objecting to anything, but still I am saying that all the activities are already covered.

Clause 15 of the Bill says, "The provisions of the Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force." Therefore, existing laws are there. You are further categorizing it, making a sub-category, mini sub-category, but in a broader sense, it all exists. The question is whether the Central Government has taken steps in respect of this maladministration whenever malpractices happened and whenever such offences were committed.

Sir, through you, I want to know this from the hon. Minister. For the last five or 10 years, in how many cases has this law been implemented by the Central Government, prosecution has been done, conviction has been made. These

answers should be given. No one indulges in these types of activities, but the point remains that sometimes something is said which is very attractive. It goes well into the ears, but the question is, is it established? In our country today, unfortunately, we go by media trials. In any sensitive criminal case, media trial is there. Everybody is facing this, whether it is the Central Government whether it is a State Government, whether it is a Central Minister, whether it is a State Minister etc. They prove it before the case starts. Naturally, consequences have to follow. Public criticism is there like, 'this man is bad, that man is bad, this Minister is bad, that Minister is bad'. But I do not believe in that until it is proved and established in the court of law. Our country is going in that direction. All the Ministers are here. I will request the hon. Minister that whenever a criminal case is there, court is seized of the matter, public trials should be stopped. Anyone is made not only accused, but he is made a criminal instantly. Let us take a case. A Minister's name is involved. Nobody knows whether it has been done by him or not. Public trial is there. A Minister's relative is involved. It is immediately taken in that way in the media trial that this gentleman is a relative of that Minister. Therefore, the media trial ruins his career. I will request the hon. Ministers to please think about this also. Ultimately justice is not done. Justice has to be done in their cases. It should be seen whether he has really indulged in such malpractices or whether he has done anything or whether anyone has really done the criminal activities or not.

Sir, I was not here but I was told that someone has mentioned about the scam of West Bengal in appointment of teachers. I just tell you. Some allegations

were there. All the cases will be seen in future. All the unsuccessful persons come. Unsuccessful persons come, lodge complaints against the successful persons. This is a scenario. After four years or five years, they are coming. In West Bengal also, some unsuccessful persons have come. One of the single Judges of the Kolkata High Court by a judgment terminated the services of 32,000 Primary Teachers and directed to start a fresh selection process. The matter went in appeal. The appeal court stayed the termination but directed to continue the selection process. The matter went to the Supreme Court. The Supreme Court set aside the entire order. This happened all because of the media trial. There was no evidence. Nothing has been established. If you speak about a story of 'scam, scam, scam', it has to be established in the court of law.

In another case, the same learned Judge terminated the services of 15,000 teachers and employees. They went up to the Supreme Court. The Supreme Court has set that aside because the principles of law have not been followed. Follow the principles of law. I am not saying that if any malpractice is there, no steps should be taken. Steps should be taken. But it should be in accordance with law, not because of someone's saying. There must be a concrete proof. Before you reach to the conclusion that malpractices have been done, there must be an established fact, concrete evidence. It should not be done because of saying of someone. Today there is social media. Anybody can lodge any complaint against anyone. Steps have been taken on that basis. It cannot be done in this way. Therefore, what I am suggesting is this.

As far as Clause 3 is concerned, it is having two consequences. One is criminal consequences, another one is civil consequences. The moment it comes up that some malpractice has been done, 2500 students are there, 2500 students are scrapped. But all 2500 students have not done it. May be 100 people have done it or 150 people have done it. May be 200 people have done it. The problem in the country is this. Whichever is the investigating agency or the Inquiry Committee, without identifying those 150 or 200 persons, they are coming up with a report, etc., as if 2500 persons are involved in this. This is not justice. All students cannot be said to be dishonest. I am sorry, I do not agree to it. All persons cannot be said to be dishonest. Dishonest persons may be there; there may be one per cent or two per cent who are dishonest. Our young generation is brilliant. Our young generation is honest. Our young generation is sincere. Our young generation will develop our country. We believe and we are having a trust. But if there is one or there are two persons, segregate it, please. I do not find anywhere any such process, whether CBI comes, whether any investigating agency comes. I have a number of experiences. Whether it is in the Indian Railways or other places, only one report is coming. But segregation is not there. For someone committing a criminal activity, the rest should not suffer. The Central Government must look into that. Whoever is the agency, whoever is conducting it, please apply your mind. Look into the matter; segregate it. Please do not go on the basis of the media trial. A few Judges are there also nowadays in our country – in the evening they are watching TV shows and in the morning

they are reading newspapers – who are deciding the matter on that basis without adhering to the established principles of law.

Of course, the provisions are good. I would seek one clarification from the hon. Minister. Since you have said 'in addition to', if impositions of penalty are different, let us assume here it is one year, and in that it is three years, then what will happen to that? Which law would be followed?

With these words, I extremely extend my thanks to the hon. Chairperson. Also, I have conveyed possibly whatever I had to say to the hon. Minister. I have just missed. Sorry for that. Please do not mind.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

With regard to this Bill, the intent and content seem to be good. Some amendments are required to be made and that can be done. There is an elaborate discussion on this Bill. I hope that the hon. Minister will include that kind of suggestions.

Hon. Chairperson, Sir, this is like a model Act. It is going to be a model Act. The States can have their discretion and there it can be improved. Various States have made separate laws in this regard. In Karnataka, there is a different law. I want to say that it seems to be good. What I am saying is that there is a need to examine the examination system, and ensuring the credibility is the need of the hour. It is a very important thing. We all know that during the examination season, lot of scandals happen. Reports come in a very painful manner. In my hand is a comprehensive survey conducted by *The Indian Express* with regard to leakage. It is a big document. I could not catch it within the time frame. This survey says about paper leaks in 15 States in 41 job recruitment examinations. It is a big leak. We can very well imagine how much havoc it will cause in the country.

Hon. Chairperson, Sir, this issue requires immediate attention. What are the solutions? Learned friends were saying that technology application will help to some extent but there are risks in some of these technologies. There is a risk part even in the Artificial Intelligence. We understand that. But in spite of all these things, in the examination centres, whether it is in universities or in any other

public institutions, these kinds of improvements through technological application may help us to tide over the difficulties.

Now, I come to the university side. I had been the Education Minister in the State of Kerala. Sir, you were also very instrumental in making the system perfect. Sir, there are 1,100 universities, 50,000 affiliated colleges including 700 autonomous colleges and 40.15 million students. It is big thing. There are a lot of irregularities especially as mentioned in this Act like fraud, leakage, and corruption. It is a matter to be addressed very seriously. Examination reform is the only best way. Kerala be made a model. Instead of examination once in a year we make continuous evaluation. Learning everything from the textbooks and learning it by heart, and then sitting in the examination hall, are not the right way of doing that. It has to be comprehensively restructured. Learning by heart is an easy thing. But the talent has to be measured. Unfortunately, the system which is now working is that it is not student-centered, but it is textbook-centered and teacher-centered. Ability of students has not been considered. So, instead of this instructive type of an education, it should be constructive type of an education.

Now, the other thing is about autonomous college. Autonomous college was a bold initiative. Subject to correction, Tamil Nadu may be the first State in India which introduced examination in the autonomous colleges.

After that, I think Andhra Pradesh introduced it. Kerala comes as third or fourth State. They deserve some kind of liberty in formulating the courses and kind of things. But a supervision by the Government is required. From practical experience, we must encourage autonomous colleges. That will have very good

impact on our educational system. At the same time, in order to ensure credibility, the Government must have a scrutiny over that. I am not saying that to tighten it. That is one thing.

Sir, I do not want to take much time. I have one other thing. What is happening here? Politics, of course, is there. As correctly mentioned by learned friend, some kind of fabricated story is there. But we have to convince ourselves that the system is working properly. This is an effort towards that. What I am suggesting is that a very healthy discussion has taken place in this House. Many academicians have participated in the discussion. I hope the hon. Minister will follow that and try to make adequate changes or modifications in this Bill itself. I hope that this is an eye opener as far as the credibility of the system is concerned. I hope the Government will make various changes.

I have one more thing to mention in the end. When we are planning reforms, even in the case of examination or whatever it may be, it should be done in a speedy manner.

This is the time for internationalisation of education. We have to be on the fast track. If we go slow, we will be sidelined. If we want to change things, we must travel on the fast track. We hope that the Government will keep this also in mind and make adequate modifications.

With these few words, I conclude.

Thank you very much.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Thank you Sir for allowing me to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

Sir, I stand in support of the Bill. I congratulate hon. Minister Dr. Jitendra Singh for bringing this Bill and it tells us that rights step are taken for a grave problem that has of late assumed immense proportions.

Sir, this is a timely step taken in the right direction. Hon. Minister said that this is the second important piece of legislation after Women's Reservation Act. That law provides reservation for women in the Legislatures. But my personal view is that this is much more important than that because that delays the implementation. We do not know after a decade or so the benefits may reach the target group but here, it is instant and we know that the provisions of this Bill will be applicable immediately after the Rules are framed and I expect the Rules will be framed immediately after the Bill is passed.

Sir, the Statement of Objects and Reasons states that it is to enhance the transparency in the examinations for recruitment and also admission to higher education institutions. The problem does not only plague in the recruitment process but also the process of admission to higher educational institutions.

Sir, the Bill is well drafted. I have gone through the definitions clause. The definition of unfair means is inclusive and the Bill is expected to have the results that are intended. We should not stop with this Bill. I believe that the recruitment process and admission is a holistic approach.

Having transparency in the exam is not the end game. We should take steps to provide a level playing field across the country. The Bill encourages the

States to have a similar legislation in the States. But the effort should be to have a level playing field. What can be done to achieve that level playing field?

For someone, who does not have the level playing field, transparency in examination and recruitment processes does not mean anything because he has to compete with someone who has his ambitious vision and who belongs to different strata of the society. I do not know what steps would be taken but I expect that the hon. Minister will have his attention towards providing level playing field.

We should try to integrate ICT tools. ICT tools are more objective, very fair and raise less suspicion in the process. I think we should try to have the ICT tools integrated with the recruitment processes.

A problem which was highlighted by one of the hon. Members is that cancellation of examination should not push the candidates into a period of uncertainty. There should be a statutory period for having the examination conducted once more. It may be two months, depending on as to how we can organise the logistics etc., but it should be statutorily fixed. We should not leave it to the individual authority or individual commission or individual body to fix the date for examination. It should be statutorily fixed so that we have that examination.

We know that cancellation results in delays and it creates bitterness amongst the unemployed youth. So, it should be conducted in a timeframe so that they need not wait endlessly and they have an opportunity.

Secondly, after this whole exercise, we should statutorily also provide a waiting list. I have been approached by some candidates who met me in Jammu. They said that the local administration has done away with this system of waiting list. People are hopping from one place to another for jobs. For example, there are 108 posts and someone's rank is 109th. There should be a waiting list of the selected candidates. So, we should have the period for the waitlist to be operated statutorily. Thank you very much.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me a chance to take part in the discussion on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024. According to me, it is a very important Bill.

My first suggestion to the hon. Minister is to kindly send this Bill to the Parliamentary Standing Committee for close scrutiny. The Bill is against the basic principle of criminal jurisprudence. As rightly pointed out by my learned friend just now, there is no substantive law for the conduct of public examinations. You are bringing a substantive law to address the issue, which I fully support.

If you go through the Bill, the drafting of the Bill, the content of the Bill, it can very well be seen that this is against the principle of criminal jurisprudence. I will explain it one by one. What is the intention of the Bill? I fully agree with the intention of the Bill. There is no bad intention on the part of the Government in bringing such a punitive Bill which provides for more punishment, grave punishment for malpractices done in the public examinations.

Transparency in examination for recruitment as well as admission to higher educational institutions is highly essential. It is the need of the hour. Yes, at present, there is no specific substantive law to deal with the unfair means or offences conducted by the various public examination agencies. So, there are 20 offences and unfair means which have been identified in this Bill.

16.00 hrs

It is including imprisonment, manipulation of answer-sheet, and also tempering with the documents. All these things will come within the purview of

Indian Penal Code. Specific offences are there in the Indian Penal Code but you are coming with a substantive law. There is no problem with that. But, if you see the quantum of punishment being provided in the Bill, it is disproportionate. That is my first objection. It is because there is imprisonment of three to five years, which you have mentioned, for each and every unfair means. If any unfair means is adopted, the punishment is three to five years in case of an individual and it will be upto five to ten years if it is an organised crime. There lies the quantum of punishment. The meaning of 'unfair means' is explained in Clause 3. Kindly go through Sub-Clause 8 and Sub-Clause 12 of Clause 3: "Wilful violation of norms or standards set up by the Central Government or conduct of an examination on its own through its agency." What are the norms to be stipulated if there is any violation of any norms? He will be given a punishment for three to five years. In that case, any official can be targeted. The basic deviation from the violation of the norms is that the quantum of punishment will be three to five years along with fine upto Rs. 10 lakh. If it is an organised crime, it will go upto Rs. 1 crore and the imprisonment will be upto five to ten years.

16.01 hrs

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Similarly, if you go through Sub-Clause 12 of Clause 3, there is 'manipulation in sitting arrangements'. The definitions are very exhaustive. It can be interpreted in any way. If you are preparing in the sitting arrangements of the students along with allocation of dates or shift of the candidates to facilitate adopting unfair means in examination, then also this quantum of punishment is too much. That is why, I am requesting the hon. Minister to have a close and

legal scrutiny of this Bill so as to have a proper criminal jurisprudence. Suppose a student is just copying or murmuring with neighbouring student, the punishment is too much. This is totally disproportionate. That is why, I am raising my objection here.

As far as the legal drafting of this Bill is concerned, kindly go through Clause 8, Sub-Clause 3, the Proviso. It states that:

“Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”

Madam, it is the basic criminal jurisprudence. If he proves that without his knowledge this act was done and he has applied his mind in due diligence, why should this proviso be there after putting the punishment? The same thing is being repeated in Sub-Clause 4 of Clause 10. It says:

“Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”

What does it indicate? It means, if he proves that he is innocent, nothing will be applicable. Why is this proviso being incorporated in such a very important Bill? I have given ten amendments in this respect also? Kindly go through these amendments. Most of them are harmless amendments. That has to be looked

into. That is why, I am once again requesting the hon. Minister. Due to paucity of time, I am not going to explain all these things like 'unfair means'. Please go through Clause 3. According to almost all the provisions, if you are directly or indirectly assisting the candidate in any manner, unauthorisedly, in the public examination, then, you will be punished with imprisonment of three to five years. So, this is the way by which the 'definitions' and 'unfair means' are being described. This 'definition' and the 'unfair means' are very exhaustive and it can be interpreted in any manner. That has to be relooked into. I am not doubting the intention of the Government to address this issue but, at the same time, these reservations have to be looked into with a close scrutiny.

With these words, I conclude. Thank you very much.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

महोदया, इस देश में एक बहुत बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यह बिल आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी नीयत से यह बिल आया है। आये दिन हम देख रहे हैं कि देश भर में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके का नकल माफिया एक्टिव है और मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि कहीं न कहीं वह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नकल माफिया है, जो देश के अंदर यह काम कर रहा है। मैं राजनीतिक संरक्षण इसलिए कह रहा हूँ, राजनीतिक संरक्षण तो वह माफिया चलाता ही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वे इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती हैं। जो नौजवान हैं, छात्र हैं, वे साल-साल, दो-दो साल पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद वे परीक्षा में बैठते हैं, पता चलता है कि कहीं से पेपर लीक हो गया, पूरी की पूरी परीक्षा रद्द हो गई और फिर उस परीक्षा की कोई डेट नहीं आती कि कब दोबारा वह परीक्षा होगी।

महोदया, हजारों की संख्या में नौजवानों ने खुदकुशी की है, जिन्होंने अपने पूरे कई-कई वर्ष तैयारी में लगा दिए, लेकिन वह परीक्षा ही नहीं हो पाई। मेरा यह भी कहना है कि जो यह बिल है, जैसा माननीय प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि वाकई कहीं ऐसा न हो कि जो इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं कि अगर कोई बच्चा अपने आपसे देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, पता चला कि उस स्कूल, कॉलेज के प्रिंसिपल/डायरेक्टर को प्रॉसिक्यूट किया जा सके। यह बिल दुधारी तलवार भी साबित न हो कि आने वाले वक्त में जो भी सरकारें रहें, वे फिर उन स्कूल्स, कॉलेजेज पर, उन इंस्टीट्यूशंस पर इतना दबाव न बनाएं कि वे उनका मिसयूज कर सकें।

महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिल की बहुत जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो खास तौर से क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले वर्ष नकल कराते हुए एक अखबार के रिपोर्टर ने एक्सपोजर कर दिया तो पता चला कि उसी को उठाकर जेल भेज दिया गया। जो माफिया है, वह इतना स्ट्रॉंग है कि उनकी करतूतों को अगर कोई एक्सपोज करता है, तो वह

उनके खिलाफ, जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उन पर कार्रवाई कराते हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूँगा कि यह वाकई अच्छा बिल है, लेकिन इसमें कुछ जो क्लॉजेज हैं, अगर वाकई इसमें और डेलिबरेशन किया जाए, आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, तो और अच्छा रहेगा। एक काम्प्रिहेंसिव अच्छा बिल आये, जिससे नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। नौजवान वर्षों-वर्ष तक अपनी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आखिर में उनको निराशा हाथ लगती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Thank you very much, hon. Madam Chairperson, for giving me this opportunity. For a change, a Bill has been brought in to get the appreciation of the Opposition Parties also. I have been watching the deliberations going on here. Almost all the Members, who spoke ahead of me, have appreciated this Bill. We should appreciate the hon. Minister, Dr. Jitendra Singh ji, for this.

Madam, at the same time, I would record my personal views by saying that you are very late in doing this. We are all aware as to what is happening in various parts of the country. Some of the Members have also mentioned about what the size of the scam is, how many States have suffered due to this, and how many young lads have sacrificed their opportunities because of some scamsters coming in.

If you see the types of scams, it is largely the outsiders coming in and doing it. Rarely, the students or the candidates, who are taking up the examinations, are involved in this. They get into the system and spoil it to earn money in a quick and fraudulent way. I once again appreciate that you have realised the seriousness of this and brought this Bill.

At the same time, I join with our learned Member, Mr. N.K. Premachandran ji who has pointed out quite a few changes which I feel are quite legitimate to have. I have also seen some lacks and lacunae in this Bill. One of them is that it does not provide a straightaway solution. Suppose, if an examination is cancelled because of a scam, that batch of students have to wait for a very long period.

They have no way to move on. They studied for this tough examination for six or seven months. But now they have to indefinitely wait for the Government to come up with a new set of examination for them. Therefore, I feel that there should be an option which should be acceptable to the students' community or the students who are appearing for a particular examination.

Another thing is with regard to the accountability of the officers of the agencies which conduct an exam. I have seen it to an extent possible. I would not say that I have gone through it very thoroughly. Here again, there is nothing mentioned about the people at the helm of affairs, who are responsible for it. Most of the large-scale scams in this regard have happened with the involvement of the highest people sitting in the affairs of those matters. Therefore, I plead that the involvement of those people who are sitting at the higher level should be investigated and an appropriate solution should be found out. This is one of my suggestions.

Madam, what I have been watching in this House is that normally whenever the Government brings in a law, they always try to bind the State Governments. Take up any law whether it is an agricultural law or CAA or any kind of law – plenty of laws have been passed in this House – you have always tied up the State Governments. I do not understand why you have taken a different route by not involving the State Governments and not binding them in this law. So, this is another point that I wanted to bring to your notice.

Then, there is a point with regard to the unfair practices. One of my colleagues has just spoken about it. Why do these unfair practices take place?

Who is responsible for this? We should find out the reasons in order to curb such practices. These reasons are rooted in our educational system itself. The students who have not prepared well, look for an escape route.

So, we should provide better education to students and inculcate discipline in them from the primary level itself. I am myself an example in this regard. It never came to my mind to adopt any unfair practice in the exams. I would disclose this that I could not pass some of my exams. But I never adopted wrong methods. I only appeared in the exams when I was fully prepared. If I knew that I would not pass in a particular exam, I preferred to stay out rather than getting into any shortcut method. Such kinds of good habits and ethics should be inculcated in the younger generation from the primary school education itself.

In this regard, I would like to mention that our hon. Chief Minister, Mr. Stalin is moving step by step in the direction of welfare of the students. One of the cornerstones he has laid is the introduction of breakfast system for all the elementary school children from class-1 to class-5 in about 31,000 schools. This is done by the State Government of Tamil Nadu for the first time in the country. So, about 17 lakh children are taking breakfast under this scheme because without breakfast many children could not go to school and stayed at home. The attendance in the school was coming down. To see that the students at the primary level itself should be educated in the State and in the country, this breakfast system has been introduced. This is only one of the many programmes that have been launched in the education sector by our Government.

Madam, there are several educationists, intelligent people and academicians in the country. I would urge that the Government should consult with them before piloting the Bill in the House. Thank you very much.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदया, धन्यवाद। आज मुझे लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जितेन्द्र जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत लम्बे अर्से के बाद इस प्रकार का कोई बिल आया है। वर्ष 1944 में इस प्रकार का कोई बिल आया होगा। उसके बाद परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए अगर कोई बिल आया है तो यह बहुत लम्बे समय के बाद आया है। यह 80 सालों के बाद आया है।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ऐसा एक अहसास भी हुआ है कि यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। इसका कारण है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान से, तो लगभग सभी वक्ताओं ने राजस्थान की चर्चा की है। लगातार पाँच सालों के अन्दर 17 पेपर लीक हुए। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, सीकर से, तो कोटा के बाद यदि कोई एजुकेशन हब है, तो वह सीकर है जहाँ दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ-साथ बड़े-बड़े कोचिंग सेन्टर्स हैं। एक-एक कोचिंग सेन्टर के पास 40-50 हजार विद्यार्थी हैं। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा, कई साथियों ने यह शंका व्यक्त की थी कि इस बिल में कहीं किसी विद्यार्थी को तो हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अंदर बैठकर विद्यार्थी क्या नकल कर सकता है? समस्या इस बात की थी कि विद्यार्थियों की ओट में इस प्रकार की संस्थाएं थीं, जो नियोजित तरीके से नकल करवाती थीं। इसलिए राजस्थान में एस.आई.टी. का गठन करना पड़ा। उसमें 20 से अधिक लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसकी एक लम्बी श्रृंखला है। इसमें एक से दूसरे के तार जुड़े हुए हैं कि किसने पेपर को लीक करवाया, किसने कहां पहुंचाया, किसने कहां जोड़ा। इस प्रकार का यह एक सिलसिला बन गया है। इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षार्थी मेहनत करते हैं। उनका गरीब बाप मेहनत करता है और अपने बच्चों को पैसे देकर पढ़ाता है।

हमारे यहां एक बच्चे ने सुसाइड किया। वह बच्चा नोट लिखकर गया कि मेरे पिता ने मजदूरी करके मुझे दो साल पढ़ाया, जमीन पर लोन लेकर पढ़ाया, लेकिन मैं जब एग्जाम देने गया तो मुझे सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया है। वह हमारे हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील का एक छात्र था। उस छात्र ने सुसाइड नोट में यह बात लिखी। इस प्रकार के कितने सारे अपराध होते थे।

महोदया, इसमें एक कारण और था, मैं यह आपसे निवेदन करता हूँ। इसमें न केवल मात्र नकल की बात है, बल्कि इसमें योग्य व्यक्ति रह जाते थे और अयोग्य का चयन हो जाता था। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता था। आप प्रशासनिक सेवा को देख लीजिए। अगर प्रशासनिक सेवा में कोई अयोग्य व्यक्ति जाएगा तो वह न्याय नहीं कर सकता। अगर कोई कॉलेज लेक्चरर है, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, अगर वहां कोई अयोग्य व्यक्ति जाएगा तो वह क्या पढ़ाएगा? अयोग्य व्यक्ति के सेलेक्शन होने का नुकसान यह होगा कि इससे देश को भी नुकसान होगा। देश को जिस प्रतिभा की आवश्यकता थी, जिस अच्छे, योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, वह वहां नहीं पहुंच पाया। दूसरा कारण कि योग्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ। वह पीड़ित हुआ है, तो उसकी पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं था। तीसरा कारण, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। इससे यह होगा कि जो योग्य व्यक्ति है, जिसने मेहनत की है, जिसने पुरुषार्थ किया है, उसे न्याय मिलेगा और जो उसका हकदार था, उसे वहां पर पहुंचने का जो हक मिलना चाहिए था, वह हक उसे मिलेगा।

साथ में कई साथियों ने कहा है कि इसमें दंड का प्रावधान अधिक है। हमारे यहां तो शास्त्र स्पष्ट कहता है कि दंडम् शास्त्रियति राज्यम्, यानी भय बिन होइ न प्रीति जग माही, बिना दंड के कभी शासन नहीं चलता है। दंड के भय से ही व्यक्ति अनुशासित होता है और अनुशासन के बिना कभी भी व्यवस्था बन नहीं सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था का प्रयास किया जाए कि राज्यों को भी इस ओर प्रेरित किया जाए, क्योंकि जो मूल है वह राज्यों के अंदर है। केंद्र में तो जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहां माननीय मंत्री जी ने इस बिल में ही बहुत सारे एग्जाम्स को दर्शाया है कि इन एग्जाम्स के अंदर हम यह प्रयास करेंगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, रेलवे बोर्ड है, बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण है, साथ ही

अन्य ऐसे प्राधिकरण हैं, जो एग्जाम लेते हैं, ये सेंटर के प्राधिकरण हैं। लेकिन राज्य के अंदर जो स्थिति है, अभी राजस्थान के अंदर एसआईटी का गठन किया गया और वहां की सरकार ने कहा कि हम भी इस प्रकार का बिल ले कर के आएं। मैं तो सभी राज्यों की सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी इस प्रकार के बिल आने चाहिए, ताकि यह जो नकल का धंधा चल रहा है और इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे समाप्त किया जाए और योग्य व्यक्तियों का चयन हो।

बहुत सारी बातें अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं, लीगल बातें भी कई लोगों ने कही हैं, अन्य प्रकार की शंकाओं को भी व्यक्त किया गया है, जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। मैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छा बिल ले कर आए हैं और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी तो मेरे क्षेत्र में जो दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको होगी कि आज भारत सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, हमारे भविष्य के बारे में सोचा है। प्रधान मंत्री जी का जो स्वप्न है कि वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, वह तभी अच्छा भारत बन पाएगा, जब योग्य व्यक्ति वहां पहुंचेंगे और वे तभी पहुंच पाएंगे, जब निष्पक्ष दृष्टिकोण से परीक्षाएं होंगी, ठीक व्यवस्थाएं होंगी, अनुचित संसाधनों को रोका जाएगा। धन्यवाद।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : मैडम, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। इस बिल की अति आवश्यकता थी, जो आज सरकार ले कर आई है। मैं समझता हूँ कि इसका ऐम और ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐबल स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। नकल माफिया इस कदर एक्टिव हैं कि बकायदा कॉलेजेस के ठेके होते हैं। प्रति स्टूडेंट दस हजार रुपये लिया जाता है, पास कराने का ठेका होता है। नकल माफिया सीढ़ी लगा कर, खिड़की से नकल की पर्ची पहुंचाते हैं और उस कैंडिडेट की सीट भी खिड़की के पास होती है। मैं समझता हूँ कि इस बिल के आने के बाद इन तमाम चीजों पर लगाम लगेगी।

मैडम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आपका जो ऐम है कि अच्छे स्टूडेंट को इंसाफ मिले, एक पूरी फील्ड हम इसमें भूल रहे हैं, हमने कॉलेजेस के अंदर ये शिकायतें बहुत देखी हैं कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से नाराज़ हो गया, भले ही वह कितना ही मैरिटोरियस हो, वह फेल हो जाता है। मैनेजमेंट नाराज़ हो गया तो वह स्टूडेंट फेल हो जाता है। वायवा जैसी चीज़ जिस पर कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है, वायवा के लिए भी मेरी यह मांग है कि उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर किसी को फेल करना होता है तो एग्जामिनर उससे अपने बाप का नाम पूछता है और अगर पास करना होता है तो उसी के बाप का नाम पूछता है। यह बड़ा विचित्र मामला है। अगर इस पर भी हमारे मंत्री जी ध्यान दें कि अदर मींस कौन-कौन से हैं, जो अनफेयर हैं, तो शायद मैरिटोरियस स्टूडेंट्स को पूरा इंसाफ मिलेगा।

मैं अपनी इसी बात के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि इस बिल की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जिसको आज आप ले कर आए हैं।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद) : मैडम, आपने मुझे 'दि पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेशन ऑफ अनफेयर मींस) बिल, 2024' पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ।

मैडम, सरकार देर आई, लेकिन दुरुस्त आई। अगर यह बिल आज से पांच साल पहले आ गया होता तो एक करोड़ 40 लाख बच्चे, जो महज़ एक लाख 4 हजार सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, दिन-रात मेहनत करे, पढ़ाई करे, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था।

बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। कई बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठ नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। अगर पाँच साल पहले यह बिल आ जाता तो इन्हें इतना खामियाज़ा नहीं भुगतना पड़ा होता। सवाल यह है कि एक करोड़ चालीस लाख बच्चे हैं और नौकरियाँ कितनी हैं – एक लाख चार हजार। अगर ये पूरे के पूरे चले भी जाते तो एक करोड़ 39 लाख बच्चे तब भी बेरोजगार रहते। आप इस बिल के जरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़, ऑर्गनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, यूपीएससी, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उनको इस बिल के दायरे के अंदर लेकर आए हैं। हमारी यह मांग है कि राज्य सरकार के जो प्रमुख एग्जामिनेशंस होते हैं, उनको भी इस बिल के दायरे के अंदर इसलिए लाना जरूरी हो गया है कि कई राज्य सरकारों के नेता और कई राज्य सरकार द्वारा ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इसलिए इस बिल के अंदर उनको भी लाना जरूरी है। यह जो बिल लाया गया है, इसमें हम मंत्री जी से यह पूछना चाहेंगे कि theft, extortion, robbery and destruction of question papers के लिए सजा का क्या प्रावधान रखा है, तो बताया गया है कि 'No specific provision'.

दूसरा यह है कि डिबार्मेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए सजा का क्या प्रावधान है, तो बताया गया कि 'No specific provision'. तीसरा विषय यह है कि cheating or use of unfair means by an examinee, जो एग्जामिनेर पेपर चेक कर रहा है और वह कोई बेईमानी करता है तो उसके लिए

सजा का क्या प्रावधान है, तो बताया गया कि 'No specific provision'. हम मंत्री जी से यह पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या-क्या स्पेसिफिक प्रोविजन्स हैं। माननीय मंत्री जी इस बारे में जरूर बताएं।

मंत्री जी जब इस बिल को पेश कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि आपके जो विरोधी राज्य हैं, उनके बारे में ही आप जिक्र करेंगे। आपने राजस्थान का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, लेकिन आपके राज्यों के अंदर जो बेईमानी हो रही है, क्या उसका जिक्र आप नहीं करेंगे? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कितनी बेईमानियाँ हुई हैं। टीईटी के एग्जामिनेशन में क्या होता है?

महोदया, टीईटी का एग्जामिनेशन होता है कि जो टीचर बनना चाहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक घोटाला हुआ और उसमें एक-एक टीचर से चार-चार लाख रुपये लिये गये। पुलिस का कहना है कि 240 करोड़ रुपये का घोटाला है। शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीचर बन रहे हैं, वे पैसा देकर टीचर बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले दो-तीन सालों के अंदर कौन-कौन से घोटाले हुए हैं – टीईटी एग्जाम घोटाला, भाडा एग्जाम घोटाला, महाज्योति एग्जाम पेपर लीक, तलाठी भर्ती घोटाला, मुम्बई पुलिस भर्ती घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जाम घोटाला, अगर और पढ़ें तो बहुत सारी लिस्ट हैं। यह आपको नजर नहीं आ रहा है। मेरा यह कहना है कि जहां-जहां पर भी ये घोटाले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मंत्री जी, दूसरी बात यह है कि जो बच्चे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे केंद्र और राज्य सरकार के छह-छह एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, आप उनसे एग्जामिनेशन अप्लीकेशन का फीस लेते हैं। इनकी फीस क्यों नहीं माफ की जा रही है? एक तो आप नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं और दूसरा जो बच्चे छह-छह एग्जामिनेशंस के अंदर बैठ रहे हैं, उनसे आप पैसा ले रहे हैं।... (व्यवधान)

सभापति महोदया, हमारे देश के नौजवान बच्चे आज सदन की तरफ नजर लगाए हुए हैं। अभी तेलंगाना के अंदर ग्रुप-1 प्रिलिमनेरी एग्जामिनेशन में पहली जुलाई को घोटाला हुआ। उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर वह तीन महीने के बाद होने वाला था, लेकिन फिर घोटाला सामने आया, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि अब एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन आ गया। मेरा यह कहना है कि बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता होगा कि

इतनी मेहनत करने के बाद भी वे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी यहाँ से उठ कर चले गए हैं। उन्हें उर्दू अच्छी तरह से आती है। मैं उनसे यह पूछना चाहूँगा कि आज पढ़े-लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, यह उनकी हालत हो गई है। हाइली क्वालीफाइड बच्चे आज क्लर्क, चपरासी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार के एक डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय हो गया है।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : मैडम, प्लीज मुझे एक मिनट का समय दीजिए। 64 पोस्ट के लिए 9 हजार बच्चों ने अप्लीकेशन दिये हैं। मैं तेलंगाना के जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें 500 पोस्ट्स हैं, लेकिन साढ़े तीन लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ। आंकड़े आपके ही हैं। आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को क्लीयर कर दिया है, लेकिन नौकरियाँ कितनी हैं, यह बताइए। वर्ष 2022 में इसी लोक सभा के अंदर रिटेन रिप्लाइ में यह बताया गया था: "The rush for Government jobs continued unabated over the last eight years, but less than one per cent of applications received were selected."

मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 8 सालों का जो आंकड़ा है, 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया। उनमें से महज 7 लाख 22 हजार बच्चों को सरकारी नौकरियाँ मिलीं। 22 करोड़ कहां पर है और 7 लाख कहां पर है? इसके बावजूद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

मैडम, कल हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना। वे दो घंटे तक बोलते रहे कि कितना अच्छा काम किया है, हमने मंदिर बना दिया, हमने यह बना दिया, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाईं, बेंच को बजा-बजाकर अपने हाथ दुखा दिए। क्या मोदी जी की गारंटी इस देश के नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं होनी चाहिए?... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कल माननीय प्रधान मंत्री जी का दो घंटे का भाषण था। हम सब उस भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक के बाद एक पिछली घटनायें, कई चीजें जो 60-70 वर्षों में हुईं, किस प्रकार से सुधार का वातावरण बना, किस प्रकार से हर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम पूरे किए, आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि हम कहां-कहां बढ़े और कैसे-कैसे बढ़े। इस एरा के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट के रूप में, एरा के सबसे बड़े नेता के रूप में हम सब लोगों ने थपथपी बजाकर उनका स्वागत किया। जो उनका अंतिम बयान था, शायद हमारे विपक्ष के लोग उस बात को सुनने से थोड़ा परहेज करते थे, उन्होंने कहा कि आज भी हम तैयार हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। आने वाली पीढ़ी के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उनका एक और वाक्य कि तुम चाहे जितने पत्थर हम पर चलाओ, उन सभी पत्थरों को भारत के नवनिर्माण में, उसकी नींव में हम इस्तेमाल करेंगे। आज एक ऐसा विधेयक लाया गया है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी किसी भी संदर्भ को देखते हैं, किसी भी समाचार को पढ़ते हैं, उनके जीवन का जो भाग रहा है, उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं एक रास्ता निकालकर आते हैं। दूरगामी नेतृत्व उसी को कहते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता निकालता है।

आखिर हमें यह कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर नीतिगत तौर से देखा जाए तो आखिर हम विफल कहां हुए कि परीक्षा में और बहालियों में कड़ाई का प्रावधान हम लोगों को करना पड़ा? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए? माननीय प्रधान मंत्री जी इन सभी विषयों के बारे में इंगित करते हैं। शायद आप सब लोगों को याद होगा कि पहले बहाली की प्रक्रिया क्या होती थी। बहाली की प्रक्रिया होती थी कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो आपकी परीक्षा का परिणाम होता था, उस पर सीधे सरकारी नौकरी में दाखिला हो जाता था। उस समय कोई चुनौती नहीं होती थी। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि देश में कई सरकारें रही हैं और मूलतः कांग्रेस की सरकार बड़ी लंबी अवधि तक रही है। पिछले साठ वर्षों में अब परीक्षा के परिणामों से नौकरी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।

भ्रष्टाचार इस प्रकार से उसमें प्रवेश कर गया, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी गिरावट ऐसी थी कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा में उन सब शैक्षणिक संस्थानों में मार्क्स लेने की होड़ हुई और उसकी व्यवस्था टूट गई कि सभी राज्यों को और देश की सरकार को अलग-अलग परीक्षा करने के लिए मजबूरी पैदा हो गई। पहले तो कभी नहीं होता था कि नौकरी के लिए परीक्षा हो, लेकिन अब उसकी परम्परा शुरू हो गई। पिछले 60-70 वर्षों में हम देख रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आज तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। क्यों ऐसा होता है कि देश की परीक्षा, जहां सारे यूपीएससी से आईएएस, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज़ के लोग आते हैं, वहां यह घटना नहीं घटती है? ऐसा क्या है कि वहीं इस भारत के लोग जो इस बात को संचालित करते हैं, वहां यह घटना नहीं होती है और बाकी राज्यों में होती है? माननीय प्रधान मंत्री जी ने विश्लेषण कराया ही होगा। यह एक ऐसा विषय है, जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन पिछले पांच वर्षों का विश्लेषण किया जाए, मैंने 15 राज्यों का विश्लेषण किया। जिसमें डेढ़ करोड़ लोग शामिल हुए और 41 परीक्षाओं में धांधली हुई या बहाली में धांधली हुई। झारखंड के हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिष्णा। डेढ़ करोड़ परीक्षार्थी इस देश में प्रभावित हुए। 15 राज्यों में लगभग 41 स्थानों पर इस प्रकार की अवैध या गलत बहाली की प्रक्रिया हुई। उसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पुलिस की बहाली थी, फॉरेस्टर्स की बहाली थी, इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि किस राज्य में कम हुआ या कहीं ज्यादा हुआ।

लेकिन यहां कुछ राज्यों का उल्लेख करना जरूरी है। पिछले पांच वर्षों में जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। राजस्थान में पिछले पांच वर्षों के भीतर 7 इम्तिहान हुए, 41 हजार पोस्ट थीं और 38 लाख अभ्यर्थी उनमें भर्ती होने के लिए आए। अहलुवालिया साहब बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री अभी जेल में हैं। 38 लाख एस्पिरेंट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में 4 हजार पोस्ट्स की वैकेन्सीज थी, इसके लिए 1 लाख 64 हजार कैंडिडेट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। तेलंगाना में पांच इम्तिहान हुए, जिनमें 3770 पद थे, इसके लिए 7 लाख अभ्यर्थी परीक्षा

में शामिल हुए, उसे कैंसिल करना पड़ा। बिहार में 3 परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ा, जिनमें 24 हजार पोस्ट्स थीं, 23 लाख अभ्यर्थी थे।

सभापति महोदया, वैसे आप भी बिहार से आती हैं। हमारे यहां बिहार में क्या है? हमारे यहां फैक्ट्री नहीं है। पिछले 30-40 साल में जो परिस्थिति रही, हमारे यहां बच्चे रोजगार को ही फैक्ट्री मानते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते तो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर लेते हैं, वही रोजगार है। बिहारी पूरा भारत चलाता है, बिहार ही पूरा भारत चलाता है।

अब क्या करे बेचारा। न फैक्ट्री लगा। लेकिन अब हम लोग सुधारेंगे, हम लोगों की नयी सरकार फिर से बनी है, फिर गति से लगाएंगे। बिहारियों के साथ संकट है, झारखंड के साथ भी वही संकट है। आप हमसे अलग होकर चले गए, हम लोग कभी साथ में विधायक थे। इन सभी राज्यों में जब रोजगार नहीं है तो सरकारी रोजगार ही मेरे लिए इंडस्ट्री है क्योंकि हम वहीं से नौकरी पाएंगे, आईएएस की नौकरी पाएं या बीपीएससी का नौकरी पाएं, हम नौकरी लेंगे। जब नौकरी मिल जाएगी तो सरकार का घर मिलेगा, हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। कुछ लोग उद्योग लगाकर पूंजी कमाते हैं, हम बिहार के लोग नौकरी लेकर अपने जीवन स्तर को ऊपर करते हैं, यह भी एक फार्मूला है। चार करोड़ लोग बिहार से अलग होकर झारखंड चले गए, उनके लिए भी लड़ाई लड़नी है।

हर तरह की चीजें होती हैं, कहीं परीक्षा हो रही थी। बिहार बीपीएससी की परीक्षा थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको अपने राज्य को ही कोट करना पड़ता है क्योंकि बिहार सब चीज में आगे है। बिहार हर चीज में आगे है तो इन सब चीजों में भी हम आगे पहुंच जाते हैं। ऐप पर तुरंत क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, व्हाट्सऐप पर देखा तो पेपर आ गया था। उन बच्चों को जिनको मोबाइल फोन की अनुमति दी गई थी, अलग कमरे में बैठाया गया था, मामला बिगड़ गया तो पकड़े गए।

इसका कासकेडिंग इफेक्ट क्या होता है? तेलंगाना में 2020 में परीक्षा हुई थी, कैंसिल होकर फिर से परीक्षा हुई, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। लगभग डेढ़ लाख बच्चे उसके इंतजार में हैं। कहने का मतलब है कि उन बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ कर आते हैं, उनका

क्या कसूर है कि इस प्रकार की स्थिति है? यह वह मामला है, जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई, जो मामला प्रकाश में आ गया और वे पकड़े गए। देश के प्रधानमंत्री क्या-क्या सोचते रहते हैं, कैसी-कैसी कल्पना को लागू करते हैं। वे लोग पकड़े गए हैं और पता लगा है। अगर ऐसे हालात बने हुए होंगे तो देश में ऐसी कितनी बहालियां हो गई होंगी जिसका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला होगा। आखिर इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कई बार हम लोगों को दिखता है। हम राजनेताओं की भूमिका बहुत अजीब है।

अब मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं तब विधायक भी नहीं बना था। मैं वर्ष 1987 में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया। मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे। मैं इकोनॉमिक्स में पास भी कर गया। उस समय की राज्य सरकार जो 1990 में आते-आते, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जेल भी चले गए, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री का यूनिवर्सिटी पर कब्जा था। उनका यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर कब्जा था। देखिए, शुरूआत कैसे होती है? हम नेताओं की भागीदारी से किस प्रकार से इन परंपराओं को तोड़ते हैं? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं।

महोदया, मैं मेरिट में सबसे आगे था। उस समय के राजनेताओं के सामने जब लिस्ट रखी गई कि राजीव प्रताप रूडी, जो अभी एमएलए हैं, उनकी बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में लैक्चरर की एपाइंटमेंट हो गई तो इसे पूरा फाड़कर नीचे फेंक दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच्चाई है। जब मुझे पता चला तो मैं पटना हाई कोर्ट में गया और मैंने इंटरव्यू के कागज निकाले। मैं बता रहा हूं कि करप्शन कहां से आता है। ... (व्यवधान) आपको क्यों परेशानी हो रही है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की बहाली 100 परसेंट करैक्ट है और मैं बहाल हो गया। यह उसी व्यक्ति की बात है। मैं एक और चीज पूछता हूं। जैसे तो माननीय प्रधान मंत्री दूरगामी हैं, ये सब कानून थोड़ा पहले आने चाहिए थे। मेरी बात सुनिए, मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी से थोड़ी सी एक बात की तकलीफ है, माननीय प्रधान मंत्री जी को थोड़ी पहले इस देश का प्रधान मंत्री बनना चाहिए था। अगर 20-25 साल पहले प्रधान मंत्री बने होते तो कम से

कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते। उनको भी समझ में आ गया होता कि इस देश का कानून ऐसा बना हुआ है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे।

माननीय सभापति जी, इसके बाद देखिए, हम रोज सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जेल चले गए। कुछ लोग जेल जाने से परहेज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नोटिस ही नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए कि ये सब परिस्थितियां क्यों आती हैं? वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक देखिए कि देश में क्या होता था। आप भी उससे प्रभावित हैं। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप भी प्रभावित हैं। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया, जो उस राज्य के मुख्यमंत्री थे और मैं चुनाव हार गया। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक पूरे भारत वर्ष में, महाराष्ट्र जोन, बंगाल के जोन, नॉर्दन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वैस्टर्न रेलवे, साउथ-सैंट्रल रेलवे जोन में पूरे बिहार के लोगों के सभी जोनल मैनेजर्स, उस समय के भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स ने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह बीमार थे फिर जेल चले गए, मेरे उनसे संबंध अच्छे हैं, खराब नहीं हैं, पूरे भारत में गुप-डी की कागज की लिस्ट बनाकर बहाली कर दी गई। ... (व्यवधान) अब आप मत पूछिए। ... (व्यवधान) आजकल सबको आप ही जेल भेजते हैं। ... (व्यवधान)

मैडम, आपको याद होगा। आज स्थिति क्या है? जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन ली गई, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया। पिछले दस साल से वह जेल में थे, छूट कर आए हैं, उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आज भी उसी बहाली को लेकर पेशी होती है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात थोड़ी शॉर्ट कर लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप ही के राज्य की बात बता रहे हैं।

माननीय सभापति : मालूम है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप भी प्रताड़ित रही हैं। आपके भी बच्चे हैं।

माननीय सभापति : समय के अनुसार बिल पास करना है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : इससे बुरा पोलिटिकल लोगों के लिए क्या होता है? जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हमारे पास आते हैं। ऐसा होता है कि लोग परीक्षा की एप्लीकेशन डालते हैं और परीक्षा की एप्लीकेशन लाकर एमपी साहब को देते हैं कि बहाली करा दो। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बनाकर दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले ऑनलाइन के आधार पर बनी एप्लीकेशन एमपी को देते हैं कि बहाली करा दो।

माननीय सभापति: आप जो बोल रहे हैं, सत्य है, लेकिन दो बिल और पास करने हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अभी तो पांच ही मिनट हुए हैं। अब तो हम सब साथ ही चुनाव में जा रहे हैं।

क्या आप इतनी जल्दी करेंगी?

माननीय सभापति : दो बिल और आने वाले हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या हमने आपकी बात कभी टाली है? बिहार के हित में क्या हमने कभी आपकी बात टाली है? मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ।

माननीय सभापति: अच्छा लग रहा है। आप जो बोल रहे हैं, सब सच्चाई है। लेकिन समय का प्रतिबंध है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैडम, मेरी घड़ी तो ठीक काम कर रही है। पांच मिनट ही हुए हैं।

माननीय सभापति: 15 मिनट हो गए हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यहां जो प्रस्ताव आया है, जो बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं और मैं इसके लिए सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैडम, आज विपक्ष के लोगों ने कितनी अच्छी बातें कही हैं, अगर कल कहते तो कितना अच्छा लगता। देश की सरकार हर काम अच्छा ही कर रही है। इस कानून के द्वारा इस बड़े परिवर्तन के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और इस सदन को धन्यवाद देता हूं कि इससे आने वाले दिनों में ईमानदार परीक्षार्थी, अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा और उसकी मेरिट को रिकोगनाइज किया जाएगा। देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारा यही लक्ष्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Madam Chairperson. Thank you for giving me the opportunity.

Madam Chairperson, Tamil Nadu has one of the great indices in education. It has been brought out by the Education Policy that the State should have a primary school for every one kilometre, a middle school for every three kilometres, a high school for every five kilometres, and a higher secondary school for every seven kilometres. Due to this, Tamil Nadu has attained the Gross Enrollment Ratio of 52 per cent. That is the target of India to reach this Gross Enrollment Ratio by 2030. Tamil Nadu has reached that now itself. It is because of all the policies that had been brought out by the Dravidian principles and ideologies. The said principles and ideologies opened education to the underprivileged. It was during the time of Justice Party in the year 1920 under the regime of the then Government that the noon- meal scheme for Chennai Corporation Schools was started but after that it was stopped due to no funding. Later on, it was done by the great leader, Perunthalaivar Shri Kamaraj. We have many other schemes which have brought students to schools for education, which include giving free cycles and bus passes to students and so on.

The flagship programme under the able leadership of Shri M.K. Stalin which we would like to mention here is the breakfast scheme which is the first of its kind in India. There is another scheme for giving Rs. 1000 to girl students who study in Government schools from classes 6 to 12. They are given Rs. 1000 during their entire college education, whether they study in a Government or a

private college, irrespective of the courses that they pursue. This is going to bring the Gross Enrollment Ratio of Tamil Nadu to 75 per cent.

Madam Chairperson, through you, we request the hon. Minister to bring back the subject of Education to the State List instead of the Concurrent List because people sitting in Delhi cannot decide the language that the people want in Tamil Nadu or in the North East. Madam, in developed countries, even though they have one largest spoken language, still the education policy is decisively taken up by the province or the state and it is not done by the Centre. So, it is high time that each language is given importance and cultural diversity is protected.

Madam Chairperson, it was our great visionary leader, former Chief Minister, the Late Dr. Karunanidhi who had abolished the entrance exams in the State. Due to the abolition of entrance exams, students from rural areas were able to get into medical and engineering colleges. But with the advent of NEET exam, what has happened is that only the affluent are able to get into such colleges. Even if you get a single percentile in your 12th examination, you still get passed.

माननीय सभापति : कृपया अब कनक्लूड कीजिए ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. : Madam, I am just concluding in one minute. If you are rich enough, by spending Rs. 20 lakh you can go to a private medical college. So, this is what we are against.

Madam Chairperson, with regard to entrance examinations, I would like to say that the students who go for the exams are thoroughly searched and are

physically frisked. Their *dupattas* are removed. Their hair clips and earrings are removed. Even their ornaments are removed. They should not be treated as terrorists. They should be treated as students who are just going to colleges and they should be treated with dignity and humanity.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. I request that this Bill titled Public Examinations for employment and getting admission in higher educational institutions (Prohibition of Unfair means) should be, in the first instance, referred to the Parliamentary Standing Committee for its review. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Party I want you to ponder over and review whether these public examinations are necessary? Students, after completing a degree course and when they engage themselves in search of jobs or when they try to get admission in higher educational institutions, appearing for these competitive examinations create a lot of tension and pressure in their minds. I want to say about the first-generation students, particularly of the rural areas, whose parents do not have any educational background and these students who step into schools and colleges for the first time consider their passing out and getting a degree as an achievement. Such persons are forced to appear in these competitive examinations for getting employment in government and public sector time and again and I think their opportunities are snatched away in a planned manner. This filtering process, I think, is considered as a new strategy to stop them in getting into higher posts or employment. They have to witness various examinations like entrance exams, eligibility tests and recruitment examinations one after the other. I think that there is a big gap between getting educational qualification and getting employment. Therefore, it should be made easy. I request you that all the Degree holders should be given extensive training in their respective Universities making

* English translation of speech originally delivered in Tamil.

them eligible for getting employment in respective sectors. There is a need to approach private coaching centres for exams like IAS, IPS or competitive exams, RRB exams, Banking Services recruitment exams and these private coaching centres work on commercial terms. These candidates, after getting training in these private coaching centres by paying several lakhs of rupees, become successful in these competitive examinations. Therefore, in general, these competitive examinations should be completely given up. This is the request of Viduthalai Chiruthaikal Party. During corona pandemic, those candidates who appeared for IAS examinations remained affected because they could not make due preparation for the exams. Therefore, they want one more opportunity to be extended to them as they have been approaching the authorities with this demand. I request that the Government should consider giving one more opportunity for such IAS aspirants. I once again request that this Bill should be referred to a Standing Committee of Parliament for its review. Thank you.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ।

मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और रद्द की गई परीक्षाओं से पीड़ित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रति सहानुभूति रखती हूँ। लेकिन, आज मैं इस विधेयक के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए खड़ी हूँ। आज इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक के बाद भर्ती परीक्षाओं, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी, गुजरात और बिहार में सिपाहियों की भर्ती और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते जूनियर क्लर्कों के लिए परीक्षा भर्ती सहित कई प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करने की पृष्ठभूमि पैदा हुई है। कई समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक पेपर लीक से 1.4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक से 70 से अधिक मामलों ने हजारों इच्छुक उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद किया है। साथ में उनका आर्थिक शोषण भी किया है, क्योंकि बार-बार परीक्षा लीक होने के कारण बार-बार परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जो गरीब अभ्यर्थी होते हैं, उनके पास उतना धन नहीं होता है। वे लोन लेकर या किसी से उधार लेकर परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि जब परीक्षा इस तरह से लीक हो जाए, पेपर आउट हो जाये या किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो जाए तो उन अभ्यर्थियों का पैसा भी वापस किया किया जाए। यदि बिल पर गौर करें तो धारा-3, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन समझे जाने वाले कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ तक शामिल है। हालांकि, मैं इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करती हूँ, लेकिन यह पहचानना भी आवश्यक है कि इन कदाचारियों का मूल कारण बहुत बड़ी प्रणालीगत विफलता है। हाल के वर्षों में पेपर लीक, सामूहिक नकल या प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़, किसी भी रिपोर्ट के बिना सार्वजनिक परीक्षा का सफल संचालन आज दुर्लभ हो गया है।

इसके अतिरिक्त हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, जहां परीक्षाओं में सफल होने का दबाव बहुत अधिक है, जो अक्सर देश में प्रचलित निजी क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के गंभीर परिणामों

से प्रेरित होता है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत विफलताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसका विधेयक पर्याप्त रूप से संबोधन करने में विफल है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार की घटनाओं पर बिना सोचे-समझे की गई प्रतिक्रियाओं के हानिकारक प्रभावों को उजागर करती है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तर्क को खारिज करने के बावजूद कि कदाचार के अलग-अलग मामलों के कारण पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, कई राज्य ऐसे कठोर उपायों का सहारा ले रहे हैं। परीक्षाओं को अंधाधुंध रद्द करने से न केवल निर्दोष उम्मीदवारों को गलत तरीके से दंडित किया जाता है, बल्कि इच्छुक उम्मीदवारों की पहले से ही अनिश्चित स्थिति भी बढ़ जाती है।

एक उम्मीदवार की दुर्दशा पर विचार करें, तो किसी परीक्षा को मनमाने ढंग से रद्द करने या देरी के कारण पात्रता...(व्यवधान) वह निर्धारित पात्रता या आयु सीमा को पार कर जाता है। कई उम्मीदवारों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होकर उनका बेहतर भविष्य हासिल करने का आखिरी मौका होता है। नकल और कदाचार के कारण आजकल बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी का आलम ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि नौकरियां मिशन मोड में दी जा रही हैं। मैं इसका समर्थन करती हूं, लेकिन जो नौकरियां मिली हैं, वे सीमित समय के लिए मिली हैं या तो आउटसोर्सिंग से मिली हैं। जबकि केन्द्र और राज्यों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि एक स्पेशल अभियान चलाकर इन खाली पड़े हुए पदों को भरने की कोशिश की जाए, ताकि जो बेरोजगारी है, उसे कम किया जा सके। इन परीक्षाओं में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उस पर दंड प्रणाली और सख्त की जाए।

महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री संजय सेठ (राँची) : सभापति महोदया, आपका जोहार ।

मैं प्रतियोगी परिक्षाओं की निष्पक्ष और सदाचार मुक्त संचालन के लिए पेश किए इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रतियोगी परिक्षाओं में पेपर लीक और धांधलियों को रोकने के लिए, हम कह सकते हैं कि यह विधेयक देश के युवा और मेहनतकश छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो, जहां छात्रों का मनोबल न टूटे, युवाओं का मनोबल न टूटे, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंग्रेजों के जमाने के 1,500 कानूनों को ध्वस्त कर दिया। कई ऐसे कानून जो अनुपयोगी थे, उनको ध्वस्त कर दिया। ऐसे-ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनकी देशहित में आवश्यकता है।

मैं तो कह सकता हूँ कि झारखंड के विद्यार्थियों का सौभाग्य है, अभी दो दिन पहले मैंने इस सदन में जेएसएससी पेपर लीक का मामला रखा था कि कैसे झारखंड के अंदर पेपर लीक हुआ और सचिवालय सहायक परीक्षा में 750 केन्द्र बनाए गए थे। ठंड के मौसम में छात्र बसों और ट्रेनों में बैठकर परीक्षा देने के लिए गए थे। जब वे परीक्षा दे रहे थे, तब उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब वे न्याय मांगने के लिए गए, तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। दोषियों को नहीं पकड़ा गया, बल्कि छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाई गईं। छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाकर, एसआईटी का गठन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। ये कहां का न्याय है?

इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने छात्रों के हितों के लिए इतना बड़ा सुधार का कदम उठाया है। ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने झारखंड सरकार की परीक्षा में बैठने के लिए इस उम्मीद के साथ आवेदन किया था कि परीक्षा होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनके परिवार का भविष्य सुधरेगा, लेकिन उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया है। अब उनके दिलों पर क्या बीतती होगी, उनके परिवार वालों पर क्या बात रही होगी। मैं कह सकता हूँ कि झारखंड राज्य ने यह दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया है।

मैं बताना चाहता हूँ कि कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता झारखंड गए थे। उन्होंने फोटो सेशन भी किया, फोटो भी खिंचवाई, लेकिन छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर जो केस हुआ, उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने फोटो सेशन तो कराया, कराओ, लेकिन छात्रों के हितों की तो

बात उठाते या बात करते। मेरा आग्रह है कि सीबीआई द्वारा अविलंब जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी ही क्यों न हो, उनको जेल में डालना चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं और छात्रों को इतना बड़ा उपहार देने का काम किया है। पुनः मैं आपका इस आशा के साथ अभिनन्दन करते हुए कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय होगा और सीबीआई जांच कराकर ऐसे दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

17.00 hrs

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, मुझे बोलना है।

माननीय सभापति : अधीर जी, क्या आपने समय मांगा है?

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, हां।

माननीय सभापति : आपने समय कहां मांगा है?

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, मैं पहले ही कह चुका हूँ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात दो मिनट में कह दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, मैं दो मिनट ही लूंगा।

माननीय सभापति : ठीक है, आप बोलिए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I rise to dwell on the legislative document under the nomenclature, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024. It may be called as Anti-Cheating Bill.

I would like to draw the attention of hon. Minister towards an important thing. According to a news item published in *The Indian Express*, it has been stated that there have been very large number of cases of question paper leaks in recruitment exam across the country in recent years. An investigation by *The*

Indian Express found at least 48 instances of paper leaks in 16 states over the last five years, in which the process of hiring for Government jobs was disrupted. The leaks touched the lives of at least 1.4 crore applicants for about 1.04 lakh posts. What shall be the fate of those aspirants who have been caught in this kind of nefarious activities for which they have not committed any fault?

The second thing is that through this legislative document, you are talking about bringing transparency. Just yesterday, I have mentioned that according to the Transparency International Report, India's ranking on the Corruption Perception Index dropped from 85th in 2022 to 93rd in 2023. That means, the Corruption Perception Index has been alarming by increasing. Here, in this Bill, certainly, lofty ideals have been enshrined but the issue is that you are putting your entire emphasis on punishment. Why are preventive measures not being conceived? The Bill has penal provisions for committed offences but lacks preventive measures to reduce such acts. ... (*Interruptions*)

The second thing is that the transparency regime in the country is currently facing significant challenges. Three State Information Commissions are inactive and six including the Central Information Commission have pending vacancies at the leadership level. Additionally, there is a backlog of 3.21 lakh complaints and appeals. How would you be able to deal with this kind of a situation?

In October 2023, a cyber-security firm based in the United States disclosed that the personal data of 815 million Indian citizens such as Aadhaar numbers and passport details were being sold on the dark web. In the past five years

leading upto March 2023, there have been a total of 47 incidents of data leaks and 142 data breaches reported as per the Union Government.

When there is a plethora of such kind of leaks, how will you be able to plug these kinds of serious loopholes?

Not only that, only 38 per cent of households in our country are digitally literate. Around 70 per cent of India's population struggles with limited access to digital services. Among the poorest 20 per cent of households, only 2.7 per cent own a computer and 8.9 per cent have internet access.

Again, I am also trying to highlight the issue that the entire emphasis of this legislative document is to centralise the entire authority at your disposal. That is why, the Bill grants significant authority, including the power to the Union Government to formulate rules and regulations. Additionally, it confers the ability to transfer investigations to Central agencies, thus consolidating considerable control of investigation in the hands of the Union Government.

माननीय सभापति : कृपया आप कनक्लूड कीजिए ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: If the centralisation of authority is in the hands of a Government like yours, it is easily assumed that all the opposition voices will further be throttled by this kind of a legislation. Thank you.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है, क्योंकि ऐसी अपेक्षा न थी कि इस विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा होगी और हमारे इतने सारे माननीय सदस्य इसमें बोलने की इच्छा प्रकट करेंगे । इससे यह सिद्ध होता है कि यह विषय सब के हृदय के नजदीक है । कुल-मिलाकर के सैद्धांतिक तौर पर किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया ।

I would like to officially acknowledge Shri Kodikunnil Suresh from Congress; Dr. Satya Pal Singh from BJP; Shri D.M. Kathir Anand from DMK; Shrimati Chinta Anuradha from YSRCP; Shri Rahul Ramesh Shewale from Shiv Sena; Prof. Achyutananda Samanta from BJD; Shri Malook Nagar from BSP; Shri Sumedhanand Saraswati from Bharatiya Janata Party; Shri Imtiaz; Dr. DNV Senthilkumar; Dr. Thol Thirumaavalavan; Shrimati Sangeeta Azad; Shri Sanjay Seth; and Shri Adhir Ranjan Chowdhury. ... (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी : आपने मेरा नाम नहीं बोला । ... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : रूडी जी हमारे गुरु भी हैं और सदा हमें गाइड भी करते रहे, इसलिए इनका नाम मेरी जुबान से लेना छोटे मुंह बड़ी बात हो जानी थी । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा का नाम ले लीजिए ।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): There are so many other speakers, including me, who have spoken. ... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Yes, I know, Shri N.K. Premachandran has spoken. ... (*Interruptions*)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : उसमें नहीं है ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : उसमें है और फिर से आ रहा है ।... (व्यवधान) *Dada*, this is also a healthy sign that everybody wants his name to be included and associated with this legislation. So, this gives me tremendous amount of encouragement.

Now, the point is this. As I said in the morning, I hope, we will carry forward this legislation in the same spirit. This is above politics, and I think, this is a concern which deals with the daughters and sons of this country, and which all of

us share. कुछेक शंकाएं हैं, क्योंकि अभी हमें इस बिल को शायद उतना विस्तृत तौर पर पढ़ने का अवसर भी नहीं रहा और चर्चा भी नहीं रही। सबसे पहले तो जो बात माननीय सुरेश जी ने उठायी थी, उसके बाद फिर कुछेक हमारे मित्रों ने उठायी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि the student or the candidate does not fall under the purview of this legislation. कहीं ऐसा संदेश न जाए कि किसी उम्मीदवार को, चाहे वह जॉब एस्पिरेंट है, चाहे वह किसी उच्च संस्थान में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट है या उम्मीदवार है, उसको किसी तरह से हेरासमेंट में डाला जाएगा, तंग किया जाएगा। ये लेजिस्लेशन या कानून उन लोगों के विरुद्ध लाने का प्रयास हो रहा है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इसमें किसी तरह का अपराध करते हैं।

I think under Prime Minister Modi ji we have always tried to follow the spirit of cooperative federalism. We have gone one step beyond. It will not be right to say that there is any attempt to centralize this entire system. जब हम सबका एक ही कन्सर्न है तो सेंट्रलाइज्ड की क्या बात है? मैंने सुबह भी कहा था कि क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे या आपके बच्चे उस स्थिति से न गुजरें जैसे वह बिटिया गुजरी है, जो लिखकर छोड़ गई कि 'मम्मी-पापा, I am the worst daughter in this world.' तो फिर सेंट्रलाइज्ड कहां पर आया? वे कहते हैं कि 'खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या।' जहां हम दर्द से जुड़ रहे हैं, वहां जुदाई की कोई गुंजाइश नहीं होती है, राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक बात बार-बार कही गई है और वह एक सकारात्मक सुझाव है कि अगर कोई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो फिर उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया जाए। I think this is a suggestion which is well-taken. इनका कहना है कि इससे बच्चों का साल खराब हो जाता है। जब अलग-अलग परीक्षाएं रद्द होती हैं तो वे अलग-अलग कारणों से होती हैं। कहीं पर सीबीआई की इंक्वायरी रहती है, कहीं पर किसी और तरह की एजेंसी या संस्था जांच कर रही होती है। इसलिए प्रत्येक परीक्षा के लिए चाहते हुए भी कोई समयबद्ध सीमा रेखा बनाना संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमारा और सबका यही प्रयास रहेगा और

जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनका भी यही प्रयास रहता है। चाहे संस्थाएं हों या कोचिंग सेन्टर्स हों, उसके दायरे में वे सारे दायरे आ जाएंगे, जो डायरेक्टिली या इनडायरेक्टिली जुड़े हैं।

सत्यपाल जी ने ठीक कहा है कि परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार अपीयर होते हैं। स्टाफ सलेक्शन कमीशन में 60 से 70 लाख तक उम्मीदवार अपीयर होते हैं। इसलिए यह भी एक कारण हो सकता है कि शायद अभी व्यवस्थाएं धीरे-धीरे उस तरह से विकसित हो रही हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। I will seek the permission of the hon. Chairperson to clarify it. श्री डी. एम. कथीर आनन्द साहब ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाषा के कारण भेदभाव हो रहा है। I said in the beginning that I do not want to give even the slightest political tinge to this debate. But on the basis of facts, may I make a small submission that this is for the first time that this Government, the NDA Government under Prime Minister Modi has started conducting Staff Selection Commission's examinations in 13 regional languages, including Tamil. This did not happen during the UPA rule of which DMK was a partner. So, may I humbly remind him, what they have left undone has been accomplished by this Government. If they could not do it at that time due to whatever may be the reasons, we have done it.

Similarly, as far as the UPSC is concerned, we have again 13 Scheduled Languages in which these exams are conducted. We hope to gradually include all the 22 languages. The Staff Selection Commission Examination is being conducted in all the regional languages including Tamil and also the other south Indian languages. मैंने सुबह कहा था कि यह मेरा सौभाग्य है कि तमिल संस्कृति के प्रतीक 'सेंगोल' की उपस्थिति में, इनको साक्षी मानकर के हम युवा शक्ति को समर्पित यह विधेयक ला रहे हैं।

So, with all the due respect to all cultures, all regions of this country, this Government has introduced 13 regional languages in all the different kinds of

exams, including MTS non-technical, Constable in Paramilitary Forces and Combined Higher Secondary Level exams. हायर सेकेंडरी के बाद जिन-जिन पदों के लिए उम्मीदवार क्वालीफाईड होता है, उस तक भी हमने रीजनल लैंग्वेज में काम करना शुरू कर दिया है। उसके उपरांत उन्होंने यह कहा कि तमिलनाडु में वहां की सरकार टीचिंग मटेरियल और प्रिपरेटरी मटेरियल उपलब्ध करवा रही है।

ऐसा नहीं है, ये व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार में भी है। हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि राज्य सरकारें भी उसका लाभ लें। उदाहरण के तौर पर, Indian Institute of Public Administration is one of the oldest government institutions set up in early 1950s. प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने उसका शिलान्यास किया था। उसका यही दायित्व है, यही मैनडेट है। समय-समय पर प्रदेशों के अधिकारियों और वहां के दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त मल्लू नागर साहब ने एक बात कही है कि बॉर्डर विलेजेज की विशेष चिंता की जानी चाहिए। शायद उनके ध्यान में होगा कि मोदी जी ने ही इन सीमावर्ती गांव के नाम को आखिरी गांव से बदल कर पहला गांव किया है। यानी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान जितनी भी योजनाएं मोदी जी की हैं, चाहे वह उज्ज्वला योजना है, चाहे वह शौचालय से संबंधित योजना है, वह सुविधा के साथ-साथ सम्मान देती है। It raises the esteem of the common Indian. उन्होंने कहा है कि जो वर्किंग इम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी समय-समय किस प्रकार से जायजा लिया जाता है। हमारे पास पहले ही उसके लिए व्यवस्था मौजूद है। अब उसको भी तरह-तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सुदृढ़ करने का काम किया गया है। इसी प्रकार षडङ्गी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ideally, this situation should not have arisen. हमारे संस्कार इतने मजबूत हों, हमारी विरासत से लिए गए हमारे मूल्य इतने मजबूत हों, हमारी इंटैग्रिटी इतनी मजबूत हो, तो शायद इस तरह की विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। शायद, फिर इस तरह के कानून की जरूरत भी न होती। साथ ही साथ उन्होंने यह भी ठीक कहा कि जब तक वह स्थिति नहीं आती, if we actually rise to that level, that is an ideal level. Mahatma Gandhi once said :

“What is the meaning of non-violence? Non-violence is not the virtue of the meek or the weak. मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है। मैं दुर्बल हूँ, मुकाबला करने से डरता हूँ और कहता हूँ कि साहब, मैं हिंसा का पुजारी हूँ, मेरे ऊपर हमला न करिए, तो वह मेरी कायरता है। वह अहिंसा नहीं है।” यह गांधी जी ने भी कहा है। यह गौतम बुद्ध ने भी कहा है। But till we rise to that level, जिस दिन हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर न हमें एंटीकरप्शन की आवश्यकता होगी और न विजिलेंस एजेंसी की बात होगी, लेकिन तब तक क्योंकि यह संसार है, इसे कुरीतियों से बचाना भी हमारा दायित्व है। जैसे इकबाल का शेर है कि

“अच्छा है दिल के पास रहे, पासबान-ए-अक्ल,
लेकिन कभी-कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें।”

Ideally, the heart should always be guided by the brain, but it does not happen always. इसलिए इन कुरीतियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। इसी प्रकार कल्याण बनर्जी की यह चिंता थी कि implementation of law कैसे हो? Dada, I agree with you, all of us agree, that implementation is equally important. If we have not been able to accomplish it to the expected levels, the desired levels, all of us, the entire society is responsible for it. यह यही सरकार थी, यही डीओपीटी का विभाग था, सन् 2018 में मेरे ही माध्यम से यहां एक विधेयक लाया गया था। हमने वर्ष 1988 का एंटी करप्शन कानून संशोधित किया और हम रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ रिश्वत देने वाले को भी उसके दायरे में लाये। So, the bribe-taker alone was not made the culprit; the bribe-giver was also included. कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जितनी भी रचनाएं हो रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में इन सारे नियमों, विधायकों की रचना हो रही है, ये निहायत ही संवेदनशिलता के साथ हो रही हैं। इसी तरह से जस्टिस मसूदी साहब का कहना ठीक है कि level-playing field is what is required. Actually, in the beginning of my opening remarks, I mentioned that we brought in the rule to abolish interview.

Interview abolish करना इतना आसान नहीं रहता । सबसे ज्यादा दिक्कत राजनीतिज्ञों को आती है । अगर यह नहीं आती होती तो 65 साल पहले ही खत्म कर दिया जाता । क्योंकि फिर आप किसी की मदद नहीं कर सकते । चाहे वह आपका कार्यकर्ता या आपका प्रिय हो, लेकिन यह घोर पाप न हो । मोदी जी ने यह कहा है, यह सिखाया है कि जहां जिस चीज की कमी रह गई है, उसकी पूर्ति करनी है । फिर उसके बाद जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं । अब एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने यह कहा कि there is a misinterpretation in the proviso, which is not required. That those who are not found guilty among the officials would be spared. I agree with you. आपका कहना था कि वह तो स्वाभाविक है । If he is not guilty, why do you mention it in the Bill? I agree with you. Academically, you are right. लेकिन यह मेन्शन इसलिए किया गया कि कहीं दूर-दूर से, गलती से भी यह धारणा न जाए कि यह विधेयक किसी को अनावश्यक परेशान करने के लिए लाया गया है । विद्यार्थी, उम्मीदवार को तो कदापि नहीं, कतई नहीं, लेकिन किसी अधिकारी को भी नहीं, यदि वह गुड फेथ में काम कर रहा है । सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए । This is a continuous process. We have been striving for it right from the day the abolition of interview was done, the abolition of attestation was done. जमी जमाई व्यवस्था का, उन्होंने '12वीं फेल' उस सिनेमा का उदाहरण भी दिया । Incidentally, you will be amused to know that जब आप '12वीं फेल' पिक्चर के क्रिडेंशियल देखते हैं, तो उसमें एकनॉलिजमेंट में एक नाम डॉ. जितेन्द्र सिंह का है । क्योंकि विधु जी हमारे मित्र हैं तो मैंने भी थोड़ा सा उनके साथ सहयोग किया था । मैंने कहा कि उसमें ज्यादा तफसील न दीजिएगा । I do not know how it will be taken but nevertheless, it is an award-winning movie. वह जमी जमाई व्यवस्था है, जिसकी आप बात कर रही हैं । उसी के ऊपर प्रहार करने के लिए इस तरह का विधेयक लाया गया है । It is a collective responsibility of all of us. शास्त्रों में जैसे कहते हैं कि संस्कार बदलने में दो पीढ़ियां लगती हैं, तीन पीढ़ियां लगती हैं तो तीन पीढ़ियों के बाद उसके परिणाम मिलते हैं । But we have, at least, made a beginning. There is a rationale behind this

legislation, as you rightly said. I think that gives me an opportunity to clarify before all the other friends कि जब इस तरह का हमारे पास क्रिमिनल लॉ भी है तो क्या जरूरत थी? उसका कारण यह है कि this is a specific legislation because in the existing Bhartiya Nyaya Sanhita, offences like these are not specifically mentioned, and therefore, we have identified and tried to define 'unfair means' in the conduct of examinations to the best of our ability. So, we have tried to target that particular part. Of course, as you rightly hinted, if the magnitude of the crime goes beyond an extent, obviously it will fall in the domain of the Bhartiya Nyaya Sanhita or the erstwhile IPC.

17.23 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

ईमत्याज़ साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे। वह सूबे गिनवा रहे थे, जहां-जहां के नाम नहीं लिए गए। वह कहने लगे कि वहां भी इस तरह का होता है। ऐसा नहीं होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया कि उनको गुस्सा क्यों आया? फिल्म आनंद में आनंद डॉक्टर भास्कर को कहता है कि बाबू मोशाय, मैं समझ गया कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया। तुम्हें मुझ पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आया। मैंने तो शुरू में ही कहा कि सभी प्रदेशों में हो रहा है। अधीर रंजन जी ने पढ़ा और सुबह डॉ. सत्यपाल जी ने भी समाचार पत्र पढ़ा कि 15 सूबों में इस तरह की घटनाएं हुईं। अगर आपको याद होगा तो शुरू में, आरंभ में in my introductory remarks, जिन प्रदेशों के मैंने नाम गिनवाए, आखिर में एक नाम जम्मू-कश्मीर का भी था, just to make it evident that this is a menace. This is a problem being confronted by different States. हां, कहीं-कहीं जहां व्यवस्थाएं कम हैं, प्रशासनिक अभाव है, अब राजस्थान में एक के बाद एक घोटाले होते रहे। अब उसका जवाब तो राजनीतिक ही देना होगा और लोगों ने उसका जवाब दे भी दिया।... (व्यवधान) सरकार बदलने के बाद वह बंद हो गए।... (व्यवधान) राजस्थान में तो चुनाव का मुद्दा ही यह बना। अब उसमें क्या कहा जाए? जहां-जहां प्रशासनिक अभाव रहेगा, वहां इस तरह से रहेगा।... (व्यवधान)

सुप्रिया जी ने एक और बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए और यह होना अनिवार्य भी है। बहुत-से ऐसे घोटाले हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हैं। आज कल एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। This is not a part of the legislation and that is why I did not speak about it. लेकिन जब हमारे रूल्स बनते हैं, तो हमारे मन में यह भी कल्पना है कि हम विशेषज्ञों की एक ऐसी टोली, एक ऐसी कमेटी गठित करेंगे, जो समय-समय पर इसका सर्विलेंस भी करे, जो समय-समय पर इसको अपडेट भी करे और उसके बारे में हमें भी समझाए तथा जो समय-समय यूनिफॉर्मिटी भी लाए। जब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है और वेंडर्स की संख्या में कमी होती है, तो उसको भी आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। जब वह सब्लेटिंग करते हैं, तो उससे भी कुछेक लूप-होल्स रह जाते हैं, उसके लिए हम इसमें विशेषज्ञों को भी इंवॉल्व करेंगे।

जहाँ तक डायरेक्टर्स और ऑफिशियल फंक्शनरीज का प्रश्न है, उसके लिए भी यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ यह साबित होगा, अगर किसी अधिकारी ने मिलीभगत करके किसी माफिया की मदद की हो, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि उसको तो बख्शा नहीं जा सकता है। अधीर रंजन जी ने कहा कि आपने सज़ा दे दी, लेकिन आपने समाधान नहीं दिया।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: What about the preventive thing?

DR. JITENDRA SINGH: Adhir ji, though I am not a law knowing person, to my limited knowledge punishment itself is a deterrent for prevention. This is a first step towards prevention. And then, as we move on from this experience, we will collectively apply our minds and go in for further steps also. But if we do not take even this first step, then we will not be preventing anything at all.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have said that you are putting emphasis on punishment rather than prevention.

DR. JITENDRA SINGH: It is both.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Even my colleague, Shri Premachandran stated this.

DR. JITENDRA SINGH: No, that is what I am saying that punishment of a culprit is also a means of deterring the crime to happen again, which also is a preventive measure. Secondly, if you take prevention in the larger scale, preventing the technological lapses happening or prevention at the level of the means used, I said that we will, in the times to come, envisage including experts to offer their input for that. But at least, let us take this first step.

इसमें हमने जो लेजिस्लेशन प्रपोज की है, उसमें आपने तो पढ़ा ही होगा कि तीन साल से पाँच साल तक upto 10 lakhs है। लेकिन उसमें सर्विस प्रोवाइडर का अलग से जिक्र आया है। सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर, चूंकि बहुत-से सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि इस तरह से बहुत-सी संस्थाएं खुल गई हैं। यह भी एक पेशा बन गया है। इम्तिहान करवाने की संस्था और इम्तिहान में पास करवाने की भी फीस पहले से ले लेते हैं। How do we handle that? So, we are trying to classify the institution which is found involved in conducting such exams, and in case of public servants, of course, if it is happening by default or in good faith, the person will not be culpable. But in case it is not, then, of course beyond that, we would also go into the domain of Bharatiya Nyaya Sanhita.

इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ी संवेदनशील सरकार है। जो भी नियम बनाए गए हैं, वे बड़ी संवेदनशीलता के साथ बनाए गए हैं। एक ऐसे समय में, जब हम पूरी तरह से युवाओं को अपना सामर्थ्य, अपनी सेवाएं, पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता से समर्पित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

We have a huge stake in the youth of this country who comprise more than 70 per cent of population below the age of 40. Therefore, we cannot allow the

meritorious to be sacrificed at the altar of such organised crimes or such self-centred elements in this society.

इस सरकार ने एक इको-सिस्टम बनाया है। उसका सदुपयोग भी तभी हो पाएगा, जब हम युवाओं के लिए इस प्रकार का संरक्षण देंगे। हम नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 लाये which gives you the liberty of entry/exit so that you do not become prisoner of your aspiration. आपने डॉक्टर बनने के लिए 12वीं जमात में मेडिकल कर लिया, डॉक्टर नहीं बन पाए, फिर क्या करें। बीएससी करेंगे, वह भी उसी सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, वह भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप एमएससी करेंगे, फिर भी वही सब्जेक्ट है। फिर भी कुछ नहीं बने, कहीं अध्यापक, प्रोफेसर नहीं बने तो पीएचडी करेंगे। Here, you can change your subjects. You can juggle your subjects. You can combine economics with biology. जैसे-जैसे आपका एप्टिट्यूड ग्रा होता है, आपको अपने अंदर अहसास होता है कि नहीं, मैं इसके लिए बना हूँ। मुम्बई हर व्यक्ति एक्टर बनने जाता है, हीरो बनने जाता है, बाद में वहाँ पहुँचकर उसे लगता है कि नहीं, हीरो बनना मेरे बस की बात नहीं है, मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूँगा।... (व्यवधान) इसलिए उस इको सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए भी इस तरह करते हैं।... (व्यवधान) इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के उन वर्गों की चिंता की है, जिनकी अभी तक किसी सरकार ने चिंता नहीं की।... (व्यवधान) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता की, ... (व्यवधान) आते-जाते भी उसकी तरफ नहीं देखते थे।... (व्यवधान) ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाला आकर ठोकर मारकर उसे आगे-पीछे कर देता था।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बिल पर आइए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वे लोग जो अपनी जीविका भी कमाते हैं और भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी जिंदा रखे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष : चलिए पास करें।

... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ।... (व्यवधान) इसीलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ ।... (व्यवधान) Adhir ji, you do not understand. ... (*Interruptions*) डाटा लीक होना भी तो इसी का कारण है ।... (व्यवधान) Data leak is a means of manipulation. ... (व्यवधान) इसका जवाब है ।... (व्यवधान) That is not in the purview of this Bill. बिल मालप्रैक्टिसेज इन एग्जामिनेशन का है ।... (व्यवधान) So, data leakage as a malpractice in examination is also under the purview of this Bill.

माननीय अध्यक्ष : यह डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है ।

... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : आप विषय से भटक रहे हैं ।... (व्यवधान) अगर मालप्रैक्टिस में डाटा लीक होता है तो वह भी इसके दायरे में आता है ।... (व्यवधान) बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ से मैंने बात प्रारम्भ की थी, वहीं से, अपनी ओर से और मुझे विश्वास है कि इसमें दादा अधीर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं सभी सदस्यों, सभी भारतवासियों से अपील करता हूँ कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को किसी के हाथों में छेड़छाड़ न होने दें, उनको उस तनाव की परिस्थिति में न पड़ने दें, जो इन आत्महत्याओं में परिवर्तित होते हैं । मैं माता-पिता से भी अपील करता हूँ, बच्चों से भी अपील करता हूँ कि वे इस बदलते हुए नए युग में, मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाने के लिए अपने आपको समर्थ बनाएं ।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2

Definitions

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment nos. 1, 2 and 3 to clause 2 of the Bill.

I beg to move:

Page 2, line 18,-

<i>after</i>	“business entity,”	
<i>insert</i>	“service provider,”.	(1)

Page 2, line 20,-

<i>omit</i>	“and the service provider engaged by such authority”.	
		(2)

Page 2, line 30,-

<i>after</i>	“wrongful gain”	
<i>insert</i>	“or nepotism or favouritism”.	(3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3**Unfair means**

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment nos. 4 and 5 to clause 3 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 15,-

after "for"
insert "nepotism or favouritism". (4)

Page 3, lines 29 and 30,-

after "Central Government"
insert "or public examination authority". (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5**Disruption to conduct public examination**

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 4, line 15,-

after "for"
insert "nepotism or favouritism". (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 8 Offences in respect of service providers and other persons

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the hon. Minister has already agreed also. Unnecessary proviso is being provided in the Bill. That may be looked into. With the assurance given by the hon. Minister, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.38 hrs

**CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES ORDER
(AMENDMENT) BILL, 2023
AND
CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER
(AMENDMENT) BILL, 2023**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं: 26 और 27 क्या चर्चा में एक साथ लिए जा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं: 26 - डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव * करता हूँ:

“कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं: 27 – श्री अर्जुन मुंडा।

जनजातीय कार्य मंत्री तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

“कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

* Moved with the recommendation of the President.

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): अध्यक्ष जी, मुझे इन संशोधनों पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, पहले संशोधन तो सिर्फ एक शब्द 'वाल्मिकी' ऑलरेडी है लेकिन उसकी जगह 'वी' वाला 'वाल्मिकी' उसे साइनोनम करके जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह तो ठीक है। कहीं रह गया होगा, उसे जोड़ रहे हैं, वह ठीक है। उसमें साइनोनम डालने में कोई इश्यू नहीं है, उसमें मेरा कोई दूसरा विचार नहीं है।

17.40 hrs

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

सभापति जी, जो असली मुद्दा है, वह यह है कि जम्मू और कश्मीर में और सारे हिन्दुस्तान में जो कमजोर लोग हैं, उनकी हालत क्या है। जम्मू-कश्मीर में जो पहले रिज़र्वेशन थी, वह थोड़ी-सी है। मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो जितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उसमें भी अमेंडमेंट ले आएं, जिससे कि जितनी उनकी जनसंख्या है, उस हिसाब से उनको रिज़र्वेशन मिल जाए।

अब आपने वर्ष 2021 का सेन्सस तो कराया नहीं, तो अपने पास वे फिगरर्स उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, वर्ष 2011 के सेन्सस के फिगरर्स अपने पास उपलब्ध हैं। मुल्क में एस.सी. पॉपुलेशन 16.6 प्रतिशत है। मंत्री जी, यह आपके ही फिगरर्स हैं। लेकिन इन एस.सी. में से 2.2 प्रतिशत लोगों के पास ही जमीन है, बाकी तो 97.8 प्रतिशत लोग लैंडलेस हैं, उनके पास जमीन नहीं है। मुल्क के सामने यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

हम कोई भी चीज देख लें। अगर हम पॉवर्टी को देखें तो एनएसएसओ ने वर्ष 2019 में आपकी सरकार में ही कहा कि इस मुल्क में 21 प्रतिशत लोग गरीब हैं। हालांकि, गरीबी की जो परिभाषा है, वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, उसको 'सब्सिस्टेंस-लेवल डेफिनिशन' बोलते हैं। इसमें 26 रुपये प्रति दिन रूरल एरियाज़ के लिए है और 32 रुपये प्रति दिन अर्बन एरियाज़ के लिए हैं। यह तो हमारी डेफिनिशन है। पर, उसको भी देख लीजिए कि अगर हमारे मुल्क में 21 प्रतिशत गरीबी है तो ये लोग तो 32 प्रतिशत गरीब हैं। पढ़ाई-लिखाई में देख लीजिए, ओवरऑल 80 प्रतिशत के ऊपर हैं तो ये लोग 70 प्रतिशत पर खड़े हैं।

किसी भी चीज में आप देख लीजिए। बैंक लोन्स के मामले में देख लीजिए। सिर्फ 15 से 16 प्रतिशत को लोन मिल रहा है, बाकी 85 प्रतिशत घूम रहे हैं, किसी को लोन नहीं मिल रहा है। वर्ष 2018 में आपकी सरकार ने सर्वे कराया। सिर्फ 11 प्रतिशत लोग अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेस में हैं। पी.एच.डी. में तो उससे भी कम हैं, वे 9 या 10 प्रतिशत हैं। एमबीबीएस में 8.3 प्रतिशत स्टूडेंट्स हैं। यह आपकी सरकार ने ही निकाला है।

महोदया, माननीय मंत्री जी अभी चले गए हैं, इन्होंने राज्य सभा में यह जवाब दिया कि ऑल इंडिया सर्विसेज में एस.सी. सिर्फ 7.65 प्रतिशत हैं जबकि भारत सरकार में उनके लिए 15 प्रतिशत रिजर्वेशन है। आप देख लीजिए।

वर्ष 2015-16 में आपकी सरकार ने एनएसएसओ द्वारा एक सर्वे कराया कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एन्टरप्राइजेज में वीकर सेक्शंस के कितने लोग हैं, तो मीडियम एन्टरप्राइजेज में 0.01 प्रतिशत हैं, मतलब ये नाम के बराबर हैं। स्मॉल एन्टरप्राइजेज में ये 5.5 प्रतिशत हैं। माइक्रो एन्टरप्राइजेज में, अगर कोई छोटा-सा दुकान, धंधा खोल कर बैठ गया, वह 12.5 प्रतिशत है। यह आपकी ही सरकार की सर्वे है।

अब इनकम देख लीजिए। नेशनल एवरेज इनकम को देख लीजिए। यह भी आपकी सरकार के आंकड़े हैं कि अब देश में एवरेज इनकम करीब 1,64,000 रुपये प्रति वर्ष हैं और एस.सी. लोगों की इनकम 89,000 रुपये हैं। यह करीब-करीब 50 प्रतिशत है।

माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 में प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी?

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करें।

... (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैडम, मैं पहला वक्ता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय मिला है। अब आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैडम, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इस बिल पर एक घंटे का समय है ।

... (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैडम, इसको एक घंटे में कैसे पूरा कर देंगे? इस पर टाइम को एक्सटेंड कर लीजिए ।

हम इतना कम समय रखेंगे तो कैसे चलेगा? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको सिर्फ एक मिनट का समय ही और मिलेगा ।

... (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : ठीक है । मंत्री जी, हमने पिछले पांच सालों का बजट एलोकेशन निकाल कर देखा है, आप सिर्फ 11 पर्सेंट कर रहे हैं और एक्सपेंडीचर 60-70 पर्सेंट है, इसका मतलब है कि आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान का कर रहे हैं । इस तरह से इन सैक्शन्स का भला कैसे होगा? इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ बढ़ गई हैं, अनएम्प्लॉएमेंट की रेट बढ़ती जा रही है । मेरा कहना है कि यह अमेंडमेंट तो सही है, लेकिन इन वीकर सैक्शन्स को, हमें ओवर ऑल सारे पैरामीटर्स में ऊपर लाना पड़ेगा । ये इतने नीचे हैं, जिसके लिए सरकार को कुछ स्कीम ले कर आनी चाहिए ।

मंत्री जी, मैंने ये सारे जो सवाल उठाए हैं, उनका आप अपने रिप्लाई में जवाब दें कि सरकार क्या करने जा रही है ।

धन्यवाद ।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदया, जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो ऐतिहासिक विधेयकों पर सदन में इकट्ठे चर्चा हो रही है। एक संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2023 और दूसरा संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2023 को पास करने के लिए यहां पर चर्चा हो रही है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो, उसके लिए जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति हो, एक नहीं अनेक कदम उठाए गए हैं और हरेक कदम सराहनीय है। विशेष तौर पर जब से धारा 370 हटी है, तब से तो जम्मू-कश्मीर के भाग्य ही खुल गए हैं। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में आरक्षण देने की व्यवस्था आज इस सदन ने की है। अभी जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उसके माध्यम से वाल्मीकी समुदाय के लोगों को एससी स्टेट्स देने की बात हो रही है, यह बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, इसी के साथ पहाड़ियों को एसटी स्टेट्स देने की भी बात हो रही है। ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हैं।

महोदया, जम्मू-कश्मीर में 70 वर्षों से अराजकता और अन्याय का जो दौर चल रहा था, वह विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के राज में चला। उस दौर में लोग असहाय थे, मजबूर थे। लोगों को कई किस्म की यातनाएं दी जा रही थी, गुनाह हो रहे थे, लेकिन लोग सहन करते जा रहे थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुलाम बना कर रख हुआ था, विशेष तौर पर तीन परिवारों द्वारा, जिनके बारे में मैं अभी जिक्र किया है। उन्होंने लूट-खसोट का दौर जारी रखा था और वे सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता करते थे। उन्होंने नागरिकों को परेशानियां देने के सिवाय कुछ नहीं किया।

महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ हमेशा धोखा, साजिश और गुनाह किया है और उन लोगों को गुमराह किया है। विशेष तौर पर, जम्मू-कश्मीर के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों से भी वर्षों तक,

इन पार्टियों ने वंचित रखा। मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ के हुक्मरानों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के हकों को छीन कर रखा और उन तक वे हक नहीं पहुंचने दिए।

जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जुल्म-ओ-सितम का दौर देखा है। उनको सुनने वाला कोई नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोशनी की किरण वर्ष 2014 में नजर आई, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सेवक के रूप में बागडोर संभाली। उन्होंने लालकिले से यह घोषणा की कि सबका साथ सबका विकास होगा। तब जम्मू-कश्मीर के लोगों को रोशनी की एक किरण नजर आई। उन्हें विश्वास हो गया के अब जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ होगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्वास हो गया कि अब इंसाफ होगा। हमारे गूजर, बक्करवाल, गद्दी, सिप्पी अपने हकों को लेकर वर्षों से चिल्ला रहे थे। अब उनको इंसाफ दिया गया। उनको जमीन का मालिकाना हक दिया गया। गूजर और बक्करवाल को पोलिटिकल रिजर्वेशन दी गई।

महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि ओबीसी वर्ग की 50 सालों की मांग थी। यह अब जाकर पूरी हुई है। इसके साथ यदि मैं बाल्मिकी समाज की बात करूँ तो जम्मू-कश्मीर के लोग वर्षों से दर-बदर की ठोकरें खा रहे थे। उनको भी इंसाफ देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। पीओके के रिफ्यूजी जो वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन उनको नागरिकता ही नहीं दी गई थी। नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने उनके साथ धोखा किया था। वे सिर्फ नारे देकर वोट की राजनीति करते थे। अब जाकर उनके साथ भी इंसाफ हुआ है। उनको भी नागरिकता मिली है। वे उन सारी योजनाओं का लाभ ले हैं, जो देश के नागरिक ले रहे हैं।

महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि अब पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ देने की बात हो रही है। अब उनका समय आ गया है। पहाड़ी कबीले के वे लोग हैं, जो वर्ष 1947 में बड़ी संख्या में पीओके में चले गए। पाकिस्तान में जाने का कारण, जवाहर लाल नेहरू की गलतियों के कारण पीओके पाकिस्तान में चला गया। लेकिन, जो जहां बस गए, हमारे यहां जो एलओसी है, वे वहीं पर रहते हैं। वे डटे रहते हैं, सिपाही का काम करते हैं, सीमा पर सेना का भी सहयोग करते हैं।

महोदया, पहाड़ी कबीले के लोग जिला राजौरी, पुंछ, नुशारा, सुंदरमणि, उड़ी, करनाह, तंगधार, इडबाल, मच्छल, लोलाब, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, किशतवाड़ बॉर्डर पर बसते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं, जहां पहाड़ी कबीले के लोग बसते हैं।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि 50 सालों से अपने हकों की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन मिलता क्या था – लाठियाँ, मिलता क्या था – जेल, मिलता क्या था- धक्के और उसके बाद फिर दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए इन पहाड़ी कबीले के लोगों को छोड़ दिया जाता था।

महोदया, पहाड़ी कबीले में 80 प्रतिशत लोग हमारे मुसलमान भाई हैं। 80 परसेंट जो मुसलमान भाई हैं, वे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कभी भी इनको इंसाफ नहीं दिया गया। तीन खानदानों ने अपना दबदबा बनाए रखा। नेशनल काँग्रेस, कांग्रेस और पीडीपी ने अपना दबदबा बनाए रखा और पहाड़ियों को इंसाफ नहीं दिया गया।

महोदया, 15 अगस्त, 2019 को लालकिले से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने पहाड़ी कबीले का जिक्र किया। तब पहाड़ियों को यह विश्वास हो गया कि अब हमें भी इंसाफ मिलेगा। उनको एक आशा बनी कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा।

महोदया, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5 अक्टूबर, 2022 को राजौरी और कश्मीर में जाकर इन पहाड़ी कबीले के लोगों से मिले। उन्होंने स्वयं देखा कि इनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। आज पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेट्स देने के लिए यहां चर्चा हो रही है। यह जो विधेयक लाया गया है, यह बहुत अच्छा विधेयक है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं।

अंत में, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी बात यह है कि गूजर-बक्करवाल को पोलिटिकल आरक्षण मिला है। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इस सरकार ने भरोसा दिलाया है। हमारे गूजर-बक्करवाल और गद्दी-सिप्पी भाइयों के लिए यह बहुत बड़ी बात है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

***DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):** Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on this important Bill. This Bill aims to include Valmiki community in the list of Scheduled Castes in Jammu and Kashmir. I welcome this Bill. This community will hereafter get an opportunity to get reservation and other benefits. I support this Bill and welcome it. There is a need to make amendments for the entire country. Particularly in Tamil Nadu, the people belonging to Baduga community of Nilgiris have been persistently demanding for including their caste in the list of Scheduled Tribes. Shri A. Raja, Hon MP of Nilgiri constituency has even demanded in this august House about the inclusion of Baduga community in the SC list. This request should also be considered sympathetically by this Government. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Party, its leader Shri Thol Thirumaa Valavan MP submitted a letter to the Hon Union Minister of Social Justice during the last Session of Lok Sabha requesting that the fishermen community of Tamil Nadu should be included in the list of Scheduled Tribes. This demand was put forth before the Hon Minister. I request that this genuine demand should also be duly considered by this Government and due action be taken. Union government has the right to amend the list of SCs and STs. A Constitutional provision has given this authority to the Union Government. But the State Governments have powers to amend the list of OBCs in the State. During the time of British some castes in Other Backward category have been mentioned in a disrespectful manner. Those names have been amended and corrected by the Tamil Nadu Government. Similarly some

* English translation of speech originally delivered in Tamil.

castes in the list of SCs end with a suffix “in” in Tamil which is disrespectful. It is a long pending demand that such cases should have a ‘respect’ giving suffix in place of a suffix ending in Tamil with “in”. I request this Government to consider this demand as well. We have already submitted our demands before the Hon Minister in this regard. When such lists are created, they were subjected to several amendments or changes. Particularly in Tamil Nadu, when the Justice Party was in power in the year 1922, the people belonging to Adi Dravida community wanted them not to be called as Paraiyars or Panchamars. Shri M.C. Rajah and Shri Rettamalai Srinivasan had fought for this cause and got an Government order dated 25th March 1922 for this community to be recorded as Adi Dravidas. As a result of which they got the name Adi Dravidas. But in the 1931 Census, the rendering of such caste names was made as it was earlier. This confusion continues for more than 100 years. I request that necessary amendments be made in this regard at the earliest. Thank you for this opportunity.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति जी, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर से संबंधित एससी, एसटी बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि लोधी के जमाने से, फिर मुगल्स के जमाने में, फिर अंग्रेजों के जमाने में जो मुस्लिम गुर्जर आज बने हुए हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, वे बहुत परेशान हैं। वे जम्मू-कश्मीर में एसटी में आते हैं। उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाइयां लड़ीं। बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। उन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ीं।

18.00 hrs

मैं उनके लिए मंत्री जी से कहना चाहूँता हूँ। जुगल किशोर जी ने बहुत अच्छे से बोला। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में जुड़ते हुए बताना चाहता हूँ, जम्मू-कश्मीर में कुछ ही परिवार, कुछ ही पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉफ्रेंस उनसे वोट लेती रहीं और उनका शोषण करती रहीं।

माननीय सभापति : सभा की सहमति हो तो दोनों विधेयक के पास होने तक सभा का समय बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री मलूक नागर : सभापति महोदया, ये हमेशा उनका वोट लेते रहें, रिश्तेदारी करते रहे, लेकिन उनको दिया कुछ भी नहीं। धारा 370 हटने के बाद सरकार ने उनको काफी कुछ दिया। जो उनको सुविधाएं दीं, बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब ने कांस्टीट्यूट असेम्बली में कई बार कहा, उनको जो सुविधाएं मिली हैं, उस बारे में आए दिन कुछ न कुछ अफवाहें चलती रहती हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कभी भी मुस्लिम गुर्जरों को जो आरक्षण दिया गया है, उसे कभी कम न किया जाए। अगर किसी को देना भी हो तो अलग से दें, उनका आरक्षण कभी कम न किया जाए। देश की बाउंड्री पर उनके लिए कॉलेज और सुविधाएं बनायीं जाएं, एसईजेड बनाकर उनको रोजगार की सुविधाएं दी जाएं।

पूरे देश में जो दलित और आदिवासी हैं, वे बहुत परेशान हैं। प्रदेश और जिला स्तर पर कुछ कमेटी बनाकर सर्वे कराया जाए। जिनके पास घर बनाने या छोटी मोटी खेती करने के लिए जमीन

नहीं है, गांव में सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी हुई, जो सरकारी जमीन हैं, उनको अलॉट करके घर बनाने के लिए दी जाए जिससे उनको भी लगे कि यह देश हमारा भी है।

पिछले दिनों बड़ा संघर्ष हुआ, राजस्थान के गुर्जरो ने बलिदान दिया। 83 गुर्जरो ने बलिदान दिया था। पिछली कांग्रेस की सरकार बहकाती रही कि नौवीं सूची में डालने के लिए भारत सरकार को भेज दिया है। अब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। राजस्थान के गुर्जरो को नौवीं अनुसूची में डालकर दलित का दर्जा दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you, Madam. I thank my party, All-India Trinamool Congress, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023.

It is a pleasure to see that this Government is finally giving respect to the Valmiki Community through the Scheduled Caste Order and the Koli Community and the Pahari Ethnic Group through the Schedule Tribe order. But, at the same, time, it is extremely disheartening to see what this Government is doing with the SCs, STs and OBCs across the Country. Has it been fulfilling the reservation facilities already in vogue in other parts of the country? Has there been any specific object to uplift the people of Jammu and Kashmir by the Government of India?

That needs to be clarified. No specific projects or ideas have been tabled in the House to improve the lives of the people of Jammu and Kashmir. Only implementation of reservation policy will not serve the purpose. In the perspective of coming elections, this has been initiated by the Central Government.

Provision of punishment for atrocities on backward people has not been highlighted. In 2022 alone, there were nearly 60,000 atrocities against the Schedule Castes and 10,064 atrocities against the Schedule Tribes. As per the NCRB data, the crime against tribals has been increasing year after year. Just in 2 years, from 2020 to 2022, there has been nearly 22 per cent increase in crimes against tribals.

Madam, the gross enrolment ratio of SC and ST students at the undergraduate level is at 23 per cent and 17.2 per cent respectively whereas the national average is 26.3 per cent. As per the Union Government initiative, the Eklavya Schools are meant for the SC and ST students. But, still, 38,000 vacancies across the country have not been filled up. आप स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। अगर वैकेन्सीज फुलफिल नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? स्टूडेंट्स आएंगे और पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं रहेंगे तो कैसे होगा।

Madam, even as per the recent data, we have witnessed that the amount allotted for the Union Government's Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes and the Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes has been underspent. Sir, these schemes underspent nearly 28 per cent and 24 per cent of the amount respectively.

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैडम, अच्छी बात बोल रही हूँ, आप सुनिए।

माननीय सभापति : किसी और को भी अच्छी बात बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : अगर इतना अच्छा विकास दस साल से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार कर रही है तो फिर ये लोग इलैक्शन से क्यों डर रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गोड्डेति माधवी जी।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : देश या कश्मीर की जनता तय कर देगी कि इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं। इन लोगों को, जम्मू-कश्मीर का स्टेटहुड वापिस करवा दीजिए। डिमोनेटाइजेशन के नाम पर देश की आवाम, जनता लाइन में लगी रही, कितनों ने अपनी जान गंवा दी। ... (व्यवधान) आज तक टेररिज्म बंद नहीं हुआ। हमारे जवान आए दिन अपनी आहूति दे रहे हैं। आप तो फ़ैडरल स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहे हो, आहत कर रहे हो। दिन-ब-दिन इस तरह की घटना होगी, यह सही बात नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : बंगाल में ममता बनर्जी ने शैड्यूलड कास्ट एडवाइजरी काउंसिल सैटअप किया है जो अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गोड्डेति माधवी जी।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैडम, एक मिनट दे दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैं एक मिनट में अपनी बात कम्पलीट कर दूंगी।

Madam, in fact, the Ministry spent only 20 per cent less than what they were allotted. We need more schemes for the welfare of students and also for the welfare of SCs, STs, OBCs and the minorities. We have started Kanyashree scheme which is benefitting 78 lakh women in West Bengal and which has been recognised by the United Nations. यह आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।

ममता दीदी की सरकार ने शैड्यूलड कास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जो किसी भी स्टेट में नहीं है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी दलित हैं, शैड्यूलड कास्ट कम्युनिटी से हैं। नया

पार्लियामेंट हाउस जब इनऑगरेट हुआ था, उसमें वह नहीं आई थीं। कपूरिया जी ने हम लोगों को सिखाया है। ... (व्यवधान) अगर सही मायने में उन थॉट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबको लेकर चलना चाहिए। ... (व्यवधान) इस तरह पागलों के जैसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद।

18.07 hrs

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th February, 2024.”
- (ii) “In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th February, 2024.”
- (iii) “In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th February, 2024.”

* Laid on the Table.

2. Madam, I lay on the Table the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024; the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024; and the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024, as passed by Rajya Sabha on the 6th February, 2024.

18.08 hrs

**CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES ORDER
(AMENDMENT) BILL, 2023
AND
CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER
(AMENDMENT) BILL, 2023...Contd.**

माननीय सभापति : गोड्डेति माधवी जी ।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to participate in this discussion. This is a welcome step, and I fully support it. I would also take this moment to highlight the issues faced by the Scheduled Tribes throughout the nation and make a few suggestions on the same.

Tribal people are estimated at 10.4 crore and cover 8.61 per cent of the country's total population as per the End-of-the-Year Review 2022 of the Ministry of Tribal Affairs.

Even after 75 years of Independence, tribal community is the most disadvantaged in terms of access to sanitation and hygiene, education, nutrition, drinking water and medical services.

Now, I come to education. The Government should focus more on tribal education, especially at the primary level. In tribal regions, the majority of schools suffer from inadequate infrastructure, often lacking essential learning materials and basic sanitary facilities

Owing to the perceived absence of immediate economic benefits associated with education, tribal parents often prioritise engaging their children in financially rewarding employment opportunities.

Furthermore, many educational initiatives targeting tribal communities are formulated in official or regional languages that are unfamiliar to tribal students, which is a challenge in effective learning.

Tribal communities comprise over seven per cent of the Andhra population. The 30 Eklavya Model Schools that have been established are concentrated in only eight out of 26 districts. Therefore, to provide quality education to the tribal students, there is a need for more Eklavya Model Residential Schools in all tribal districts of the State and the country with adequate availability of teachers.

So far as health issues are concerned, provision of emergency transportation for pregnant tribal women to health facilities for obstetric care is one of the major necessities of the tribal women. Establishment of more Mini-Anganwadi centres and expansion of Village Grain Banks to tribal areas can help increase the access to nutrition in the tribal areas.

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes at senior positions is very low.

Our esteemed Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu has extended the SC/ST sub plan of Andhra Pradesh further by 10 years to provide more growth and development opportunities to the tribal population of Andhra Pradesh. I would request the Minister to address the issues raised by us and take our suggestions into account.

With this, YSR Congress Party supports this Constitution Amendment Bill.

Thank you.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदया। इस संविधान के संशोधन बिल पर 1956 की अनुसूची में प्रविष्ट करने के लिए जम्मू-कश्मीर की वाल्मीकि कम्युनिटी और इसके साथ चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर जैसे जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उस हेतु मेरी पहली प्रार्थना है कि भंगी शब्द यहां से कैसे आप हटा सकते हैं, इसे कृपया देखें। हालांकि समाज को इसे प्रयोग करना है, लेकिन इस शब्द को आगे चलकर जिंदगी में कभी प्रयोग न करें। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि इसमें जो लास्ट में फाइनेंशियल प्रोविजन है, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि यदि आगे चलकर आप निधि की उपलब्धता नहीं कराएंगे, तो दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, तो निधि की उपलब्धता होनी चाहिए।

महोदया, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। वहां चुनाव तो नहीं हो रहे हैं। अनुच्छेद-370 खत्म करने के बाद हम चाह रहे थे कि लोग कश्मीर में आ जाएं, हिंदुओं का फिर से वहां पुनर्वास हो, जो आज भी नहीं हुआ है। मैं एक थोड़ी-सी अलग बात एक मिनट में कहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी इतनी अधिक परेशानी है कि पूरा महाराष्ट्र जातियों की लड़ाई में खड़ा हुआ है। मराठा को आरक्षण चाहिए, ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है। मैडम पीछे बैठी हुई हैं, आप उनसे पूछिए कि वहां पर क्या हालात हो रहे हैं। आदिवासी आंदोलन हो रहे हैं, धनगर आंदोलन कर रहे हैं। आप जिसे सिनॉनिम कहते हैं, उसी शब्द का प्रयोग वहां है। कार्य तो वही है, जैसे कि धनखड़ है, वैसे ही वहां धनगर जाति है। उनको आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

महोदया, मेरी सबसे महत्वपूर्ण मांग आज यह है कि 50 प्रतिशत की मर्यादा जो संविधान ने रखी है, उस मर्यादा के तहत हम कार्य कर नहीं पा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह मर्यादा अगर बढ़ाई जाएगी, तो आज जो सारे आंदोलन शुरू हुए हैं, वे खत्म हो जाएंगे। देश में जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, वे चाहे किसी भी तरह की हों, एक बार उस राज्य को पूछकर उनको आरक्षण दीजिए। हम अगर 50 प्रतिशत में 10 प्रतिशत बढ़ाते हैं और 60 प्रतिशत करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में मुझे लगता है कि 69 प्रतिशत है। उसी तरह आप प्रतिशत बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद अगर आप

राज्य को कहें कि यदि आप पिछड़ी जातियों के नाम पर लड़ाई करते रहे, चाहे धनखड़ हो या धनगर हो, तो केवल एक अक्षर के लिए किसी समाज को वंचित रखना सही नहीं होगा।

अतः मेरी प्रार्थना है कि सरकार यदि यह सोचे कि 50 प्रतिशत की जो मर्यादा है, उसे वह खत्म करे, तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। इसके लिए निधि की उपलब्धता करिए। वहां चुनाव, पढ़ाई और जॉब में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदया, आज आपने मुझे दो बिलों, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, पर बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

महोदया, मैं दोनों विधेयक का समर्थन करता हूँ। संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 वाल्मीकि जाति को लक्षित करता है। संवैधानिक संशोधन में वाल्मीकि समुदाय को जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित जाति सूची में जोड़ने का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है। वाल्मीकि जाति को जम्मू-कश्मीर में प्रवास करने के लगभग 60 साल के बाद वर्ष 2020 में ही अधिवास का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1957 में जम्मू में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वाल्मीकि समुदाय के तीन हजार से अधिक सदस्य पंजाब के गुरुदासपुर से चले गए थे। यह समुदाय मुख्य रूप से जम्मू शहर और उसके आस-पास की कॉलोनियों में रहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट सूची में वाल्मीकियों को शामिल करने से वे नौकरी, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। इसलिए, यह बिल बहुत ही सराहनीय है।

महोदया, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूहों को शामिल किया गया है। इस संशोधन विधेयक, 2023 का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 के इन प्रस्तावित परिवर्तनों के बाद की धारा-2 को प्रतिस्थापित करके औपचारिक रूप देना है, जिससे विशिष्ट निर्दिष्ट किया जा सके। यह पदनाम उन्हें विशिष्ट संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण शामिल हो सके।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी

कबीला तथा पहाड़ी जातीय समूह के समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 को संशोधन करके इसे पारित किया।

अंत में, मैं इस अवसर पर भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में भी केवट, कउर, केवर्त्त, धानुक, कहार, अमात, बिन्द, बेलदार, गंगौत, गोढ़ी, नूनिया तथा तरहा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा करके केंद्र सरकार का भेजा है। इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे इन सभी समाज को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): धन्यवाद सभापति महोदया। आज The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023 पर चर्चा हो रही है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कम्युनिटी, गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी जनजाति तथा पहाड़ी जातीय समूह को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए रेक्मेंड किया है। इसकी डिमांड वर्ष 1980 से ही हो रही है।

जो पहाड़ी कम्युनिटी हैं, उनको जस्टिस जी डी शर्मा कमीशन ने भी रेक्मेंड किया था कि इनको एसटी दर्जा दिया जाए। अगर आप ओडिशा में देखेंगे तो वहां लगभग 69 कम्युनिटीज हैं। ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने रेक्मेंड किया था कि वर्ष 1978 से अब तक 169 कम्युनिटीज को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा जो संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर है, वहां कोरापुट जिले के कुंदुरा, बोइपरिगुदा और कोतापद इलाके में धुरवा समुदाय के लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनको भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए।

महोदया, मेरा एक सुझाव है कि 169 जातियों के लिए जो प्रपोजल आया है, मेरे संसदीय क्षेत्र की धुरवा और कोंडा रेड्डी कम्युनिटीज हैं, वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर उनको देखेंगे, तो दुख लगेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। आज जो बिल लाए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : महोदया, मैं संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए एनसीपी पार्टी की तरफ से खड़ी हुई हूँ।

महोदया, अर्जुन मुंडा जी मंत्री हैं, अभी तो उन पर दोगुनी जिम्मेदारी है। उनको कृषि विभाग भी मिल गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वे हमसे नाराज़ हैं या फिर गुस्से में हैं, क्योंकि वे एससी/एसटी कम्युनिटी के बहुत सारे छोटे-मोटे बिल्स लाए हैं, लेकिन इतने सालों से महाराष्ट्र राज्य की जो मांग है, उस पर वे हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहती हूँ। जैसा कि अरविंद जी ने कहा है, आज महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। दूसरा, मराठा समाज और महाराष्ट्र के सुपुत्र जारंगे पाटिल जी हैं, वे आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं।

तीसरा, धनगर समाज का भी आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 साल पहले धनगर समाज से वायदा किया था कि आपकी जो मांग है, हम आपको आरक्षण दे देंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, भामटा, रामोशी और जो वीजेएनटी हैं, वे एसटी में आना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। अरविंद जी ने भी धनगर और धनगड़ कम्युनिटी के बारे में कहा है। टाकनकर और टकारी दोनों एक ही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है, क्योंकि अर्जुन जी हमेशा जवाब भी देते हैं। आपका कहना है कि यदि राज्य प्रपोजल भेजेगा, तो मैं जरूर सोचूंगा। मैं मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी, भामटा, रामोशी इत्यादि के बारे में सोचूंगा, आप हमेशा ऐसा वादा करते हैं। मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन ये फिर कहां रुक गया? महाराष्ट्र सरकार में तो आपके 200 एमएलएज हैं, प्रपोजल भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तो आपके 303 सांसद हैं, तो फिर ये आरक्षण कहां अटका है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने अनेक राज्यों के लिए किया है, तो फिर आप महाराष्ट्र के लिए आरक्षण के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर छोटे-मोटे बिल लाने की बजाय, पूरे देश के लिए एक बड़ा बिल लाया जाए, तो हर राज्य को न्याय मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि कल हमारे कर्नाटक राज्य

से एक भाई बोल रहे थे, वे भी धनगर और लिंगायत समाज के लिए आरक्षण मांग रहे थे। हमारे यहां भी मराठा, लिंगायत, मुस्लिम समाज मांग कर रहे हैं, तो इन 10 सालों में सरकार एक बड़ा-सा बिल लेकर आती, तब ऐसी समस्या ही नहीं आती और लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। इसकी समय-सीमा क्या है? आप इसको कब लाएंगे और सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार एक बार यह तय कर ले कि आपको उन सबको आरक्षण देना है या नहीं देना है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण दे देंगे, मुस्लिम समाज को देंगे, लिंगायत समाज को देंगे, टकारी समाज को देंगे, वीजेएनटी समाज को देंगे, रामोशी समाज को देंगे और धनगर समाज को देंगे, लेकिन जब दिल्ली आते हैं, तब मंत्री जी कहते हैं कि प्रस्ताव ही नहीं आया है। क्या ये जुमलेबाजी है? मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि हम 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अर्जुन मुंडा जी बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं और वे महाराष्ट्र को न्याय देंगे।

श्री मोहम्मद सदीक (फरीदकोट) : सभापति जी, मुझे आपने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सभापति जी, यह ठीक है कि सरकार जम्मू-कश्मीर की चार जातियों को यानी 'गड्डा ब्राह्मण', 'कोली', 'पद्दारी जनजाति' और 'पहाड़ी जातीय समूह' को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहती है। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसका आदर करता हूँ। इस जाति के जो लोग हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आज पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, माइनोरिटी, एससी और एसटी के लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की नीतियां कुछ इस तरह हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि 'अग्गा दौड़ ते पीछा चौड़', यानी नीति बना लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है।

मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि एक तरफ तो गरीबों के बच्चों के वजीफे के फंड्स काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ अंतरिम बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने कॉर्पोरेट घरानों के टैक्स में कटौती कर दी है, यानी 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करके 'अंबानी और अडानी' कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपयों का फायदा पहुंचाया है।

महोदया जी, यह सरकार जितनी कागजों में है, आंकड़ों में है, उतनी ग्राउण्ड पर नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह सरकार अपने भाषण में तथा अपने अखबारों में पिछड़ों, गरीबों को बड़ी इज्जत एवं बड़ा प्यार देती है, लेकिन इसकी असलियत का इस बात से पता चलता है कि एक आदिवासी महिला को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बनाया गया, लेकिन उनको पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उनको श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया गया। यह इनके बोलने, कहने और अखबारों में देने की बातें हैं। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए।

श्री मोहम्मद सदीक : मैडम, एक मिनट और दीजिए। मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति : ठीक है, आप बोलिए। आप एक मिनट ले लीजिए।

श्री मोहम्मद सदीक : मैडम, मैं सब कुछ देखकर यह कह रहा था कि श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा में भी उनको नहीं बुलाया गया। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वे आदिवासी महिला हैं और आपके दिल में उनके लिए सत्कार कितना है? सिर्फ उनको बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका उतना सत्कार करना भी बहुत जरूरी होता है। हमारे पंजाब के किसान भी आ रहे हैं।

मैडम, मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है। कुछ जातियाँ और हैं, जो आजकल इसके लिए बहुत ही यत्न करती हैं। वे बहुत ही गरीब लोग हैं। आप उनका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। उन जातियों में डूम, ढाढ़ी, मर्दाने के, मीर आलम जाति के लोग हैं। ये गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अगर यह बात सरकार तक पहुँच जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : सभापति महोदया, धन्यवाद । आपने मुझे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का मौका दिया ।

महोदया, इस बिल के आने से जम्मू कश्मीर के वाल्मिकी समाज के वंचित वर्ग को जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे, जो आरक्षण के लाभ से वंचित थे, इस बिल के पास होने से उनको वह लाभ मिलेगा, वह अधिकार मिलेगा । बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्वप्न था कि देश के हर गरीब, हर दलित, हर वंचित को जीवनयापन की सारी सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए । पिछले दशकों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग, हर गरीब, हर महिला, हर युवा, हर किसान को उसके जीवनयापन की सुविधाएं और आवश्यकताएं योजनाओं के माध्यम से दी जा रही हैं। उसमें चाहे अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करना हो, उनको सम्मान देना हो, चाहे योजनाओं के माध्यम से संपूर्ण वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की योजनाएं हों, चाहे अनुसूचित समाज और अन्य समाज के सभी महापुरुषों को सम्मान देने के साथ-साथ उनका कार्य हो । बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देश के दलितों के लिए संविधान लिखा और उस संविधान के माध्यम से देश के हर गरीब को उसका अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहेब के हित में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार के समय नहीं मिल पाया ।

सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहेब अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए, जो उनके जीवन से जुड़े पांच स्थान थे, उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके बाबा साहेब अंबेडकर जी को सम्मान देने के साथ-साथ देश के सभी अनुसूचित वर्ग और सभी घरों को सम्मान देने का काम किया गया है । अनुसूचित जाति के धार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए संत शिरोमणि रविदास जी का सागर, मध्य प्रदेश में स्मारक के जीर्णोद्धार का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने सौ करोड़ रुपये की राशि से शुरू किया । यह सभी रविदास समाज के भाइयों और अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मान की बात है ।

हम गांव में बचपन में और अभी तक देखते थे कि वाल्मीकि समाज गांव में सफाई करने का काम, मैला उठाने का काम करता था। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाया और उस स्वच्छ भारत अभियान में देश के सभी नागरिक हाथ में झाड़ू लेकर सफाई में लगे तो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को कोई यह नहीं कह सकता कि यह सफाईकर्मि है तो वाल्मीकि समाज का ही होगा। यह सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हम देखते थे कि गांव में वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे, वे गांव में मल उठाने का काम करते थे, लेकिन उनके घर में शौचालय निर्माण करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का काम किया। इसके साथ-साथ देश के सभी अनुसूचित समाज के जो लोग हैं, उनको योजनाओं के माध्यम से सम्मान देने का कार्य हुआ है। सफाईकर्मि, जो पहले हाथ से मैला उठाते थे, उनके लिए मैकनाइज करके, उनको उससे मुक्ति देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हमने देखा कि जब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में कुम्भ का मेला लगा, उस कुम्भ के मेले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सफाईकर्मियों के पैर धोकर सम्मान करके, उनको सम्मान देने का काम किया। हमने देखा है कि अभी हम सबका 500 साल का सपना साकार हुआ और वह सपना भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और मूर्ति की स्थापना में जब अयोध्या में हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर देने का काम किया। यह सभी अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मान की बात है। देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया तो 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 और 35ए को हटाने का बिल देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह लेकर आए और उस बिल के हटने के बाद देश के जम्मू-कश्मीर के जो वंचित लोग थे, जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे, जो योजनाओं से वंचित थे, उनको अधिकार और योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। आज माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेकर आए हैं। इस विधेयक के माध्यम से अभी तक जो वाल्मीकि समाज प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित था, जो अधिकारों से वंचित था, उनको अधिकार देने का काम इन बिलों के माध्यम से होगा। उन

सभी को प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार और रिजर्वेशन के माध्यम से उनका लाभ मिलेगा तो उनको ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका में और विधान सभा और लोक सभा में आने का मौका मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि देश के सभी अनुसूचित वर्ग के और जो हमारे समाज के मसीहा थे, उन सबको सम्मानित करने का काम किया है। मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): महोदया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे शेड्यूलड कास्ट्स बिल, 2023 और शेड्यूलड ट्राइब्स बिल, 2023 पर बोलने की इजाजत दी। जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का दूसरा नाम समाजी इंसाफ है। जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस ने ही सबसे पहले सारे सबकॉन्टिनेंट में लेण्ड टू टिलर प्रोग्राम के तहत कोई 34 लाख कैनाल जमीन ट्रांसफर की, जो बगैर किसी मुआवजे के थी और उसमें से 70 फीसदी जम्मू में शेड्यूलड कास्ट तबके को मिली थी। जहां तक पहाड़ी तबके को शेड्यूलड ट्राइब देने का मामला है, हमारा यह पहले ही माकूफ रहा है, जब शेड्यूलड ट्राइब्स को, गुज्जर और बक्करवाल को, उसी दिन से हमारा यह मॉकिफ रहा है कि पहाड़ी को भी देना चाहिए।

बल्कि इसके सिलसिले में हमने हमारी केबिनेट में बाजायफता एक रेजोल्यूशन हुआ और हमने एक कम्यूनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस किया कि इनको भी दिया जाए जो गुज्जर-बक्करवाल हैं, जो उनका कोटा है, जो उनका हक है, उसको डायल्यूट किए बिना, उसको मुत्तासिर किए बिना। वर्ष 1980 की दहाई में भी यह प्रपोजल जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस की हुकूमत की तरफ से भेजा गया था। उसके बाद जब अनदेखी की गयी तो हमने 4 परसेंट का कोटा मखसूस रखा, लेकिन उसका भी सबोटाज उन्होंने किया जो आज पहाड़ी के बारे में बोल रहे हैं। हमारा पहले दिन से ही यह रहा है कि जो जम्मू-कश्मीर का बक्करवाल तबका शेड्यूलड ट्राइब का तबका है, उनके हक को डायल्यूट किए बिना, मुत्तासिर किए बिना, कम किए बिना उनको यह हक दिया जाए। इसके बारे में सरकार गारंटी दे रही है। हम चाहते हैं कि हाउस को एतमाद में लिया जाए कि आप कैसी गारंटी लाएंगे? क्या आप अपर कास्ट में कुछ चेंज करेंगे? हमारा यह बिलकुल क्लीयर स्टैंड है कि जो इस वक्त क्लीयर स्टैंड है कि जो इस वक्त गुज्जर-बक्करवाल शेड्यूलड ट्राइब कम्यूनिटी है, उसके हक को डायल्यूट किए बिना, जो हमारा पहले से मोक़िफ रहा है, पहाड़ी को दिया जाए।

हमारा इस पर बिल्कुल स्पष्ट मत रहा है। आज ये जो बात कर रहे हैं, वह उसी पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसके साथ ये हुकूमत में रहे हैं। तब इनको पहाड़ी लोगों की याद नहीं आई, लेकिन अब आ रही है तो ठीक है। हमारी यह मांग सन् 1980 के दहाई से ही है। हमने यह कहा है कि इनको वह हक दिया जाए। एक बात यह है कि हम यह बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि सरकार हाउस को

कॉन्फिडेंस में ले। आप कह रहे हैं कि डाइल्यूट किए बिना हम उनको उनका हक देंगे तो आप उसे कैसे करेंगे? उसकी मॉडेलिटीज़ क्या होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप उसके बारे में भी बताइए। मैं यह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही जो डिप्राइव्ड हैं, डिस्एम्पावर्ड हैं तथा आखिरी पायदान पर है, उनके साथ खड़ी रही है और जैसा कि मैंने कहा कि पूरी बर्-ए-सगीर में लैंड रिफॉर्म का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। हमने 34 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर की, जो कि जम्मू में 70 फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के हाथ में गई। आज की तारीख में जब आप यह प्रयास कर रहे हैं तो हम यह बिल्कुल किलयर करना चाहते हैं कि हमने अपनी टर्म में उनको जो चार फीसदी कोटा दिया था, उसे आपने क्यों सबोटाज किया था? तब आपकी हमदर्दी कहां पर चली गई थी? अगर आज है तो आप यह कैसे गारंटी देंगे? यह जरूर हो, गारंटी हो और हाउस को एतबार में लिया जाए। मंत्री जी हाउस में यह कहें कि वहां जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो गुर्जर-बकरवाल हैं, उनका जो हुकूक है, उनको मुतासिर किए बिना आप कैसे उनको उनका हक देंगे। पहाड़ी लोगों के लिए सन् 1980 के दहाई से ही हमारा सपोर्ट रहा है। हमारा यह मुतालबा रहा है कि इनको आरक्षण दिया जाए। इस पार्टी की तरह नहीं, जो आज यह बात कर रही है, लेकिन आज से पहले ये जब सरकार में थे, तब इनको उनकी याद नहीं आई।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Madam, thank you for giving me an opportunity to speak on The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023. I would like to welcome and support this Bill.

Madam, many communities which have been deprived for long have been included in this List. Similarly, I would like to request that in my Parliamentary constituency of Dharmapuri, in the Assembly Constituencies of Pappireddipatti, Harur, Dharmapuri, Palacode, Pennagarm and Mettur, there are many communities, especially the Kurumbar community and the Lambadi community, which have been demanding ST status for a very long time.

We have approached the State Government and the representatives of both the Lambadi community and the Kurumbar community have met the hon. Chief Minister, Shri M.K. Stalin, and have made a demand. I would like to place on record over here that our Tribal Affairs Minister, Shri Arjun Munda, has been very helpful. Whenever we approached him, he has always assured us that whenever the recommendations come from the State Government, he will be very helpful in having these communities listed.

I would like to place on record that the Tamil Nadu Government has forwarded the case of Kurumbar community to the Central Government. They are the 13th synonym and because of no fault of theirs, many youths belonging to that community lost reservation in work and education. When the British handed over the Government, because of phonetic variations like Kurumbar, Kurumba, Kurumbans, many communities were left out. But the Tamil Nadu Government

has forwarded their case to the Central Government and it is now with the Tribal Affairs Minister. I would like to know when it would come into effect so that the youths belonging to these communities could be benefited.

Regarding the Lambadi community, it is a Scheduled Tribe community in the adjoining States of Karnataka and Andhra Pradesh, but not in Tamil Nadu. The State Government of Tamil Nadu has gone for a new ethnic study. As soon as that study is over, we will process it to the Union Government. We request the Government that both the communities be included at the earliest.

Madam, I would also like to take this opportunity to demand, through you, an Eklavya School in my Parliamentary constituency of Dharmapuri in various hill areas.

Lastly, I would like to urge upon the Union Government to come up with a caste census at the earliest so that all the representatives of various ethnic groups, Scheduled Tribes, underprivileged and marginalized people get a say. So, I demand a caste census at the earliest.

With these words, I conclude my speech.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on this very important Bill.

People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute more than 25 per cent of population in our country. Their population has increased. But only the SCs are given 15 per cent reservation and STs are given 7.5 per cent reservation. My first and foremost demand would be that people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given reservation as per their population.

Similarly in some States, the rendering of some caste names of SCs and STs are disrespectful. This is not only prevalent in Tamil Nadu but also in all other States of our country. State Governments do not have any power to change or amend such rendering of caste names. They have only the recommending powers. Therefore, I urge upon the Union Government to bring amendments to the Constitution extending powers to States to amend the rendering of such Caste names in the lists of SCs and STs. This amendment is very much necessary for the people belonging to these communities. Therefore, I urge upon the Union Government to bring necessary amendments to the Constitution of India extending powers to States to amend the rendering of such Caste names which are 'disrespectful' in the list of SCs and STs.

In Tamil Nadu, there are 74 Castes in the list of Scheduled Castes. Out of which, the following castes do have the physical and cultural traits of a nomadic

* English translation of speech originally delivered in Tamil.

tribe. They are communities or castes less than 1000 in number. Some communities are even less than 100 in number. Baira, Bakuda, Bandi, Bellara, Domban, Godagali, Godda, Gosargi, Holey, Jaggali, Jambuvulu, Koosa, Kuravan, Nayadi, Vetan, Vettuvan are the Scheduled Castes who can be called as microscopic minorities or the negligible minorities among this lot. People belonging to these Scheduled Castes which I have listed are unable to compete with other SCs in the list who are more in number than them. They are deprived of getting education and employment opportunities among this lot. Anthropologically they are belonging to nomadic tribes. If such Castes are included in the list of Scheduled Tribes, they may get opportunities in getting education and employment. I, therefore, urge upon the Union Minister to include these Scheduled Castes in the list of STs.

I also associate with the demand put forth by our Hon MP Shri DNV Senthil Kumar for including the people belonging to Kurumba and Lambadi tribal communities in the list of Scheduled Tribes. I urge the hon. Union Ministers to accept this demand and include them in the list of STs.

Thank you.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदया, आज मैं the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023. का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ। कश्मीर को स्वर्ग से सुंदर कहा जाता था। हम लोग यह सुनते थे, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रजेंटेटिव्स नहीं होने के कारण उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं मसूदी साहब और आईएनसी से पूछना चाहता हूँ कि इन 70 सालों में जम्मू-कश्मीर में इन समाज के साथ बहुत अन्याय किया गया। अगर मोदी साहब सत्ता में नहीं आते, वे अनुच्छेद 370 नहीं हटाते, असेम्बली में रिजर्वेशन नहीं लाते, आज वे पंचायती राज में रिजर्वेशन ला रहे हैं, वे म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन ला रहे हैं। मैं सभी गुर्जर, पहाड़ी, मेहतर, बागी, वाल्मीकि और सूरा समाज के लोगों की तरफ से मोदी साहब और अर्जुन मुंडा साहब को धन्यवाद देता हूँ।

अगर यह न्याय मसूदी साहब की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष पहले किया होता तो सही में जम्मू-कश्मीर सबसे सुंदर होता। लेकिन इतना अन्याय होने के बावजूद भी, आज मोदी साहब ने आकर, यह मोदी जी की गारंटी है कि जम्मू-कश्मीर के डाउन ट्रोडन और नेगलेक्टेड समाज मेनस्ट्रीम में आ रहा है, इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मोदी जी द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद और आज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज में रिजर्वेशन का रूल लाने के बाद, असेम्बली में रिजर्वेशन लाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मसूदी साहब कश्मीर सबसे सुंदर है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही मैं अर्जुन मुंडा साहब को एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में एक योबिन समाज है। योबिन ट्राइब म्यांमार, तिब्बत और चाइना बॉर्डर पर रहने वाली एक कम्युनिटी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट में उसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है। उसके लिए भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जाए। योबिन समाज की एक बहुत लॉन्ग-स्टैंडिंग डिमांड है। आप एक दिन इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर इन लोगों को भी ट्राइबल का स्टेटस, कॉन्स्टीट्यूशनली ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए तो यह अच्छा रहेगा। यह मैं आपसे मांग करता हूँ। मैं जम्मू-कश्मीर के भाई-बहनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ,

मोदी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टिशन होने के बाद जब मनमोहन सिंह साहब प्रधान मंत्री बने और हमारे वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन लोगों के साथी जो कश्मीर में बसे थे, मोदी जी के आने से पहले इन लोगों को कोई वोटिंग राइट ही नहीं था। पंचायत में कोई वोटिंग राइट नहीं था। मसूदी साहब, आज मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर सबसे सुंदर है और यह मोदी जी की गारंटी है। थैंक यू।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदया, आपने मुझे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदया, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ने वाल्मीकि समुदाय को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची क्रम संख्या 5 पर चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर के पर्याय के रूप में सम्मिलित करने की सिफारिश की है। यह स्वागत योग्य है। मैं और मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन सिर्फ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना ही बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी, जब इन समाज के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनको पर्याप्त सुविधाएं भी सरकार प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह 100 परसेंट सभी छात्रों तक पहुंच नहीं पाती है, जिससे कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के साथ-साथ ग्रेजुएशन के बच्चों के भी ड्रॉप आउट रेट में बढ़ोतरी हुई है।

इसके साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों में एससी, एसटी के काफी पद खाली पड़े हैं। सरकार को चाहिए कि बैकलॉग के माध्यम से एससी, एसटी के लोगों को स्थायी रोजगार देने का भी काम करे, जिससे इनके जीवन-स्तर को बढ़ाने में सरकार कारगर साबित हो।

इसके साथ ही अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास खेती करने के लिए भी भूमि जीरो परसेंट है। मेरी सरकार से मांग है कि उनके भविष्य को देखते हुए उनको भूमि अलॉटमेंट हो, जिससे वह खेती करने योग्य हो और अपना पेट भर सके। धन्यवाद।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

आप समझ सकते हैं कि इस समाज को केवल और केवल सफाई के काम के लिए ही रखा गया था। गुरुदासपुर और अमृतसर से जो 272 परिवार जम्मू-कश्मीर आए, तो उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। मैं इस बात के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया और उसके बाद से वहाँ पर जो एक अलग ही बयार बह रही है, जिस तरह से अब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके अन्दर आप देखें कि अब इस समाज को कितनी जगहों पर आरक्षण मिलेगा, चाहे हम आवास आवंटन की बात करें या लोक सभा या विधान सभा के अन्दर आरक्षण की बात करें, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की बात करें, नगरपालिकाओं में आरक्षण की बात करें, चाहे छात्रवृत्ति की बात करें। इसके साथ-साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसके तहत भी प्रावधानों का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा रियायती दरों पर ऋण भी मिलेगा। बहुत-सी सुविधाएं इस समाज को मिल सकेंगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब हम वाल्मीकि जी को याद करते हैं, तो हम रामायण को भी याद करते हैं, जो एक-दूसरे के पर्याय हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा की और वहाँ के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा। इससे पूरा देश प्रफुल्लित है। वे इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

आप देखें कि महर्षि वाल्मीकि जी वे हैं कि जिस समय सीता माँ, जो कष्ट में थीं, उस समय उन्होंने उनको आश्रय दिया और लव-कुश के जो संस्कार हैं, लव-कुश को अस्त्र और शस्त्र की विद्या भी महर्षि वाल्मीकि जी ने ही दी।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसी शनिवार और रविवार के दिन मुझे तमिलनाडु जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोयम्बटूर की विधायक वानथी श्रीनिवासन जी ने मुझे आमंत्रित किया था। आप हैरान होंगी कि वहाँ की महिलाएं और वहाँ के किसान वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उनको लेकर वहाँ पर उनके अन्दर एक उल्लास है, एक उत्साह है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में साउथ के क्षेत्रों में और तमिलनाडु में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी।

इसके साथ-साथ, अबकी बार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री अवार्ड दिए हैं, हमें श्री बदरप्पन जी, जो 87 वर्ष के हैं और कोयम्बटूर के एक गांव में रहते हैं, से मिलने का मौका मिला। समाज के अन्दर सुधार का जब कोई न कोई व्यक्ति बीड़ा उठाता है, तभी समाज आगे बढ़ता है। श्री बदरप्पन जी ने वहाँ मुरुगन जी और वल्ली अम्मा का जो डांस परफॉर्मेंस है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। उस डांस परफॉर्मेंस में पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थीं। उन्होंने उसके अन्दर महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आज उसी वजह से 87 वर्ष के बदरप्पन जी को पद्मश्री अवार्ड मिला। हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत नरवाना एक विधान सभा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कलौदा खुर्द गांव है। वहाँ पर एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। जब मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया, तो मुझे वहाँ एक चौपाल में जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं खिड़की से झाँक रही हैं। मैंने उनसे कहा कि आप लोग अन्दर आइए। तो उन्होंने कहा कि हमें अन्दर आने के लिए एलाउड नहीं है। मैंने कहा कि आज़ादी के इतने साल हो गए और आप लोगों

को चौपाल के अन्दर आना एलाउड नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल एलाउड नहीं है। मैंने उनसे आग्रह किया कि... (व्यवधान)

SHRI S. S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Madam, she is giving wrong information to the House.

... (Interruptions)

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय सभापति महोदया, मैंने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा।... (व्यवधान) मैं तो जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, वही कह रही हूँ। मैं किसी के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रही हूँ।... (व्यवधान) तो क्या दिक्कत आ रही है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि गांव के अन्दर जब महिलाएं खिड़की से झाँक रही थीं, तो मैंने वहाँ के पंचायत के अधिकारी से पूछा कि आप लोगों ने महिलाओं को अन्दर क्यों नहीं आने दिया? उन्होंने कहा कि यहाँ पर 75 वर्षों से यह एलाउड ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपकी पंचायत में महिला सरपंच बनेंगी, तब आप उनको एलाउड करेंगे? तो उन्होंने बताया कि सरपंच भी महिला ही हैं। आप देखें कि उसी दिन महिलाओं ने वहाँ पर एंटर किया। इसलिए किसी न किसी को यह बीड़ा उठाना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने श्रमिकों, किसान भाइयों और महिलाओं के लिए जिस तरह से उनके अधिकारों का समर्थन किया था, उसी तरह से आज वे कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, जो चार वर्ग हैं, चाहे हम किसान की बात करें, गरीब की बात करें, महिलाओं की बात करें या हम युवा शक्ति की बात करें, उनको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ये अच्छी बात बोल रही हैं।

सुश्री सुनीता दुग्गल : महोदया, मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करूँगी।

माननीय सभापति : बहुत जल्दी नहीं, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय सभापति महोदया, संत शिरोमणी रविदास जी ने कहा था:

ऐसा चाहूँ राज मैं, मिले सभी को अन्न,
छोटे-बड़े सब सम बसैं, रविदास रहें प्रसन्न ।

इस तरह से, जितने भी बड़े-बड़े संत हुए, उन्होंने सभी को इकट्ठा लेकर समाज को साथ चलने की बात कही है ।

अंत में, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगी कि कबीर साहब ने भी एक बात कही थी:

“कबीर कुआँ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक ।”

महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023 and the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023 which have been moved by the hon. Ministers. I support these two Amendment Bills which are related to the State of Jammu and Kashmir.

Madam, many of the hon. Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have expressed their views and have also stated very many burning issues which these communities are facing throughout the country. I am not going into all the details. But what is the living condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country? Their living condition is very poor. The Government is also not taking care of the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.

Even the budget allocation under SEP and TSP for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has decreased and also cut short. Whatever amount is estimated for SEP and TSP, it is not being spent timely. In many of the areas, SC/ST fund allocation has also got lapsed. SC/ST fund in different Ministries is also not being spent timely. The officials – I mean bureaucrats – are not taking any interest to spend the money allocated for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is the main problem. I would like to bring it to the attention of the hon. Ministers.

Madam, atrocities among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are increasing day by day throughout the country, especially in the northern part of India. Everybody knows about it. Every media agency is also reporting on this. We have a strong law here, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act. But it is not being implemented properly. The police authorities are not ready to register the cases under this Act and conviction is also very, very less.

This is the situation in the entire country. But the Home Ministry of India is not giving any strong direction to the State Home Departments to register the cases under this Act wherever the atrocities against SC/ST are there.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I am concluding. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act should be used against the atrocities. But unfortunately, there is no such direction from the Home Ministry. That is why, the States are also not taking it seriously.

Madam, another important issue is unemployment. Employment opportunities in the Government sector are decreasing day by day. Private sector, private companies, multi-national companies are growing in number. There is a long-pending demand from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities to have a special recruitment in Government sector as well as the private sector.

In the Government sector, the backlog vacancies are filled up through special recruitment. At the same time, the Government should insist upon the private sector to appoint the Scheduled Castes/Scheduled Tribes personnel.

19.00 hrs

The Government should fix the percentage and, in that proportion, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees should be recruited in the private sector. The Government of India has not taken any step for the recruitment of SC and ST in the private sector. Lakhs and lakhs of vacancies are lying unfilled in the Central Government departments. I would like to appeal to the Government in this respect. Hon. Home Minister is here along with the hon. Minister of Social Justice. I would like to appeal to the Ministers to take necessary steps for conducting a special drive to fill up the backlog vacancies of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Madam, the hon. Minister is aware of the issue of the Post-Matric Scholarships. Lot of questions have already been raised in this House on previous occasions in this respect. The Post-Matric Scholarships are not given timely. Our SC and ST students are facing serious problems. How can they study without scholarship? Madam, you are very much aware about the conditions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in this country. They are solely dependent on scholarships for their studies but the Government is not taking any serious step to release the money for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, there are a number of burning issues which are being faced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country but the Government is not addressing these serious issues.

Another long-pending demand is related to the Dalit Christians. They should be included in the Scheduled Castes List. There is a case pending in the Supreme Court. Justice Ranganath Mishra Commission has already recommended their inclusion in the Scheduled Castes List. But, unfortunately, the Government of India has not taken any positive step in this direction. That is why, Dalit Christians are not getting reservation. This is also a long-pending demand from Dalit Christians. I would like to appeal to the hon. Social Justice and Empowerment Minister to consider this also.

Thank you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Madam. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023 amends the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956. The Order lists the castes deemed to be Scheduled Castes in the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Bill adds Balmiki Community as a synonym of Chura, Bhangi, Balmiki, and Mehtar Communities. The synonym will apply only in the Union Territories of Jammu and Kashmir.

The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023 amends the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 to create a separate list for Scheduled Tribes for Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Bill also adds four communities to the list of the Scheduled Tribe in Jammu and Kashmir. These are "Gadda Brahmin", "Koli", "Paddari Tribe" and "Pahari Ethnic Group". The two Bills are clubbed together in order to facilitate our discussion. I am at the fag-end of the discussion.

सभापति जी, मैं ज्यादा कुछ न बोलकर एक ही बात कहना चाहता हूँ। वह यह है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद लद्दाख के लोगों के जहन में आया था कि उन लोगों को न्याय मिलेगा। आज लद्दाख के लोग स्टेट हुड की डिमांड कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख के आम लोग हजारों की तादाद में सिक्स्थ शेड्यूल की मांग भी करते हुए रास्तों पर आ गए हैं। जब यह बिल लाया ही जा रहा है तो लद्दाखवासियों की भावना को सम्मान देते हुए, उनकी भावना का संज्ञान लेते हुए लद्दाख के लोगों को सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत लाने की जरूरत है।

मैं यह मांग जरूर करूंगा क्योंकि वर्ष 2003 में हमारी यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय में मंत्री राय जी ने की थी।

Ensuring the protection of land and employment for the people of Ladakh – यह उसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन, लद्दाख के लोग अभी यह सोच रहे हैं कि वे इससे वंचित हो रहे हैं। इसके लिए वे भारी आक्रोश का इजहार कर रहे हैं।

महोदया, मैं इस सदन के सामने, जहां होम मिनिस्टर बैठे हैं और हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी बैठे हैं, उन सबको यह निवेदन करूंगा कि लद्दाख के बारे में भी सोचा जाए। कश्मीर का मुद्दा यहां दिन भर की चर्चा में आ गया है तो फिर लद्दाख इससे क्यों बाहर रहे, क्योंकि आपने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बनायी, लेकिन फिर भी यहां पर लद्दाख के बारे में चर्चा नहीं होती है।

मेरी बात इस बिल के दायरे के बाहर है, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी और सोशल जस्टिस मिनिस्टर जी यह भी सोचें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो गोरखा लोग रहते हैं, उन लोगों की भी बहुत सालों से यह मांग है कि उन्हें भी सिक्स्थ शिड्यूल के दायरे में लाया जाए। यह सोचने के लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा। इसके साथ-साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदया जी, धन्यवाद।

महोदया, आज की चर्चा दो बिलों पर एक साथ प्रारंभ हुई। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूचियों में बाल्मीकि के साथ-साथ, वहां पर पहले बाल्मीकि शब्द प्रयोग किया जाता था, तो बाल्मीकि के साथ-साथ उसमें वाल्मिकी भी जोड़ा जाए।

महोदया, इस चर्चा में बड़ी संख्या में इस सदन के माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री अमर सिंह जी, श्री जुगल किशोर शर्मा जी, श्री रवि कुमार जी, श्री मलूक नागर जी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी, श्रीमती गोड्डेति माधवी जी, अरविन्द सावंत जी, दिलेश्वर कामैत जी, रमेश चन्द्र माझी जी, सुप्रिया सुले जी, मोहम्मद सादिक जी, डा. भोला सिंह जी, हसनैन मसूदी जी, डी.एन.वी. सेंथिलकुमार जी, डॉ. थोल तिरुमावलवन जी, तापिर गाव जी,

श्री रामशिरोमणि वर्मा जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, श्री के. सुरेश जी और हमारे श्री अधीर रंजन चौधरी जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ।

माननीय सदस्यों के द्वारा वाल्मिकी समाज के संदर्भ में जब अपनी बातें कही गयीं तो सभी की जो प्रतिध्वनि निकलकर आई, वह प्रतिध्वनि यही निकल कर आई थी कि वाल्मिकी समाज को यह अधिकार मिलना चाहिए। सरकार जो यह बिल लेकर आई है, तो देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, डा. भीमराव अम्बेडकर जी के समता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार के ध्येय वाक्य को पूरा करने का लक्ष्य लेकर सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, उसी दिशा में आज यह बिल एक महत्वपूर्ण बिन्दु साबित होने जा रहा है।

महोदया, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले नौ वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गयीं, जिससे अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थितियों में व्यापक स्तर पर काफी परिवर्तन आया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और देश को आत्मनिर्भर बढ़ाने में सभी का सामूहिक प्रयास है।

'उन्नत माथा माता का' - कश्मीर हमारे देश का, भारत माता का माथा है। वहां पर समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे बाल्मीकि समाज के बंधु, जो पिछले छः दशकों से, 60 साल से भी ज्यादा समय से उस न्याय की आशा में लगातार वहां पर अपमान की पीड़ा झेलते हुए सफाई के काम में लगे हुए थे।

19.10 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

उनको न्याय दिलाने की पहल आदरणीय पंत प्रधान जी द्वारा की गई। हमारे डॉ. भोला सिंह जी बोल रहे थे कि इलाहबाद में, जब कुंभ में, करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु आए थे, तब वाल्मीकी समाज के बंधुओं के पैर धोने का काम देश के प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा रहा था। उस समय प्रधान मंत्री जी के हाथों में जल का कलश था और सामने इलाहबाद कुंभ परिसर को साफ और स्वच्छ करने वाले हमारे सफाई कर्मी भाई-बहन थे। जब माननीय प्रधान मंत्री जी उनके पैर धो

रहे थे, तब उनकी आँखों में आंसू थे। उन आँसुओं की भावना को समझने का अगर प्रयास किया होता तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी पीड़ा को सम्मान देने के बारे जो कदम आज उठाया जा रहा है, अगर 60 साल पहले इस बारे में सोचा गया होता तो कितना अच्छा होता। भारत मंडपम् में भी श्रमवीरों का सम्मान देश के पंत प्रधान जी द्वारा किया गया। जब माननीय प्रधान मंत्री जी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, तब मैंने देखा कि उन श्रमवीरों की आँखों में भी आंसू आ रहे थे कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ, देश का प्रधान मंत्री, आज हमको इस तरह से सामने बिठा कर, स्वयं खड़े हो कर हमारा सम्मान कर रहे हैं। यह दृश्य देखने की किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। भारत की इस विकास यात्रा में चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मैडिकल कॉलेज, उद्योग, विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटी, देश की गगनचुंबी इमारतों की बात हो, चंद्रयान-3 की सफलता की बात हो, जी-20 की बैठक के दौरान विश्व पटल के सामने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में भारत की छवि पूरे विश्व के सामने लाने की बात हो, इन सब में अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंतिम छोर के इन व्यक्तियों को सम्मान देने में कहीं किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी।

महोदय, हमारे अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा योगदान देश में रहा है। देश में सफाई से ले कर सुरक्षा तक, सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने परिश्रम से, विश्वास से और दृढ़ निश्चय शक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्पों को सिद्धी की ओर ले जाने में अपना योगदान दिया है।

महोदय, अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। हमारे अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही गई। कई माननीय सदस्यों द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई। इस संबंध में भारत सरकार ने अपनी प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसमें राज्यों एवं संघ राज्यों के द्वारा

प्रस्ताव आने पर आरजीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से समर्थन होने के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से संसद के समक्ष विधेयक के रूप में सामने लाया जाता है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां पर आज समानता की बात हो रही है। घाटी में कई ऐसे समुदाय हैं, जो धारा 370 समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनको करीब सात दशकों से राज्य में मौजूद अन्य समुदायों की तरह अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे। इनमें प्रमुख है दलित वर्ग का हमारा वाल्मीकी समुदाय। इस समुदाय को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इस समुदाय के लोग रामायण के रचियता महर्षि वाल्मीकी को अपना भगवान मानते हैं। हम सब भी उनको अपना भगवान मानते हैं। देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मध्य प्रदेश के सागर में सौ करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखी गई, तब संत रविदास जी के अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि देश में किसी प्रधान मंत्री जी के द्वारा देश की आजादी के बाद पहली बार यह कदम उठाने का साहस किया गया है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मंत्री जी, आप बिल पर बोलिए न। ... (व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अधीर रंजन जी, आप अधीर मत होइए। अगर आपने 70 सालों में सोचा होता, तो आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। एक और बात कही गई कि जब द्रौपदी मुर्मु जी को माननीय राष्ट्रपति बनाया गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, यहां नहीं बुलाया गया, वहां नहीं बुलाया गया। अगर मन में इतनी संवेदनशीलता थी तो क्यों नहीं उनको विजयी बनाने के लिए साहस किया, क्यों नहीं आगे आकर समर्थन दिया, कहाँ गई थी संवदेनाएं, कहाँ गई थी भावनाएं? आलोचना-प्रत्यालोचना करना और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात करना अलग बात होती है। जहां तक समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर को न्याय दिलाने की बात आती है तो वहां केवल नारा दिया जाता था। नारा दिया जाता था – गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया गया। अनुसूचित जाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता रहा। उनकी पीड़ाओं, भावनाओं, दर्द, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके आवास के बारे में सोचा नहीं गया। अभी

हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी बोल रही थी, हमारे मलूक नागर जी बोल रहे थे । अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर बात कही जा रही थी कि अब उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा । अब उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा । अब उनके बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का लाभ मिलेगा । अब उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा । अब उनके बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी की पढ़ाई कर सकेंगे । वे केवल सफाई के काम में नहीं लगे रहेंगे । 60 सालों से जम्मू-कश्मीर में हमारे 272 परिवार, जो पंजाब के गुरुदासपुर और अमृतसर से गए थे, उनको वर्षों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया गया ।

अधीर रंजन जी, आप सुनिए । आज उनके लिए यह बिल लाया जा रहा है । इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा । उन्हें समान अधिकार, नए मौके, नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इतना ही नहीं, वे अन्याय के दौर से गुजर रहे थे । स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से बाल्मिकी समाज के लोग वहां पर संपत्ति नहीं खरीद पाते थे । उनके बच्चों को राज्य सरकार की शिक्षा छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था । बाल्मिकी समुदाय के बच्चों को राज्य की इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल कोर्स के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलता था । बाल्मिकी समुदाय के लोग लोक सभा चुनाव में तो मताधिकार का उपयोग कर सकते थे, लेकिन विधान सभा के चुनाव में मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते थे ।

अधीर रंजन जी, ये बिल की ही बातें हैं । बिल की इन बातों पर हमारे साथी बोल रहे थे । यह बिल पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित था । बाल्मिकी समाज के हमारे जो 272 बंधु थे, उनकी संख्या आज हजारों में पहुंच गई है । इस संशोधन के माध्यम से बाल्मिकी शब्द को भी जब जोड़ा जाएगा, तो हमारे बाल्मिकी समुदाय को आवास आवंटन में आरक्षण का लाभ मिलेगा । उनको लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण का लाभ मिलेगा । पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा । नगरपालिकाओं में आरक्षण मिलेगा । प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ होगा । मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा । राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा । उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं

विकास निगम की रियायती दरों पर लोन का लाभ भी उनको मिलेगा । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों का भी लाभ मिलेगा । नमस्ते स्कीम का भी लाभ मिलेगा । वेंचर कैपिटल ट्रेजर फंड का लाभ भी उनको मिलेगा ।

आप लोगों ने बहुत सारी बातें उठायीं । कई प्रश्नों को भी आप लोगों के द्वारा उठाया गया । ...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप संक्षेप में बोल दीजिए ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, अगर आपकी इच्छा है तो मैं संक्षेप में समाप्त कर देता हूँ । मैं दो-तीन चीजों का उल्लेख करना चाहूँगा ।... (व्यवधान)

अधीर रंजन जी, मैं आपके ही सदस्य की बात कर रहा हूँ । अमर सिंह जी ने कहा था कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को बंद किया गया है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने न प्री-मैट्रिक और न पोस्ट-मैट्रिक, किसी भी छात्रवृत्ति को बंद नहीं किया है, बल्कि डीबीटी के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब पैसा सीधे छात्र के खाते में जाएगा ।

बीच में जो सारी अनियमितताएं होती थीं, उन अनियमितताओं को दूर करके अब सीधा छात्र के खाते में पैसा जाएगा । तमिलनाडु के श्री डी. रविकुमार जी ने कहा था कि तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव हो । मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार का इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ एक जाति नामों को बदलने के प्रस्ताव जरूर प्राप्त हुए हैं, जो आरजीआई के पास हैं ।

श्री के. सुरेश जी शायद चले गए हैं । ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाने वाले सदस्यों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की बात उनके द्वारा कही गई थी । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया गया है, जो दो वर्षों में इस संबंध में अपना कार्य करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगा । उनके द्वारा एक बात और कही गई थी कि समय पर छात्रवृत्ति मिले । राज्यों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उनसे हम छात्र के एकाउंट नंबर और नाम मांगते हैं । जैसे ही वह सूचना यहां पर आती है, हम यहां से

बटन दबाते हैं। एक बटन यहां से दबता है और एक सेकेंड में छात्रवृत्ति सीधी छात्र के खाते में चली जाती है। 40 पर्सेंट राशि राज्य को देनी पड़ती है और 60 पर्सेंट राशि केंद्र सरकार देती है और 1 सेकेंड में सारे छात्रों के खाते में राशि पहुंच जाती है।

अंतिम बात, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शिल्प समागम की शुरुआत की गई है। यह पहली बार हुआ है, जिसमें हमारे सफाईकर्मी भाई-बहन, आज मैं देखता हूँ कि जब शिल्प समागम के मेले लगते हैं, चाहे अहमदाबाद में लगे, जयपुर में लगे, मुंबई में लगे, तो उसमें अनुसूचित जाति समाज के बड़ी संख्या में हमारे भाई-बहन आज तरह-तरह की चीजों का जो निर्माण कर रहे हैं, उनको विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा इन प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है जिससे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु अपना काम प्रारम्भ कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से वे आईएएस, आईपीएस सरीखे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा श्रेष्ठता स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से शुरुआत की गई है।

अरविंद सावंत जी और अन्य साथी चले गए हैं। मैं हर एक की बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का इशारा है और आप सबने भी सर्वसम्मति से इसके लिए अपना सहयोग दिया है।

अंत में, मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में कि हम सब, जम्मू-कश्मीर के जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो बंधु हैं, उन बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए, उनको भी जीवन में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सामूहिक रूप से इस बिल का समर्थन करें। ऐसा मैं सदन से अनुरोध करता हूँ।

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, आज सदन में आपने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में विचार के लिए अनुमति दी, इस पर आज चर्चा हुई और इस चर्चा में संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विधेयक है, दोनों विधेयकों के ऊपर माननीय सदस्यों ने चर्चा की। इस चर्चा में माननीय अधीर रंजन सहित 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने भाग लिया। सबने अपने-अपने विचार दिए और कुल मिलाकर मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन कुछ बिन्दु, कुछ विषय भी इनके माध्यम से आए हैं। बहुत सारे विषयों के संदर्भ में माननीय हमारे वरीय मंत्री वीरेन्द्र जी ने सदन के समक्ष बात रखी।

मैं कुछ बातों को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस दृढ़ता के साथ, कश्मीर और कन्याकुमारी तक भारत एक है, धारा 370 और 35ए हटाकर इस संदेश को न केवल देशवासी, बल्कि दुनिया को भी देने का कार्य किया। पिछले दिनों इसी सदन में भारतीय न्याय संहिता पारित हुआ। भारतीय न्याय संहिता धारा 370 के पहले यदि पास होता तो उसमें लिखना पड़ता कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर। अब जो भी कानून इस देश के पार्लियामेंट में बनेगा वह पूरे देश के लिए बनेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।

आज कुछ लोग भारत जोड़ो के नाम से यात्रा की राजनीति करते हैं। यह वास्तव में किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज मुझे सूचना मिली कि भारत जोड़ो यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे खूंटो की धरती पर गए और खूंटो की धरती पर जाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बताया, लेकिन बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई। ... (व्यवधान)

15 नवम्बर को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म भूमि उलिहातू जाकर उस मिट्टी को तिलक लगाया। अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए पीएम जन मन के माध्यम से प्रिमिटिव ट्राइब व वलनरेबल ट्राइब के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की योजना प्रारंभ की।

आज एक नेता वहां पर गए, लेकिन उनके जन्म स्थान उलिहातू में जाने की फुर्सत उनको नहीं मिली। यह उनके भारत जोड़ो का विवरण है। यह दिख रहा है कि देश को किस नजरिए से देखा जाता है।

आज जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधेयक है, यह विधेयक इस संदेश के साथ है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सभी के विश्वास के साथ और सबके प्रयास के माध्यम से देश आगे बढ़ना चाहिए। आज जिस सूची में शामिल करने के लिए सदन में चर्चा हुई है, उसके माध्यम से आज जम्मू-कश्मीर को न्याय मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि यह कश्यप ऋषि की तपो भूमि है, उस कश्यप ऋषि को सम्मान देने का काम आज अनुसूचित जनजाति के विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है।

मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे विधानों में जिस किसी से भी गोत्र के बारे में पूछा जाता है, यदि वह नहीं बता पाए तो उसका पूजा पद्धति कश्यप ऋषि के माध्यम से होता है। वह कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम से है। वहां आज की जनता को न्याय मिलने का काम हो रहा है। मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। वहां पर ऑलरेडी जो हमारे गुर्जर-बक्करवाल, गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शिक्षा और नौकरी में उनके आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हम जिनको न्याय देने के लिए सम्मिलित कर रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है, वह बरकरार रहेगी। इसके साथ-साथ, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री वीरेन्द्र कुमार जी ने किया है कि पोलिटिकल रिजर्वेशन नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को मिलेगा। पोलिटिकल रिजर्वेशन जो नहीं मिलता था, वहां पर भी मिलेगा। इस विधेयक के माध्यम से वहां संवैधानिक अधिकार के पूर्ण स्वरूप का प्रतिबिंब होगा, दिखाई देगा।

महोदय, हमारा देश जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक समग्र शक्ति बनकर आगे बढ़ रहा है, यही इस देश का मूल आधार है। इससे निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में जिस तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ा है और जिस तरीके से वहां के लोग आत्मविश्वास के साथ संकल्प ले रहे हैं, इसका आह्वान माननीय प्रधान मंत्री जी ने “सबका साथ, सबका विकास” मूलमंत्र के साथ प्रारंभ किया है, वह सार्थक

रूप से दिखाई देगा। मैं इस अवसर पर खासकर अधीर रंजन जी को थोड़ा धीर रहने के लिए निवेदन करूंगा। आप लद्दाख का जिक्र किस मंशा से कर रहे हैं? आपकी इसमें मंशा क्या है? धारा 370 के माध्यम से आपने लद्दाख को जितना निचोड़ना था, आपने निचोड़ा और आज जब लद्दाख को न्याय मिल रहा है तो आपको इसमें परेशानी हो रही है। लद्दाख के बारे में जितनी चिंता भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार कर रही है, उतनी किसी और सरकार ने या पिछले शासन में आपने कभी नहीं की।

महोदय, मैं इस सदन में निश्चित रूप से कहूंगा कि आज जो ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर के शैड्यूलड कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के संबंध में हो रहा है, जिसे माननीय सदस्यों ने भी समर्थन दिया है। अब विधेयक पारित किया जाएगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 26,

प्रश्न यह है:

“कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1**Short title**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

“2023” के स्थान पर “2024” रखें। (2)

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

“चौहत्तरवें” के स्थान पर “पचहत्तरवें” रखें। (1)

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अधिनियमन, सूत्र यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 27

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1

Short title

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, -

“2023” के स्थान पर “2024” रखें।

(2)

(श्री अर्जुन मुंडा)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

“चौहत्तरवें” के स्थान पर “पचहत्तरवें” रखें। (1)

(श्री अर्जुन मुंडा)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.38 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, February 7, 2024/Magha 18, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
